

# SSR (Ist Cycle)

2.1.2 Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC,ST,OBC,Divyangjan,etc.) as per applicable reservation policy (during the last five years.)

#### **Response** :

Sl. No.	Contents	Page ( Fromto)
1	Scan copy of the letter issued by State Government indicating the reserved categories.	02-96
2	Number of seats year wise earmarked by the State Government for the reserved categories.	97-109
3	Final Admission list of students (first year Admission) indicating their category published and signed by the Principal.	110-190
4	Final Admission extract of the first year student's (ST,OBC,SC).	191-191



วนาเทยน พานา บนเทร

PRINCIPAL Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

विश्वविद्यालय, अम्बिकापूर (छ.ग.) सरगजा

(छ.ग. विश्वविधालय (राशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित) Phone:- 07774-222789, Fax:- 07774-222791 email:- registrarsua@yahoo.in

क्रमांक:128'8अकादमिक / प्रवेश मार्गदर्शिका / 2017 अम्बिकापूर, दिनाक10/6/2017 प्रति.

- 1. विभागाध्यक्ष / प्राचार्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संघटक महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग)
- प्राचार्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग)
- शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सन्न 2017–18 के प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धान्त । विषय :--
- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी–30 द्वितीय एवं तृतीय तल सन्दर्भ :--इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 445/138/आउशि / समन्वय / 2017 रायपुर दिनांक 02.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भाकिंत पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग के सन्दर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2017-18 हेत् प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है।


अतः सन्दर्भित मार्गदर्शिका की छायाप्रति संलग्न भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त 2017–2018 में दिये गये प्रावधानो का कडाई से पालन करना सुनिष्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(बिनोद कुमार एक्का) कुलसचिव

प.क्रमांक प्रतिलिपि

- अकादगिक / प्रवेश मार्गदर्शिका / 2017 अम्बिकापुर, दिनांक / / 2017
- 01. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के सादर सूचनार्थ।
- 02. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को उनके पत्र क्रमांक 445/138/आउशि./समन्वय/2017 नया रायपुर, दिनांक 02.06.2017 के संदर्भ में।
- 03. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण/सहायक कुलराचिव (परीक्षा)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) यी ओर सूचनार्थ।
- 04. प्रोग्रागर, रारगुजा विश्वविद्यालय, अग्विकापुर(छ.ग.) को इस निर्देश के साथ की वे संलग्न प्रवेश गार्गदर्शिका को सरगुजा विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें। ATA HEIRETRY
- 05. सम्बन्धित नरती।



(डी.पी.एस.तिवारी) गिशेष कर्तव्यरथ अधिकारी (अकादगिक)

Govt. Maa MahSCallfied With CamScan Dist-Manendragarh

Scanned with CamScanner

PRINCIPAL

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक-सी- 30 द्वितीय एव तृतीय तल इन्द्रवती भवन, नया,रायपुर(छ.ग.)

कमांक / भूमार्ड 138 / आर्टाश / समन्दय / 2017

रव्यपुर दिनाक **39 / 06/ 2017** 

ufa.

1.	कुल सचिव
	त्तमस्त विश्वविद्यालय
	छत्तीसगढ़ ।
2.	प्राचार्य,
	समस्त अग्रणी महाविद्यालय
	छत्तीरगढ ।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विमाग का पत्र कमांक एफ 17–95/ 2017 / 38–2 नया रायपुर,दिनांक 29.05.2017

#### 

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संख्याओं के लिये सत्र 2017—18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत जारी किये भये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2017—18 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2017–18 में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करावें ।

संलग्नः - उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

(डा. किरण गजपाल) संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.) रायपुर,दिनांक्र्?्र्र (०€/ 2017

पू.कमांक/भभ५ 138 / आउशि/ समन्वय/ 2017 प्रतिलिपि :-

1.

अवर सचिव छ.ग. – शासन, उच्च शिक्षा विभाग की और सदर्भित पत्र के रादर्भ में सूचनार्थ। क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, जब्द शिक्षा विलासपुर/जगवलपुर/अंबिकापुर की और सूचनार्थ ।

क्षेत्र महाविद्यालय शामना वेष-2 Typ\_atten DRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.) संयुक्त संज्ञालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ ग.)

#### Scanned with CamScan

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ःमंत्रालयः महानदी भवन, नया रायपुर -----00------नया रायपुर, दिनांक 2 9 MAY 2017 क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश विषयः– मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्। आपका प्रस्ताव कमांक 68/आउशि/समन्वय/2017 संदर्भः– -----00-----विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें। छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की रनातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संख्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्नः- उपरोक्तानुसार। ्अवर सचिव छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर, दिनांक 2/9 11 में 22017 पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17–9522017/38–2 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर। प्रतिलिपिः– स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया 1. 2. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.। 3. 4. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। गार्ड फाईल 5. Ellauro अवर सचिव छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग PRINCIPAL Go**v**t. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.) Scanned with CamScan

छत्तीसगढ शासन तत्व दिह्या विभाग फत्तीसगढ के साराकीय / बसासकीय महाविद्यालयों क<u>ी रन्छ तथ्य रनातकोलर कक्</u>साओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धात राज 2017 - 2018

#### ⊤ પ્રયુથિત

- ते अर्थ प्रदेश सिद्धान गतनीरागढ़ 1 तमी जामकाय जगाय नाथ माविद्यालया. में घल्तीसगढ विद्यो वियालय अधिनियम 1973 के तथा अध्यादेश क्रमाव ६ थ्या र के प्रावधान के साथ सहप्रति करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्रचार्य इनका पालन युनिविचत,करेंगे।
- 12 प्रवेश के भियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशाय स्नालक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम संमेस्टर तथा स्नातकोल्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

#### 2 प्रवेश की तिथि —

# 21 - प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना --

आवेवक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेवन पत्र समस्त प्रमाण पत्रो सहित निर्धारित दिनाक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेवन पत्र जमा करने की अतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अकसूची के आवेवन पत्र जमा किये जावे।

# 2.2 प्रवेश हेतु अंतिग तिथि निर्घारित करना :-

रधानातरण प्रकरण को छोड़कर <u>31 जुलाई तक प्राचार्य</u> रचय तथा <u>14 अगस्त तक कुलपति</u> की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारम होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि स 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के रधानातरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिवत होने पर ही सन्न के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यनार यहण करने का प्रमाण–पन्न प्रस्तुत करना एव आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि क पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

रपष्टीकरण ----

2.11.211

भावदक को ने किसी अन्यन्न रथान (अ) के महाविद्यालय म नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश अभा था। उसके बाद उसके पालक का ख्यानातरण स्थान बा में हो गया इस ख्यान (ब) के 200 किया महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त ख्यान होने पर ही उसे प्रवेश दिया 200 किया महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त ख्यान होने पर ही उसे प्रवेश दिया 200 किया महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त ख्यान होने पर ही उसे प्रवेश दिया 200 किया महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त ख्यान होने पर ही उसे प्रवेश दिया

া মন্য বাব বিদ্যালয় ব ा ग महाविद्यालय न प्रवेश तक वादन – अंग प्रकृष्ट्र ग 1. सिंगु सितारित अंगम त्रिधि में २ न लाने के बाद आवदक (ख, का प्रवेश नहीं दिया जा १५०ता।

- पुनर्मूल्याकन में उत्तीण छात्रों के लिए प्रवेश की अतिम तिथि निर्घारित करना -23 हितो सकाय के अतिरिक्त अन्य सकाया क पुनमूल्याकन में उत्तीर्त छात्रा को पुनमूल्याकन क, ो म धाणित होन क 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय क कुलपति की अनुमति के पण्चात् गुणानुकम् में आने पर प्रवेश की पानता होगों। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होन पर भी महाविद्यालय में रथान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वी कक्षा में पुनमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को-भी रथान रिक्त हान पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- प्रवेश संख्या का निर्धारण :-3

-----

- महाविद्यालयो में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध 3.1 उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एव स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व मे दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचायं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र सख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करे तथा ''उच्च शिक्षा सचालनालय /उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए ख्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एव तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित 32 मापदण्डो के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश ग्णानुकम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / खशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्यंक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- प्रवेश सूची :-4

Procede Materia Schuler (\* 1918)

- प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निधारित अतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु 41 चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।
- प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर 4.2 प्रमाणित किये जाने एव ख़्यानातरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुगति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद रथानातरण प्रमाण–पत्र पर विया गया की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।

5HIJM

# Scanned with CamSca

4. T.

कर दिया जाये।

- घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद रथान रिक्त होने पर सभी 14 कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से पसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- स्थानातरण प्रमाण–पन्न की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। 5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमे मूल खानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- महाविद्यालय के प्राचार्य रथानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित 6 गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड आदि में सलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहा कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिनांक 7 10.09.2014 अनुसार ''राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक रतर की छात्राओं को शैंक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।'' का पालन किया जाए।

प्रवेश की पात्रता :--

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :--

- छत्तीसगढ के मूल / स्थायी. छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र (क) सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा सचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी रथान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्धं विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको के ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी। (권) आवश्यकतानुसार सबंधित विश्वविद्य लय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पहि (刊) ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

रक्षान महाविष्ट

# स्नातक रतर, नियमित प्रवेश

- 10+2 परीक्षा उत्तीणे आवदेकों का रनातक प्रथम वर्ष म नियमित प्रवेश की पाउँता (T) होगी। किन्तु वाणिज्य और कला सकाय के आवेदका का विज्ञान राकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वीएससी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी सकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- जनातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीणं आवेदकों को उन्ही विषयों की (ख) कमश द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। रनातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
- स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :--53
  - बी कॉम / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को कमशः (क) एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर. बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम एस-सी / एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम रोमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर (ख) द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेंगेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-(刊)
    - 1. रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखर्न वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश-लेना अनिवार्य है।
    - 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
  - विधि संकाय नियमित प्रवेश :--5.4
    - रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की (क) पात्रता होगी।.
    - विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल एल एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की (편) पात्रता होगी।
    - एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एव एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता (刊) होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेंगेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
    - प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-5.5
      - विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्न'तकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक्र (क) प्राप्त आवेदको को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

Prayesh Marudarshika Suldhant 501215

Scanned with CamScanner

3

NEH->ETT BAR COLVETT OF INDEX MEDICAL COL>EFFT OF INDEX # अनुमादित पाल्यकमो म प्रवेश संतालन पर संयतित रुख्य ज पावधान प्रमावी होग।

6 रागकश परीक्षा -

S. dette

- 61 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी वे एस ई.) इडियन कोसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई सी एस ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पाप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यत भारत में रिधत विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाए छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम सचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार छत्तीसगढ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केन्द्रं/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छान्नाओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहों है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52 / 2013(सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अन्सार –

जैसा कि आपको ज्ञात है आशिक कार्य विभाग, वित्त मन्नालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता सरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मन्नालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता सरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये रामस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पन उच्च शिक्षा से एव स्तर 1 से स्तर 1 जन के प्रमाण पन स्कूली शिक्षा के झेन्न से सम्बद्ध 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवी,क्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोडों द्वारा छान्नों सम्यान प्रकारित किया गया है। जैसा कि एनवी,क्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोडों द्वारा छान्नों समस्तरीय प्रमण्ण पत्र वजन किये जा रहे है। ऐसे छान्न एनएसक्यूएफ के स्तर 4

scannea with Camso

के प्रमाणित स्तर सोध्य 10+2 शिक्षा क<u>ा वर्ण</u> 2014 सक रामल कर प्रायम मानव संसाधन विकास मजालय भारत सरकार ने आशका जताई ते कि एस छात्र जो विद्यविद्यालय एव महाविद्यालय में रनातक पूर्व किसी भी पाठयक्रम न दाखिला लने के इच्छुक हे तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसाधिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में हांगे। अत मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विद्यविद्यालय एव महाविद्यालय में अन्य किसी भी रनातक पूर्व पाट्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किय जा रहे हो तो जस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।

7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :--

Proveste Klausda stoka Sout thosa So-

- 71 रनातक स्तर तक बी.ए /बी.कॉम./बी.एस.-सी./वी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवंश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ के बाहर रिथत विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से रनातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एव विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एव अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुगति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- 8. अरथायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अरथायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ...

8,1 10+2 तथा स्नातव स्तर की प्रथम/दितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्ट्योट) प्राप्त ' नियमित आवेदकों हो अगली कक्षा में रथान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश जे की प्रता होगीत .8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/दितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त महारकों को अगेली 'कक्षा में अरथायी प्रवेश की पात्रता होगी।

# Scanned with CamScan

(6)

विधि रनातक प्रथम / द्विवीय ११ म नि ॥रिन एंटोगर ५० प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदको को अगली\_कक्षा में अखगयी प्रवेश की पत्रिता होगी।

उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड 1 एव 2 के आवेदकों को अख्यायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। 8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अरथायी प्रवंश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अरथायी प्रवेश स्वत 8.5 निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अखायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा

प्रवेश हेतु अर्हताएं – 9

AL THE

A RA

- किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विमाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त 9.1 छात्र/छात्राओं को उसी रांकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहं नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानातरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण 9.2 चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नही देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के 9.3 आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गटित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- प्रवेश हेत् आयु-सीमा :-9.4

Prayments Manufacture - Set Direct

- रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर पूर्वर्द्ध / प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से (क) अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मन्नालय / कार्यालय (편) तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रो अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वग्ले छात्रो पर लागू नहीं होगा।

विधि सकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किय (刊)

Scanned with CamScan

स्थापना वर्ष-2

Scanned with CamScanner

anth CamSCal

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे. अन्य कम यथावत रहेगा। 11.3 अथवा उसके निवास आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान रथान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों 11.4 क आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को ्गथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास रथान/तहसील/जिलों में स्थित यु स्पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालन में आवेदित विषय / विषय समूह के स्त्री महाविद्यालय स्थापना वर्ग-2010 क्रुधिययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने वे एव गुणानुकम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

- प्रथम वर्ष रनातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—-उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा। 11. स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण 11.1 नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी 🔊
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी। (ख) अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी। 10.2
- उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा (क) विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो

**(**)

- उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी सकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। 9.6 प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्घारण :--
- विधि सकाय को छोडकर अनुस्चित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/नि सन्त अभ्यर्थी / महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय संवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने, वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के
- (घ)—संस्कृत महातिद्या<u>लय म</u> प्रधन हतु स्नालक प्रथन टप म 25 वर्ष तथा <del>उत्तटक</del> पूर्व/प्रथम संमंस्टर में 27 वर्ष सं अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता जही

9.5

10. 10.1

11.2

Sile the

ला-कोरिय

ALL 10 10 101 118

परन्तुं उपरावन प्रायतन स्वशाली महाविक तथा अर्थनण ताक नाथ लाग (कसी एक दिषय <del>दव</del> स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी का अन्य विषयाको स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेख महाविद्यालय में रथान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकगा।

12 आरक्षण-छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सन्त्र में प्रवेश में सीटा का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक सरथा में इसका विरतार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात्
  - (क) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुझप्त संख्या में से <u>वत्तीस प्रतिशत</u> सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - (ख) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुझप्त संख्या में से वारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
  - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुझप्त संख्या में से <u>चौदह प्रतिश</u>त् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है. तो इसे अनुराूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें. अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
  - (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्भिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिथति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से <u>3</u> प्रतिशत् रथान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्भिलित गुणानुकम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार गेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भर्मा मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

10

Procesh Matedarshis / Soldhard 201715

0

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScan

स्यापना 14-2010

min-altan

1

आरक्षित स्थान का पतिशत 172\_रा कम अपत ह<u>तों अ</u>त्रक्षत स्थान उपलक्ष नहीं ह

- 1/2 प्रतिशत् एव एक प्रतिशत् केऱ्यीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी। जम्मू–कश्मीर विस्थापितो तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.8 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमाक डब्ल्यू पी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल राविसंस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनाक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।
- अधिमार :-13.

127

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा. अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

# 13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एरा. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- एन.एस.एस. / एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत (क) 03 प्रतिशत एन एस एस. / एन.सी.सी ''बी'' सर्टिफिकेट
- (ख) या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- 'सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स (刊)
- राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता (**U**) में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को
- नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ 05 प्रतिशत (च) के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को
- राज्यपाल स्काउट्स (13)
  - राष्ट्रपति स्काउट्स (ज)

Soldhant Sol7 8

महाविद्यालय

AST.

- छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन सी सी केडेट (31)
  - ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अ गर्ड प्राप्त एन.सी.सी केडेट भारत एव अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोगाम में भाग लेने वाले कैडेट, एन सी सी / एन एस एस के लिए
- ०५ प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 মনিয়ান

04 प्रतिशत

भवमित एव प्रवा<del>स कर</del>ने वाल कडत को अन्तरांग्ट्रीय\_\_\_\_

15 प्रतिशव जम्बूरी के लिये वगनित होने वाल विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आनर्स विषय पाठयकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी का रनातकोत्तर 13.2 कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

- खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपाकन प्रतियोगिताए 🗕 13.3
  - लोक शिक्षण रांचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर (1) जिला. संभाग स्तर अथव। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :--
  - प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (क)
  - व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (ख)
  - उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित (2)अर्न्तसभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :--
  - प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत (क)
  - व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (ख)
  - सभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को ०५ प्रतिशत (ग)
  - भारतीय विश्वविद्यालयं संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (3)
  - आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत (क) करने वाले को
  - प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम 12 प्रतिशत (편) के सदस्यों को

10 प्रतिशत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को (刊)

- भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल 13.4 एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सास्कृतिक/साहित्यिक/ 10 प्रतिशत कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को
- छत्तीसगढ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :– 13.5 10 प्रतिशत
  - छत्तीसगढ / म प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के (क) सदस्य को
  - प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की 12 प्रतिशत (I) AUTA HEILIGOTA टीम के सदस्यों को STRUSS, 01 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विख्थापितों तथा उनके आश्रितों को

Scanned with CamScanner

after to

स्तापना 11-2010

विशेष प्रोत्साहन -

छत्तीसगढ राज्य एव महाविद्यालय के हित में एन सी सी / खलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी.सी के साद्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा सब्द्रीय एव अन्तर्साष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पान्नता है कि .-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को सवालक खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी वार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :--

रनातक/रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों। शोध छात्र :—

15

An 16

Maredaistoka Subliana (10.7-x

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय स्वर्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना प्राध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप

11

Scanned WIIN CamSca Scanned with CamScanner कार्य प्रगति <u>रिपोर्ट</u> प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा झोघ शिक्षक का देतन आहरित किया-जावेगा

महाविद्यालय में पदरथ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानातरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था. शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16

जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को 16.1 निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिधत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य

- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को 16.3
- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त 16.4

अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा। प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए 16.5 स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन 16.6 /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।


. 14

(डॉ. क्रिंरण गजपाल) संयक्त संचालक उच्च शिक्षो संचालनालय नया रायपुर (छ.ग.)



Scanned with CamSca

1.



क्रमाक **१०६३**/ अकादमिक / प्रवेश मार्ग / २०१८ प्रति

 रागरत विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग सरगुजा विश्वविद्यालय, अभ्विकापुर (छ ग)
 प्रान्मयं

विश्वविद्यालय अगियात्रिकी महाविद्यालय. लखनपुर–अग्विकापुर (छ.ग.)

3 प्राचार्य समरत सम्बद्ध महाविद्यालय सरमुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय - शैक्षणिक रात्र 2018–19 के प्रवेश गार्गदर्शिका रिद्धांत।

संदर्भ – कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन, सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नया संयपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1702/325/आ.उ.शि/समन्वय/2018 नया रायपुर, दिनांक 06.06.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भाकिंत पत्र के सन्दर्भ में उल्लेख है कि शैक्षणिक सन्न 2018-19 की अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त गार्गवर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर ही प्रवेश देना

सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अभ्विकापुर, दिनाक / 06 / 2018

पृष्ठांकन क्रमांकः /अकादमिक/ प्रवेश मार्ग./2018 प्रतिलिपिः

- माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अग्विकापुर जिला-सरगुजा (छ.म.) ।
- 2 अपर संचालक, उच्च शिक्षा, छ.ग. शासनं, सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

3 कार्यालयीन नस्ती।

Storing Man Martes राहायक कुलसंचिव (अकादगिक) ANIAUN मापना व PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

9:06/18

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा क्लॉक−सी−3 हितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन, नया रायपुर(छ ग)

नया रायपुर दिनाक 🧲 / 06 / 201-

केल -	चित	
रागरत	विश्ववि	रालग
छत्तीन	$\mathbf{\eta}_{t_{x}}$	
U17172		
रामरत	अग्रणी	महाविद्यालय,
চারীক	गदः ।	

111


छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018–19 हेतु प्रवेश विषय :--मार्गदर्शिका सिद्धांत।

अवर राविव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विमाग का पत्र कमांक एफ 17-95/ 111 2017 / 38-2 नया रायपुर,दिनांक 02.06.2018

#### 


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र 🚊 बन नगे: राज्य के शंक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्न 2018–19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वात ज किंट स्य है। प्रवेश नागंदर्शिका सिद्वात 2018–19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एव अपने अधीनरथ समस्त शासकीय /अशासकीय महाविद्यालया । पट के छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2018–19 में दिये गये प्रावधाना *।* कर है से पालन करना सुनिष्टिवत करावे ।



अगर संचिव छ ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग को ओर सदमित पत्र क सदभ म

र गर्भ र १९ / आउशि / समन्वय / 2018





PRINCIPAL Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan

Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

सुबनार्थे।



संयुक्त सम्वातक जच्च शिक्षा नया रायपुर (छन)

(डॉ किरण गलपाल सयुक्त संचालक उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ ग

नया रायपुर,दिनाक 🚬 06 - 2011

# Scanned with CamScan

छत्तीसगढ़ शासन छत्तीरागढ के शाराकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की रनातक तथा रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2018-2019

प्रयुवितः -1.

12

11

ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों – में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेगे।

- प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश से आशय रनातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेरटर तथा रनातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।
- पवेश की तिथि :--2 2 :

रवेश हेतु आवेदन पन्न जमा करना :--

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रनाण ग्त्रो सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवंश ें लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा ावना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड∕विश्वविद्यालय हारा अकसूची प्रवान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्रावार्य द्वारा प्रमाणित िव्यं जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

प्रोश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-22

रम्पानांतरण प्रकरण को छोडकर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की न गिति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तः ॥ अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रांरभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की रि ति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 िन तक अथवा विश्वविद्यालय∕बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन (2) ना भी पहले हो मान्य होगी। कडिका 51 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानातारेन त पर प्रमेश की अंतिम लेथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त हर पर ही सन्न क दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अतिम तिथि क पूट अ.र. महाविद्यालय भ प्रवेश होने की रिथति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

146 Jacob .-

आवे में किंग किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी व लिए भा। उसके बाद जसक पालक का स्थानातरण स्थान "ब" में हो गया टक क 12 d main



# Scanned with CamScan

12 र प्रांश नहां हिया फिन्तु पालक के स्थान (a) पर स्थानांतरण होते ही स्थान े अले महाविसाल्य में प्रवेश लेना चाहता है अले अब प्रवेश के लिए निर्धारित अगिम १४ : जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

पुनमूंख्याकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्घारित करना --े अलोरेक अन्य राजायों के गुनमूल्याकन में उत्तीर्ण छात्रों का 'नुनमूल्याकन क ्रात्र रोजर होगे के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुल्पति की अनुमति के ्र गुण्लुकम में अभे पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में ्र राग हे आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में रथान रिक्त हान पर ही `= aritri + 12 a' कक्षा में पुनर्मूल्याकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी रथान रिका 

वोध सख्या का निर्धारण :-्हो रालियों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध ्यात रण उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई ुण र रूएय: (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावगा। ा र पाचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तन अपना परलाव उच्च रोक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय ्रत शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की

विह समातक प्रथम, द्वितीय एव तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित माण राखों जे अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) मे प्राण गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा पार्च के अंधा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य ... । महागिद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश सख्या के अनुसार

े देखेक कहा में आदेवकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :-4

3.1

- त गरो तारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु ा प्रतन हिलाशियों की अहंकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एव जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार a 1 जे र कुल प्रणताको की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई
- प्रांश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान यस 1 गणा । पोधे जाने एव स्थानातरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात हो पवेश - 2

मा बरने की अनुमति ही जायेगी। प्रवेश देने के तल्लाल बाद रस्ताविकाल u - प्राण्णविया ।या वी महर लगाकर उसे स्द्व करना चाहिये/

Scanned with CamScan

affen

नेधोरित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात श्वानातरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

- गापेल प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर समे हक्षाओं में निचमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त जग से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति, नहीं 1) जायेगी।
- 45 थानातरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेंट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। अन्मतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की रिथति में, विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने ने "प आई आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृन "रेपार्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एव दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की रिथति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेत् विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 46 ःहाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से सबंधित नोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि में जलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय दे प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 17 धत्तीसगढ शासन, उच्य शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिंगाक 1092014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक रात्र की छात्राओं को शैक्षणिक सन्न 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।
- 5 प्रवेश की पात्रता :-

1.4

- 51 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
  - (->) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कपनी के कर्मचारी राष्ट्रीयकृत वैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक सगढनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है. उनके पुत्र/पुत्रियों एव जम्मू काश्मीर के निर्ध्यापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेना उपरावतानुसार प्रवंश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एव अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा राकता है।

रम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अनेकरों । रीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश को पालता होगी। जनश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पालता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् के आवेदक को प्रवेश पदान किया जाए।

# scanned with Camscan

र गतक स्तर, निधमित प्रवेश -

10-19 मगरण स्टीम्ले अ**वेदको का रन्तालक प्रथम तमे म निर्धारन प्रथर** ता <sup>जन्द</sup>ा ( ) ) ) न ) जागित्य आर कला सकाय के आनदकों को विझान सकाय में द्राण नेत. फरन सामगा। बीएस सी (मृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी सकत्य स उत्तात साम न। प्रतेश की धालता होगी।

ातनेन रतार पर प्रशम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्त्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषया के नुमेश 'द्वेतीय ं तत्तीय वर्ग में नियमित प्रवेश की पात्रता हागी। स्नानक द्वितीय स्तर ''' जिल्य परिवर्तन की पाञना नहीं होगी।

नातकोत्तर स्तर नियगित प्रवेश :-53

- ीकोग ्वी एस सी (गृह विज्ञान)∕वी.ए. रनातक परीक्षा उत्तीर्ण व्यवदका का व्यव ्म ताम अपने एम एस सी. (मृह विज्ञान) / एम ए – पूर्व / प्रथम सेमेस्ट र एव. अहं हाण जिप Ĩ. ल्यकर दे एस सा उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश न पात्रला होगी।
- रनातकोत्तार प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदको को उसी विषय के स्नातकोत -हिनीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परेश (臣) उत्तीणं आवेदको को अगले सेंगेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियम :--1- 1

- 1 रनातकोत्तर प्रथम रोमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आच्चार प्रवंश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेख अनिवर्ध क
- ू रनात को तर तृतीय सेंगेस्टर में ए टी के टी (Allowed To Keep Terms) नियमा -अनुसार पत्त्र आवेदकों को अगले रोगेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रल आगे।
- विधि सकाय नियमित प्रवेश :j i

कोरिय

- रनातक प्रशिक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमिल प्रवेर म 1.1 गात्रतः होगी।
- टिभि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवर्ण 🦈 (1)प त्रता झगता
- एनएलची प्रथम संगेस्टर एव एलएलएम प्रथम रोगेस्टर परीक्षा उत्तीण जाधान 1.01 (मन नजरन्त्री) तिनिय संगेरतर एव एलएलएग दितीय संगरन्त्र में ज्वेर तो न 1111

प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा --

"विधि रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अक सामा 45%(अनुसूत्रित जनजानि∕अनत्त्रीतत जाति हेतु 40%) हागी। तथा विधि रनातकोत्तर प्वाह में 55% अक (अनसचित जगजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.धी.सी हेतु 50%) प्रण्त आवेदको का

ALTE/NETE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIAL से अनुमादित पाड्ाकमो में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे ।

स 1 581 परीक्षा – सेन ल गोर्ड ऑफ सकेण्डरी एजुकेशन (सी.वी.एस.ई.). इडियन कॉसिल फार मेकेण्डर एन हेशन (आई सी.एस.ई.) तथा अन्य सज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बार्ड की 10+2 की परी.गए गाण्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की परी.गए गाण्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की

र 1 सन्दन्न विश्वनिद्यालयों से प्राप्त कर सकत ह। सा गन्यत भारत में रिश्वत विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय सघ (एसोरिएशन ऑफ रूर्तू ग्वरिंटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा क रागकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित रागकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित रागकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित रागकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित रागकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित त ते हैं किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय द ते हैं किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय त तुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्दशानुसार छत्तीसगढ राज्य के बाहर के किसी नी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संरथ्या को छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ केम्पस त दि खोलकर छान्न-छान्नाओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐर्फ संख्याओ से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

62

54

0

0

रूरथाओं से डिग्री/डिप्लोमा वंधानिक रूप से नाप गेल होगा. 3 र ग्वद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एव िश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विद्वीन िश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध

भिश्वविद्यालय से प्राप्त करें। तमें 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Leans work) के अतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक उत्तर Leans work) के अतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक उत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता

त्वान की जावे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमाक 52 / 2013(री'सी / एनएसवयूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

52/2013(संग्सा/एनएसवयूएफ) अप्रत. 2014 में उप्रताय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय "जैसा कि आपको झात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय होशल अर्हता सरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसाधिक शैंक्षिक अर्हता सरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किय गये समस्त महत्वपृज्ञ या नो निर्मा कि किया गंगा है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित 'केया गंया र कि यह या नो निर्मा किया गंगा है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित 'केया गंया र कि यह या नो निर्मा किया गंगा है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित 'केया गंया र कि यह स्वत महाकित् स्वापना क्रं-2016 में प्राय किये गंये स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिशा के क्षेत्र से सम्बद्ध प्रायम के 2012 में पारंग किये गंये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डा द्वारा छाज्य पारंगकम प्रस्तावित किये गंये आरे एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डा द्वारा छाज्य

## Scanned with CamScan

ं प्रमाणि । स्तर सहेत १०+२ शिक्षा को वर्ष २०१४ तक सफल कर पायेगे। मानव संसाधन जेक स मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एव गहां दिगलय में रनातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पाल +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी रिथति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनु 19 हे कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्ताक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों क अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रो का क्षेतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवरार मिल सकें।"

बह्य आवेदकों का प्रवेश :-7

6

10

8.

कोरिया

शासकी

रन नक रतर तक वी ए / बी.कॉम / वी.एस.-सी. / बी.एच एस-सी में एकीकृत पाठ्यकम लागू हान से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष 71 की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहो मे अचेदको ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया ज ते। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये। उत्तीसगढ के बाहर रिथत विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर जी 2

प्र मम् दितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय संमेरटर परीक्षा एवं विधि रनातक रतर की प्रथम/द्वितीय वर्ष वा परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पन्न देना होगा किसी ाचा ों प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते ए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य ो आवेदको द्वारा प्रस्तुत वस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय स कराय।

विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को रथान रिक्त होने पर तथा र नाविस्टालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य 7 ?

करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है। अखायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व

अरथायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :--्रतंत्रा रनातक रतार वर्ण प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पुरक परीक्षा (जम्पार्टमेट) प्रण्त ANT HEIREIRS

आचदको को अनली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रदेश की पात्रना होगी। स्यापूना वर्ष-थ्याः) में जित्तर रागेरटर प्रथम, द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदको को जिन्मान

ोर्ड स्त । प्रचम दिसोब वर्ष में निर्धारित एग्रीमेंट 48 प्रतिशत पुरा न करने वाल्ट : परंक ा १२५२ - रा जगती कक्षा में अस्थायी प्रतेश की पात्रता होगी। · भार हरू से एवंट के आवर्कों का अखायों जोश का प्राय के लोग । () प्रेशना में अनुत्तीर्ण होने पर अरथाया प्रवेश प्राप्त छान्न/छ नातम का अरथाया प्राप्त सन्ते

निर र ा जायमा उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में केन्य किय

111 11

0

10

प्रतः हेत् अहंताएं – किनी भी महाविद्यालय∕विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छा / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी -1 योग 10-भी छाल ने पूर्व सल में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो एस तो व b नियभित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानातरण प्रमण्ण प्र रा पर ''हरा प्रताणित हो कि पूर्व में तराने प्रवेश नहीं लिया हु आधार ल

ेत मन्त्रता प्रदेश विभाग ित को विरुद्ध न्यायालय में वालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपसोधिक प्रवार ह कर रह हो, परीक्षा में या पूर्व सन्न में छात्रों∕अधिकारियों∕कमंवारियों व. सॉफ 07 ्र ीह न गरपोट करन के गभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार वर्षरतकित नहीं दुस

11 रम छाड/ छात्राओं का प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। (a) दाराय में तंडकोड करने और महाविद्यालय की रांपत्ति को नष्ट करने वाले/ शेर्म , b) ा यणी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य आवेकत का - 3 ण गर्भ इस हेल् स्थिति महित कर जॉब करवायें एवं जॉब रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरुग 1.5 नाम एस छक्त-छातानां को छत्तीसगढ राज्य के किसी की शासकीय, तश सहर । त्रित्ताच्याः प्रदेशन्त दिशा आवे (

प्रनेश हेतुः आयु—सीमा :--9.4

ARTA HEITAEINS

- ग्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नालकोल्तर पूर्वाई/प्रथम संगेरतर में 27 प्र<sup>1</sup> त हाराक आयु क आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की मालन जा एव 1 1 म क एक जुलाई की रिथति में की जायेगी। डिप्लोम एव रन्म कारतर 12.200 -जार ेत् ज्वणीरेत अधिकतम आयु सीमा सामान्यत २७ वर्ष भान्य की जाएगः
- आगु सीमा का वधन विस्ती भी राज्य सरकार भारत सरकार के म तलक दे गया. ्रण जन्मे द्वारा निययित सरथाओं द्वारा प्राथोजित व अन्शासन प्रत्याधिय 🙃 11 ्यान्त्र प्रायत्वन किसी क्रिस स्टब्सर दास जन्शारा यात्र ----टो, मन गर्भ दावर जणना निदेश से अध्ययन के लिए विदेशों स्टा म का एत एत

नरन करने तान छात्रा पर लागू नक्षे समा

ल सनभग म इन्हा हत् अधिकलम आयु रामा का प्राप्तान सम्पत्न भाग

# Scanned with CamScan

च,ं सरकृत महाविद्यालय में प्रवंश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकाल र पूर्व / प्रथम संगेरतर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

) गणा पत्तव को जाउतक अन्सतित जाति / अनुस्थित जना (२००१२०००) । त आ उज्ज इंग्लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेंगे। आवदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेंगी।

एक निमान सरको 7 अशासकीय संवारत कर्मचारी की उसकी दनिक कांच की अवोध म ज्यान बात महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दनिक कांच कर्नेच्य प्रवध ह जरा तरान वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवदक हुए नियम्हा क अग की प्रमाण-पन प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

पर किसा सकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकर्ण्या के उत्तव पाउनकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

प्रदेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण -

0

- ्य २२ मा स्म वियः आवेदक होने पर प्रवेश भिम्मानुरणर भूग नुक्रम स्मिन्मा मध्यम
  - रात के एवं स्तातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हतु अईकारी प्रशेक्ष के प्राताक एवं आंतर देय है तो अधिमार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
  - (ल) भिधि स्तालक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो लें क चिद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 जन रक्षित एव आरक्षित श्रेणे। के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावगी।

प्रवः। हेत् प्राथगिकता :-

महाविद्यालय

Talla

ाः । प्रधन वर्ष स्नातक/ स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्डकारे परोसा म तत्व प्रधन वर्ष स्नातक/ स्वापूर्व सियामेल परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।

- ्र ्रस्तित्वः अगती वस्ताओं में प्राथमिकता का आधार अहेकारी व्यसम्म म हिस्तम, लोग मृतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व रात्र के नियमित स्ताय के तिर वियन्त्र जन्म न होगा।
- 1-3 कि सकत्य की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परत् 48 एगोर्गर प्राप्त कि त्यान्त का प्रार्थांगकरण के आधार पर प्रतेश दिया जावे, अन्य क्रम संभावत न्द्रमाह
- 4 सम्बन्ध सर्वे इन्द्रेकारी वरीक्षा उत्तीर्ण करने के रथान अशता प्रतन निजन स्वान कर्साल मंत्रिल मंत्रिल में स्थित मा आसपारा के अन्य जिले के संगीपरंथ स्थाना पर हिन्द ने नेडव लगा में अनेदिल विषय विषय समूह के अध्यापन की सुविधा हान पर रेगे लगादेन पुत्र विचार ने करने दूर उस विषय, घोष्ट्रय समूह में प्रवंश के प्रणाण दृत्र का

[ स्वान न । ''' स्वान से लगे अन्य जिसी के समीतरण स्थान जन्मजेदना ज

त्र र प्राण क्या जाव अववक का विवास ख्यान जनसोला का ते में रहता. अन्य किया के समीवरण खिल महाविद्यालय में आवेदित किया विषद सम्बद्ध

# Scanned with CamScan

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त नहन पर एव गुणानुकम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी। परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा. किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश 115 महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

•

आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-12

6

RITHON &

प्रत्येक शैक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका 121 विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा. अर्थात् :-

- अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से वत्तीस प्रतिशत (क) सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुइाप्त रत्त्य्या में ते बारह प्रतिशत् (ख) सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्तित रहेगी।
  - शध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में यार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् (可) सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियो की अनुपलव्यता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत छम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी. जहाँ खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें. अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं. तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

हर्न विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उध्वधिर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भुतपूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सेनिक, स्वतंत्रता संग्राम त्रवान महावर यावितया, माहलाआ, प्रध्यस्य प्रधाय वर्गों के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का भेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का कोतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के स्यापना वर्ष-2010 प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्घ्वांघर आरक्षण के भीतर होगा।

कोरिया (अ. 12.3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगे। निःश्वित श्रेणी के आवयको के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेते.

- सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगे। 124
- आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अर्क पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन 125 काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूबी में रखा जाता है, तो आरक्षित अणी की तीट यथावत् अप्रभावित रहेगी परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रतः सम्राम रोनानी आदि

4

1					
L		7	1111		
1	-1	र र र र र र र र र र र र र र र र र र र	The te		
1	X	का भी है तो संघर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष सवर्ग			
1	1	भरी जायेगी।	ही होगा		
51	126		T		
1		1/2 प्रतिशत् एवं एकं प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित रथान की संख्या एक होगी। जम्मू–कश्मीर विरथापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए			
Y	127				
	12.8	तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की आएगी। समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।			
E. F	12.9		के निर्णय		
-	12.0	के अध्यधीन रहेगा।	201		
je D	12.10	) तृतीय लिंग के व्यवितयों को भाननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकर डब्ल्यू.पी.(सो) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एव पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है बि	वं अन्य में		
direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and education backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in education institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।					
		अधिनार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राचि हे	तु इसका		
		उपयोग नहीं किया जायेगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्ताको के प्रतिशत् पर ही अवि	देमार देय		
ANT HEI	विद्यालय	ूरोगा. अधिनार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेवन-पत्र के साथ संलग्न करना आं	नेवार्थ है।		
A.		के विवेचन नन्न जमा करने के पश्चात वाद में लाये जाने/ जमा किये जाने वाले प्रमाण	–पत्रों पर		
मासार्थ्य मा	10-2010	10) विनार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र	सर्वाधिक		
E (talls "		ख्यितार ही देय होगा।	£.		
Art-	THE M	चन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स			
Υ -	_	रकाउट्स शब्द को रकाउट्स / भाइड्स / रेन्जर्स / रोवर्स के अर्थ में पढ जावे।			
4		(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिरात			
		(छ) एन.एत्त.एत्त. / एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत			
		या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स			
		(ग) "सी" सर्टिफिर्कट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 🛛 🗠 प्रतिशत			
	(	(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत			
		ने ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने याले छात्रों को			
	(	(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेंड में छत्तीसगढ़ 05 प्रतिशत	l.		
		के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने			
		वाले विद्यार्थी को			
	(	(छ) राज्यपाल स्काउद्स 05 प्रतिशत	l.		
	(	(ज) राष्ट्रपति रकाउट्स 10 प्रतिशत	ſ		
	122	(झ) छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन जी भी केलेल			
			STREET AND A STREET AND A		

A DECEMBER ASSOCIATION DECEMBER

Scanned with

Scanned with CamScanner

 $\mathbf{T}$ 

भारत एव अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम मे N, भाग लेने वाले कैंडेट, एन सी सी / एन एस एस के लिए वयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी कं लिये चरानित होने वाले विद्यार्थियों को 13 आनसे विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर 15 प्रतिशत कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन- प्रतियोगिताएं – 13: लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयाजित जन 1.1 जिला, सभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर सभाग/क्षञ स्तर प्रतियोगिता भें :--प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (**4**) 02 प्रतिशत व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (20) 04 प्रतिशत उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग∕संचालनालय द्वारा आयोजित (2) अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रं य राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता गे .-प्रथम हितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (<del>क</del>) 06 प्रतिशत व्यवितगत प्रतियोगिता ने उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 전) 07 प्रतिशत सभाग⁄क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को ग) 05 प्रतिशत भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (3) आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे :-ट्यवितगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त (5) 15 प्रतिशत करने वाले को प्रथम द्वितीय अथना तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम (15 12 पतिशत हे सदस्यों को धाङ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को (1) 10 प्रतिशत 114 भारत एव अन्य राष्ट्री के मध्य यूथ अथवा साईन्स एव कल्वरल एम चंज पोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कता शेल में वयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत <u>छ तरमुद्ध शासन् / गं प्र</u> से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने XALA HEIREINS रोपगढ़/मप्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के १० प्रतिशत 4 6) वितीय तुनीय खान प्राप्त करते जन्म ----०

STREES.

#### Scanned with CamScan

ममू-कश्मीर के विरथापितों तथा उनके आश्रितों को

०१ प्रतिशत

137 विशेष प्रोत्साहन :-

15

त्रेलीरागढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए जन सी सी. के राष्ट्रीय रतर के सर्वश्रेष्ट कैंडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स नाथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रतर पर आयोजित खेल प्रतियागिता में जाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में सीधे पर्वश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- ) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ शासन हारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- 2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अतगंत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.3 अभ वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सन्न तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर अथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सन्न तक के प्रमाण-पन्न अधिभार हेतु आन्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व तन्त्र के प्रमाण-पन्न अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- 14 पंकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

नातक / रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश गहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकन निर्धारित केया जायेगा. अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर ग्रंथम वर्ष में एक वार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की जनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम जाने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी गह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुकम सूची मे अतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15 গাঁঘ छার —

f,

गता जीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशसा पर पावार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आनेदन पत्ने, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किंगा नावें । शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच—डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय स्था भान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच—डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय स्था भान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अतर्गल भ स्था भान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अतर्गल भ स्था भान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अतर्गल भ स्था भान्य कार्य समय अधिकारी द्वारा पेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एव प्रति तीन माह वृंग

## Scanned with CamScan

कर्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की रिथति म शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आगेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवध उत्ती महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

- 15 विशेष :-
- ७ । जानी प्रमाण न्यत्रों, गलत जानकारी, जानयूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा का मेलचीन अलावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिश्वत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 16.3 प्रवध के बाद सन्न के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिपा विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होग
- (6.4 मंदर के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आप स्वकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए त्यार किश्व / गार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करंगे प्रवेश संबंधी किर्श नी प्रकरण को केवल अग्रेपित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 165 इन वर्णदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त. उच्च शिश विभाग को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन / व 101 का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शारान, उच्च शिक्षा विभाग, मन्त्रालय को होगा।



(डॉ. किरणं गंजपाल) संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ ग)

## Scanned with CamScar

# कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक—सी—3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन, अटल नगर,रायपुर (छ.ग.)

कमांक /2470/ 887 / आउशि/ समन्वय/2019 प्रति, 1.

अटल नगर रायपुर,दिनांक २४ / 05 / 2019

कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय. छत्तीसगढ। 2. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ ।

विषय :--

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्न 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत। संदर्भ :--अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विमाग का पत्र कमांक एफ 17-95/ 2017/ 38-2 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24.05.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

00

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें ।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

(डॉ.किरेण गजपाल) संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर (छ.ग.) अटल नगर रायपुर, दिनांक २५ / ०५ / २०१९

पृ.कमांक /247/ 887 / आउशि / समन्वय / 2019 प्रतिलिपि :--

अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ। 1. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/ 2 अंबिकापुर 🖊 दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)



Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ःगंत्रालयः भाहानदी भवन, अटल नगर जिला–रायपुर

-----00------

प्रति.

क्रमॉक एफ 17–95/2017/38–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक24/5 /2019

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंदावती भवन. ; नया रायपुर।

\*छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्न 2019–20 हेतु प्रवेश विषयः--मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्। आपका प्रस्ताव जावक कमांक 1077 दिनांक 06.05.2019

संदर्भ:-

-----00------विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव की कृपया अवलोकन करें।

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के 2/ लिये शैक्षणिक सन्न 2019–20 हैतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संख्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र मेढेकर)

अवर सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018 प्रतिलिपिः-

- विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया 1. रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर। 2.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.। 3.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। गार्ड फाईल। 4

सचिव

७०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग



PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

प्रतीसगढ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश ; के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2019–20

- । प्रयुक्ति
- 1) य गार्यदर्शक सिद्धात छत्तौं सगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 12 प्रवेश के नियभों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश री आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम संगेस्टर से है।
- 2 प्रवेश की तिथि :--
- 21 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :--

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण प्रत्नों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रवास ए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रूपाय पटल पर कम सें कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय रेपाय प्रत्न गंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्रावार्य द्वारा प्रमाणित कि. जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिग तिथि निर्धारित करना :--

स्थानातरण प्रकरण को छोडकर 15 जुलाई तक प्रायार्थ स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुगति से प्राचार्थ प्रवेश देने में सक्षम होंगे तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की रिखति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक आथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानातरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुन्न-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुन्न-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यमार ग्रहण करने का प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होते की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

रपष्टीकरण :--

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानातरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस-स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जागगा। आवेदक ''ख'' ने ख्यान (ब) में जुटा जयके पालक कार्यटन के किसी क्ष

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् खानातरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

- धोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान सिक्त होने पर सभी [कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा. तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 45 स्थानातरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानातरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ आई.आर. दर्जु किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये। 46 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित मोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि में

संसिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलवन्द लिफाफे में वन्द कर उस महाविद्यालय के पति के प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। छत्ती के शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिनांक 10092814 अनुसार ''राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक दूदर के छात्राओं को शैक्षणिक सन्न 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।'' का पालन किया जाए।

5 प्रवेश की पात्रता...-.

4.4

ALL REAL

איישו ונדיון

Ban

5 1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :--

- (4) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मवारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक सगठनों के कर्मवारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय, महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरावतानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त वोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आर्वेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से ' अर्धकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (4) आवश्यकतानुसार संवधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, के पश्चात्
   ही आवेदयः को प्रवंश प्रदान किया जाए।

2

## Scanned with CamScan

133

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (य) पर स्थानांतरण होते ही. स्थान-(a) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता ह अत अब प्रवेश के लिए निर्धारित अतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2 3 पुनर्गूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

निभि सकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्भूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्भूल्यांकन के परिणाम धोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छान्न–छान्नाओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित, प्रवेश की पात्रता होगी।

- प्रवेश संख्या का निर्धारण :-
- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्रावार्थ महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित भाषदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम-के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4 प्रवेश सूची :-

\* 10120

- 4 1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए. प्रवेश हेतु वयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहा अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 42 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश सन्तर्भ पत्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र प्रवेश दिया गया' की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।

#### Scanned with CamScan

Scanned with CamScanner

13%

## 

- 1012 परीक्षा उत्तीणे आवेदकों को रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवंश की पात्रता (1) हांगी। किन्तु वाणिव्य और कला सकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवंश नहीं विया जायगा। वी.एस.सी (मुंह विझान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्थ छात्रा ह प्रवेश की पारता लगी।
- (54) ज्यातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की प्रशिश उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हों विषयों की कमश दितीय/तूतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पालता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

#### रनातकोत्तर रतर नियमित प्रवेश :--53

- वी को फ∕ वी एस सी. (मृह विज्ञान)∕वी ए. रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश (1.) एग कॉम. ∕ एग.एस.सी. (गृह विज्ञान)∕एग.ए.--पूर्व∕प्रथम सेमेस्टर एव अर्हकारी विषय
  - लकर, वी एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवंश की 3 पात्रता होगो।
- रनातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम रोगेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर (24) तितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। संमेरटर पद्धति की, पूर्व अईकारी परीक्ष उत्तीणे आवेदकों को अगले सेंगेरटर में नियमित प्रवेश की पान्नता होगी।
- रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Ferms) नियम (4)
  - 1 रगातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदको को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
  - 2 स्नासकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Ferms) नियमों के

अनुसार पात्र आवेदकों को अगले रोगेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि संकाय नियमित प्रवेश :-54

- रनातक प्रशेक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की (4) . मात्रता छोगी।
- विभि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल एल एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की (24) पात्रता होगी।
- (ग) एल एल.वी प्रथम सेमेरटर एव एल.एल.एम. प्रथम सेमेरटर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को कमश एल.एल बी. हितीय सेमेस्टर एवं एल.एम. हितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता लंगी। इसी प्रकार वृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू

# प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :—

विभि रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूधित जनजाति∕अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनर्र)वित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदको को



AICTE NUTL-BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाउसकर्मा में प्रवेश ⁄ संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

रागकक्ष परीक्षा :--

6

61

- रान्ट्रल वोर्ड ऑफ रोकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एरा.ई.), इंडियन कॉसिल फार रोकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्रायार्थ, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- सामान्यतं: भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसारिएशन ऑफ 6.2 यूनिवरिटि) के रादरय हैं, उनकी सगरत परीक्षाएं छत्तीरागढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के रामकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संवालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुगति प्रपत नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य के वाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ केम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संरथाओं से डिग्री / डिप्लोगा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा। संग्वद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एव

63

6.4

7 10 1

विश्वविद्यालय से प्राप्त करें। वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक स्तर के पाउ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाते। -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय- रागय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्रावार्य सम्बद्ध

विश्वविद्यालय 31-1417 आयोग के अर्द्धशासकीय 47 क्रमाक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

ेंजैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्ता मंत्रालय द्वारा अधिरायित राष्ट्रीय जोशल अहेता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसाथिक शेक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये मये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह ्रो 10 रतर तक के प्रमाण-पन्न उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण ARTEN I र्वच्य शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है में 2012 में प्रारम्भ किये गये एननीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डी द्वारा छानो 41041470 प्रस्तावित किये गये और एनवीईचयूएफ के अंतर्गत छात्रों को

क प्रमाणित स्तर राहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मन्नालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके वास 12 स्तर में न्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपस अनुरोध है कि जिस समय छान्नों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी रनातक पूर्व पाठ्यकर्मों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को जन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छान्नों को डीतिजिक मत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

73

8

and the second s

- 71 स्नातक स्तरदतक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से छत्तीसगढ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की पशिक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली पशैक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जान आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ के बाहर रिथत विश्वविद्यालय/ रवशासी महाविद्यालयों से रनातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से रनातकोत्तर पूर्व की परीक्षा था प्रथम द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों रो पात्रता प्रमाण-पन्न प्ररतुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/ विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ--पन्न देना होगा किसी गी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित्त कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवाय है।

विज्ञान एव अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेंदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्रावार्य द्वारा दी जा सकती है।

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना-अनिवार्य होगा :–

किन्धानावा हू 2 तथा रगातक रतर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त

ा आवेदको को अगली कक्षा में रथान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। दार संगरदर प्रथम/दितीय/तृतीय में पुरुक/एटी-केटी पाप्त आर्थकर्ट 🚊 💳 🏠

ाध रनातक प्रथम, द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीमेंट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या द

पांच आवर्दकों का अगली कक्षा में अरथायी प्रवेश की पात्रता होगी। रणरावत कडिका 7 के खण्ड 1 एव 2 के आवेदकों को अरथायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगे पुरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश रू निरस्त हो जायगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य कि 11014111

प्रवेश हेत् अहंताएं :--9

84

6.5

- किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्रा 91 छात्र / छात्राओं, को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी याद किसी छन्न ने पूर्व रात्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो एर आवदक नियमित प्रवेश हेत् अनहं नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पः तथा शपथ पत्र जिसरो प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर है नियमान्सार प्रवेश दिया जावेगा।
- जिनके विरूद्ध न्यायालय में वालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण 9.2 वल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सन्न में छात्रों/अधिकारियों/कर्मवारियां के साथ ्येवहार / मारपोट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो. ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्रावार्य अधिकृत है।
- महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेगिम के 93 आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्रावार्य अधिकृत हैं। प्रावाये इस हेतु समिति गठित कर जॉब कर्रवायें एवं जॉब रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त विन्या आये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु–सीमा :– 9.4

4

et instite

- (क) रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर पूर्वर्द्ध / प्रथम रोमेस्टर में 27 वर्ष से आंधेक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवंदित . वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेंगी। डिप्लोमा एव स्नातकोत्तर डिप्लोमा मे प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामांन्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- आयु सीमा का बधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मन्त्रालय/ कार्यालय (2.1)तथा उनके द्वारा नियत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन RETATION HEILAD टेंगु गज गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमटसीट पर ज़प्ययन करने वाले छात्रो पर लागू नहीं होगा। मि सकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (१)) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवंश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातक पूर्व 'प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (अ) निधि संकाय को छोडकर अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा व / गहिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि लगने ताले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्त। जनापति प्रैमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 96 विग्सी सकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य सकायों के रनाम पाउ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :—
- 10 । उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।
  - (क) स्नातक एव स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभ देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
  - (ख) तिधि रनातक प्रथम वर्ष में राम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।
- 11 प्रवेश हेतु प्राथगिकता :--
- 11 । प्रथम वर्ष स्नातक/त्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 112 रनातक/रनातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्ती नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सन्न के नियमित/रवाध्या-विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 113 विधि संकाथ की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त कर वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

114 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवा रथान / तहसील / जिला में स्थित या आरापास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थि महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदक आवेदनों पर विवार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्रावार्य द्वारा अप तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदको क पिमा से 2010 हो किता देते हुए प्रवेश दिया जाने आवेदक के नियास स्थान / तहसील / जिलों में स्थित य

1.1

अन्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने त्र एन गुणानुनम्म में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

ारन्तु अपरागत प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा. किसी एक विषय की रनातकात्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश गडाविद्यालय में रथान रिवत रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेंगा।

- आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--12
- पत्थेक शैक्षणिक रात्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक सरथा में इसका 121 विस्तार निम्नतिखित शैति से होगा, अर्थात् :--
  - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से वत्तीस प्रतिशत् (4) सीटे अनुरोचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् (4) सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
  - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् (1) सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगागी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

+ 122 (1)

& serator 480

115

- विन्दु के. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण अध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- िशवत व्यवितयों, यहिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सैनिक, स्वतत्रता संयाम (2) सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य संरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिथति, उर्ध्वाधर आरंक्षण के भीतर होगा।
- रचतंत्रता संयाम सेनानियां के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेगे। 123 निश्चनत श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगे ।

रामी चर्मा में उपलब्ध रयानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

शारीतत श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक जक पाने के कारण अनारक्षित भेणी ओपन म्वाः भरता वियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित अंणी की सीटे अप्रमावित रहेगी. परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी सवर्ग जेसे– स्वतंत्रेता सम्राम She finit

का भी है तो सबर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शंग सवर्ग की सीर गरी जायेगी।

- 12.6 आरंक्षित रखान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित रथान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित रथान की संख्या एक होगी।
- 12.7 अग्मू कश्मीर विख्यापितो तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाप नथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 रागय रागय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
- 12 10 त्रीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध 'भारत सरकार एव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational mstitutions and for public appointments," का कडाई से पालन किया जाए।
- 13 अधिभार :--

आधेभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा. अधिभार हेतु समरत प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार-नहीं किया जायेगा; एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही\_देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

रकाउट्रा शब्द को स्काउट्रा/गाइड्रा/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	15 15	०२ प्रतिशत	
(편)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट	с. С	03 प्रतिशत	
	या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स			
(4)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स		04 प्रतिशत	
(ધ)	राज्य रतरीय राचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता		04 प्रतिशत	
	में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रो को			
The Ball	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ '		०५ प्रतिशत	
-	के एन सी सी / एन. एस एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने			
1	नाले निर्धार्थी को			
(13)	राज्यपाल रकाउट्रा		05 प्रतिशत	
(11)	राष्ट्रप्रति स्काउट्स		10 มณิยด	•
(ទា)	हर्ततीस्पाद का सर्वश्रेष्ठ एव सी सी .हरेन		to uffina	



 $(\mathbf{x})$ गारत एव अन्य राष्ट्रा के मध्य मूथ एक्सकी प्रांग्राम मे गाग लग वाले कैंडेट, एन.सी.सी /एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को

15 प्रतिशत

13.2 आनरो विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर 10 प्रतिशत कक्षा में उसी विषय में प्रवंश लंगे पर

खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :--133

- लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित उ (1)जिला, रांभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ रतर प्रतियोगिता में :--
- प्रथग, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त दीम के प्रत्येक सदरय को (4) 02 प्रतिशत
- व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (14) 04 प्रतिशत
- उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोगि (2)अन्तेशंभाग राज्य रतर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोरि प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्र . प्रतियोगिता में :--
- प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 💿 06 प्रतिशत (cp)
- व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (24)
- रागाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने बाले प्रतियोगी को (4) 05 प्रतिशत
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वा (3)आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :--
- व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त, (d)) 15 प्रतिशत करने वाले को
- प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अंजित करने वाली टीम (편) <u>12 प्रतिशत</u> कं सदस्यों को

हात्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को (4)) 10 प्रतिशत

के रत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एव कल्वरत 🐐 सबेज प्रोग्राम के चहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक /

यापना वर्ष-2010

10 प्रतिशत फेला क्षेत्र में चयनित एव प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

छत्तीसमढ शासन्त्र गंप्र स मान्यता प्राप्त खेल संधो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियागिता मे

छत्तीसगढ़/गंध्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के (4)१० प्रतिशत रादस्य, को

(ख) प्रथम द्वितीय, एतीय स्थान प्राप्त करने वाली छल्तीस्वाल क्ष

#### Scanned with CamScar

136 जम्मू कश्मीर के विरथापितों तथा उनके आश्रितों को

01 प्रतिशत

13 : विशेष प्रोत्साहन :--

छत्तोरागद राज्य एव महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एव.सी.सी. के राष्ट्रीय रतर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी. ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में चाम लेवे वाले विद्यार्थियों को वगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्त्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :--

- (1) इस प्रेकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ शासन दारा अर्थिप्रमाणित किया गया हो, एवं |
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी वार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 138 प्रथम वर्ष म प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सन्न तक के प्रमाण-पन्न स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक रात्र तक के प्रमाण-पन्न अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

#### 14 रांकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

रनातंक/स्नतकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के रांकाय/विषय/युप परिवर्तन कर प्रवेश वाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों रो 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा. अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर वैय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाय/विषय/युप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कडिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि रो 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल मुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 খাঘ छাत्र :--

3

. . . .

शासकीयं महाविद्यालयों में पी.एव.डी, के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेंगा। पुरतकालय,/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की 'रिशति में सुपरवाइजर की अनुशसा पर प्रावार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय म पदरल मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अदार्गत ही जपना सात क्रंथ प्राप्तन । रेगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप म कार्यरत हे, तो सक्षम आतेकारी ताल क्षेत्रेव न्यत्रिवर्ग कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप

#### Scanned with CamScar

जय प्रति । रपाट प्राप्त होने पर ही येतन आहरण अधिकारी द्वारा शोव शिक्षक का चेठ आहरित किया जावेगा।

महातिसालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यन्न स्थानातरण हो जाने की रिथा म शोध हमन ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य वालू रख सकते हैं जहां से उनका शो अनदन पत्र अगीपत किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवध उर महातिसालयों के प्रावार्य जग्रंपित करेंगे।

10 विशेष --

- (e) जेली प्रमाण पत्तों मलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकृत तथ्यों, प्रशासकीय अथव कार्योलधान जसावधानीवंश यदि किंसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐस प्रवेश क निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्रावार्य को होगा।
- 16.7 प्रवेश लेकर किसी संगुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह य अधिक समय तक अनुपरिशत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16 3

- 3 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिपा विदार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को लगा।
- 164 प्रवेश के बाद रात्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अधवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारान किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त जन्य काई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 165 प्रवेश क गागंदशेक सिद्धांतों के रपष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्रावार्थ प्रकरण में अनिवार्थ रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/गार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

३० इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धातों में समय- समय पर परिवर्तन/ राशोधन/ निरसन / सलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

महामाया

Scanned with CamScar

छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विमाग ःमंत्रालयः गहानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर -----00------

Seat 1 CARAY

ลงหัส एफ 17-95/2017/38-2 नया रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 99-06-2020

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन. नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषय:-छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्। संदर्भ:-

-----00-----

आपका ज्ञापन कमांक 416/149/आउशि/सम/2020 दिनांक 26.05. 2020

## विषयांतर्गत संदर्भित प्ररताव का कृपया अवलोकन करें।

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के 2/ लिये शैक्षणिक सन्न 2020–21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र कुमार मंढेकर) जिखतर सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विमाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक प्रतिलिपिः-

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा 1. रायपुर अटल नगर, रायपुर।

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर 2 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

गार्ड फाईल। 3.

स्थापना तर

atten to

अवर सचिव छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

HEIMIUI MEIM स.प(डी)

174

PRIN

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.) Scanned with CamScan

0

## छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

#### सत्र 2020-21

प्रयुक्तिः – 1.

0

1

ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ 1.1

सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश से आशय रनातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा रनातकोत्तर 1.2 कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

- प्रवेश की तिथि :--2.
- प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :--2.1

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :--22

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय मे परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा रिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी।कंडिका 5.1 (क)




#### Scanned with CamScan

# छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



# छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020—21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत



#### Scanned with CamScan

में उल्लेखित, कर्मचारियों के ख्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुन्नियों को रथान रिक्त होने पर ही सन्न के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश स्पष्टीकरण :-लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण रथान "व" में हो गया, इस स्थान (व) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त खान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी गहाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया, जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्ग*णना* मे उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश संख्या का निर्धारण :--

0

aments +

10 mst

- महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध З. उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टोफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र 3.1 संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही यदे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाव्यकम बी.एल.एल.बी. की कक्षाओं में वार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन 32 (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे।
- सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी मह।विद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित 33 विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को ARTHIAT HEIN मयेश देंगे।

16.016.70 .2 .

प्रवेश सूची :-

.1 1

43

प्राचार्य द्वारा प्रयेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए. प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिमार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई

प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं ख्यानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पृश्चात् ही प्रवेश-42 शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र

पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये। निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निररत की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त

घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर समी कर दिया जाये। कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त 4.4 रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं

स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। रथानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में 4.5 एफ.आई.आर. दर्ज किया जांये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो. प्राप्त होन की स्थिति में ही प्रवेश दियां जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये। महाविद्यालय के प्राचार्य ख्यानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड आदि मे 46 संलिष्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलवन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय कं प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया 47 जाए।

प्रवेश की पात्रता :-

5 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :--5.1

(क) Sa Hellen

छत्तीसगढ के मूल/स्थायी. छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुन्न/पुन्नियों एवं जम्मू काश्मीर के

विरथापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के नान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध (ख) विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेज की पात्रता होगी।
- आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पहचात (ग) ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।
- रनातक स्तर नियमित प्रवेश :-52
  - 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता (西) होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।
    - रनातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की (ख) कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
- स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-5.3
  - बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कुनशः (क) एम.कॉम. / एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए.- प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर वी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
  - रनातकोत्तर प्रथम वर्ष जत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष मे (ख) नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अईकारी परीक्षा उत्तीणं आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

रनातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के

रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-(ग)

Sid-lhant 2020-21 nm 26-05-20

 रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को 4817705

Scanned with CamScan

विधि संकाय नियमित प्रवेश :--रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की (क)

- विधि रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की (ख)
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेरटर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू
  - होगा।

5.5

5.6

सासकीत

स्थापना वर्ष-2010

कोरिया छि

प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--

- ''विधि स्तांतक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनंतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति / अनसूचित जाति हेतु. 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि (क) स्नातकोत्तर पूर्वीद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति / अनूसूचित जाति / ओ.वी.सी
  - हेतु '50%) प्राप्त आवेदकों की नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।'
- AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौसिल फार सेकेण्डरी समकक्ष परीक्षा :--6. एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों /इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की 6.1 परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की
  - सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयां से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः भारत में रिथत विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, जनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के 6.2 समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसंगढ राज्य में अध्ययन केन्द्र / ऑफ कैम्पर आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐर्स संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विही 6.3 विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्ब A NEIMIAI MENNACINA

विश्वविद्यालय से प्राप्त करें। के 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualificat Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक र

the pam

के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे। क्रमाक

अर्द्धशासकीय पत्र अनुदान आयोग के विश्वविद्यालय 1-52 / 2013 (सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल. 2014 के अनुसार -

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रवद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगभित किया गया है। जैसां कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्यद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी रनातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये. ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-7.

7.1

alter IIs

रनातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस:-सी./बी.एंच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ायें जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से रनातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की 7.2 परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र पुरतुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया STREET STORE

rbd - Suddhant 2020-21 pm 20-03-20 +6 -

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाव्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :--

ज्यासकी,

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में <u>आगामी वर्ष/ वर्षो में</u> पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र नें पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं मानो जावेगा, उसे मात्र मूल ख्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सन्न में छान्नों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ऐसे छान्न/छान्नाओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

स्तानाय के महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के स्तानाय के महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के प्राप्तन वर्ष-2010 द्वीवार्य इस हेतु समिति गठित कर जोंच करवायें एवं जोंच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त

archika Siddham 2020-21 nm 26-05-20

Hotan

केया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

#### प्रवेश हेतु आयु–सीमा :--9.4

- रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक (क) जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं रनातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ध मान्य की जाएगी।
- आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत (ख) सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुदा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- विधि सकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है। (ग)
- संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु रनातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा रनातकोत्तर प्रथम (घ) सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ (3) /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी / आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में 9.5 लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक 9.6 पाट्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10.
- उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होनें पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा। 10.1
  - स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार (क) देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
  - विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो (ख) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी। 10.2
- प्रवेश हेत् प्राथमिकता :--11
- स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के 111 आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

Final Prayesh Margdarshikn Suddham 2020-21 nm 26-03-20

त्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण - नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सन्त्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 <u>किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर</u> कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--

- 12. आरक्षण—छत्तासगढ़ शासन को जायन गालन नेपुरालक उ 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निग्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
  - वस्तार निम्नालाखत सारी से बात, जनात् (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - साट अनुसूचित जातिणावन के परिवेक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
  - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के सिट आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विप्रीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से

भरा जाएगा। परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

अन्य पात्र विधायया स्टेन्स आहे. बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

उध्वाधर (वटाकल) रूप रा अपसारत महाने / भूतपूर्व सैनिक, रयतंत्रता संग्राम (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक, रयतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख

तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्घ्वाधर आरक्षण के भीतर होगा। <u>रयतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पोत्रियों और नाती/*नातिन के लि* प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्था</u>

आरक्षित रहेगें।

### Scanned with CamScan

Scanned with CamScanner

- 12.2

्रिया

(1)

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी

जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी। आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा. 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित रथान की संख्या एक

जम्मू-कश्मीर विख्यापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के

निर्णय के अध्यधीन रहेगा। तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कडाई से पालन किया जाए।

अधिभार :-13.

12

12.6

127

12.8

12.9

12.10

ż

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेंगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देव होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवाय है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रो पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देयं होगा।

एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स 13.1

रकाउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

एन एस एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट (क)

- 02 प्रतिशत
- 03 प्रतिशत

04 प्रतिशत

04 प्रतिभाष महानाय

amsc

- एन.एस.एस. / एन.सी.सी ''बी'' सर्टिफिकेट (ख) या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स
- "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स (円)
- राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता **(**되)

में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को

Scanned Scanned with CamScanner

05 प्रतिशत नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने (日) 05 प्रतिशत वाले विद्यार्थी को राज्यपाल स्काउट्स 10 प्रतिशत (3) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत (ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट (डा) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में (य) भाग लेने वाले कैडेंट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए (7) चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत 13.2 आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को रनातकोत्तर 10 प्रतिशत कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :--(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत 'स्तर प्रतियोगिता में :--(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय 06 प्रतिशत प्रतियोगिता में :--प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 07 प्रतिशत व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (क) 05 प्रतिशत संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को (편) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (町) (3) आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :--15 प्रतिशत व्यवितगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त (क) 12 प्रतिशत करने वाले को (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम क महामाया महाति 10 प्रतिशत के सदस्यों को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

1	तरत एवं अन्य राष्ट्रों के गध्य गूथ अथवा साईन्स एवं कल्वरल	
	^ एक्सचेज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक /	10 प्रतिशत
	कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	
135	छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
ē.	(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के	10 प्रतिशत
	सदस्य को	10 ग्रिपात
		12 91014141

प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तासगढ (핀) टीग के सदस्यों को

01 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर के विख्थापितों तथा उनके आश्रितों को 13.6

विशेष प्रोत्साहन :-13.7

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के संबंश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :--

- इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन (1)
- द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- यह सुविधा केंवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत (2) अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर 13.8 प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सन्न तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य कियें जायेंगे। रनातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं रनातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तनः-14

रनातक/रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल

गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक होता कारक

त्यादना तर्ग-20

किन्द्र महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। रोष छात्र -पुरतकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की रिथति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर पाचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालग द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपरिथति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन

महाविद्यालय में पदस्थः प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की रिथति आहरित किया जावेगा। भे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ

सहपठित करते हुए लागू होगा।

15.

16

16.1

16.2

16.3

जाली प्रमाण--पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को

प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निररत करने का अधिकार प्राचार्य

प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को

प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त

16.4

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए रपष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबर्ध 16.5

किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस महाविद्यालय का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

16.6



रा मुन्द्र विद्याहरू सरगुजा अन्धिकापुर (छ.ण.) (मृन विश्वविद्याय (संग्रीयन) अधिनियम, १४/२००० हान स्थापित) अप्रेमिका अप्रेमिका सिर्म्स्य अप्रेमिका स्थापित) Email: - registrationa (Vah 83.in Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791 क्रमांक/ ६०२ / अकादमिक/ 2021 अम्चिकापुर, दिनांक २६.07.2021 प्रति. AISHE CODE 1. समस्त विभागाध्यक्ष 27/07 C-9695 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) 2. प्राचार्य समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) विषय :--छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी करने के संबंध में। संदर्भ :--अपर संचालक, कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन, सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवर रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1684/214/आ. उ.शि./सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14.07.2021 उपर्युक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भाकिंत पत्र के सन्दर्भ में उल्लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 की अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका संलग्न कर प्रेषित है। कृपया उक्त मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। संलग्न – उपरोक्तानुसार पृष्ठांकन क्रमांक/ / अकादमिक/ २०२१ अम्बिकापुर, दिनांक .07.2021 प्रतिलिपि : 1. अपर संचालक, कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन, सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवर रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1684/214/आ.उ. शि./सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14.07.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ। 2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजीव गांधी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) 3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला—सरगुजा (छ.ग.) 4. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला—सरगुजा (छ.ग.) को ओर सूचनार्थ प्रेषित Scatere 2021 कार्यालयीन नस्ती। College States -output ternen ternen tribenter सहार्यक कुलसचिव (अकादमिक) A TELLE PRINCIPAL Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.) Scanned with CamScan

#### कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in) कमांक 1684/214/आउशि/सम./2021 प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक14-07-2)

7. 2021

(डॉ. एच.पी.खैरवार) अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक].५::०२:-२।

- 1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय. छत्तीसगढ
- 2. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ

विषय :--छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिघ्दांत जारी करने के संबंध में। संदर्भ :--

अवर सचिव, छ.ंग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 03.07.2021।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख है, कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021–22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त∞शासकीय∕अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021–22 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार। (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ.कमांक 1685 / 214 / आउशि / सम. / 2021 प्रतिलिपि :--

- 1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में
- 2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।



#### कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक **|684 /** 214 / आउशि / सम. / 2021 प्रति,

00

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक1 4-07---

 कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

 प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ

विषय :— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिघ्दांत जारी करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख है, कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021–22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त-शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021–22 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार। (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ.कमांक 1685 / 214 / आउशि / सम. / 2021

प्रतिलिपि :--

(डॉ. एच.पी.खेरवार) अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक। ५-२-२

- अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सचनार्थ।
- क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।



Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.) d:\praveen letter 2021\letter.docx222

अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन	No.: L-20122
उच्च शिक्षा विभाग	AD- (-K-)
ःमंत्रालयःः	Section
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर	Ainay
जिला–रायपुर	Defe 5 JUL 2021

क्रमांक, एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर ।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश विषयः– मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06. संदर्भः--2021

# विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें। 🍗

-----00-----

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का

कष्ट करें। संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(7.311 🕞 अवर सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग


पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर । निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालेय, नवा रायपुर अटल 1.
- 2. नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

गार्ड फाईल। 3.




महामाया महातिहा सापना तर

173

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

अवेर सचिव छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

#### Scanned with CamScan



छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2021–22

1. प्रयुक्तिः--

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करन होगा। ''प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्त कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।
- 2. प्रवेश की तिथि :--
- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :--

9:1213]

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेग जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित कि जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राच्चार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दा के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक 😳 महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों स्रांज निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व सर के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये सकेंगें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :--

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सित तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा पर स्थापना वर्म-2010 रहा में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्र कार्य में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्र कार्य में उल्लेखित, कर्मचारियों को स्थान रिक्त होने पर ही सन्न के दौरान प्रवेश दिया ए

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत दे आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश रिथति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :--आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा मे प्र लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) क किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, रथा-(ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित आंतान तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- प्रवेश संख्या का निर्धारण :-
- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छान संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपन प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च धिक्षा संचालनालय / उच्च धिक्षा संचालनालय / उच्च धिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च धिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च धिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च धिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय को योग के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
  3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यकम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं के क्रिया के साओ के कार्यवाही करें।
  - बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे।

बेश देंगे।

Scanned with CamScan

प्रवेश सूची :-

A A A

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शूल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए. प्रवेश हतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान 4.2 प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवा शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

- निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चान 2.3 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद रथान रिक्त होने पर रक्ष 4.4 कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100 / म्अशासकीय मद में अतिरिवत रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहे दी जायेगी।
- रथानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया ल 4.5 रथानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने न एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो. प्राय होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये
- महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संगवित 4.6 गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि -संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- ''राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर ।' 4.7 छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किय जाए।
- प्रवेश की पात्रता :-5.

सासकी

स्थापना वर्-२०

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :--5.1

DELLA DELLIVA TOTI.77

छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या दन्द सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व (क) \* कानाया कार्यकर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों र्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर क

#### Scanned with CamScan

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्य प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्य / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पान होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पर्छ ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।
- 5 2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :--
  - (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पा-होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश -दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छ को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्याश्चि केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य स्व के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता हो इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अ बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।
  - (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषय कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रला होगी। स्नातक द्वितीय स्तर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
- 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :--
  - (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय त बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में निया की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपर के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की रिथति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
  - (ख) स्नातकोत्तर *प्रथम वर्ष जत्तीर्ण* आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय व नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की. पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत् आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम – 1. रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदको प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

#### Scanned with Camscan

- 2. रनातकोत्तर तृतीय सेमेरटर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों क अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- विधि संकाय नियमित प्रवेश :-
  - रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश 🕬 (क) पात्रता होगी।
  - विधि स्नगतक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश 🤌 (ख) पात्रता होगी।
  - एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको क कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पाझल (ग) होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
- 5.5
  - ''विधि रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा ४५% (अनुस्तित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%. अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विकि (क) रनातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेंदु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।''

AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोजित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

समकक्ष परीक्षा :--

5.6

- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्ड∜ 6 एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की 6.1 परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड के सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन अगर यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के 6.2 समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी 🗥 विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र / ऑफ कॅम्परग आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा 👯 संख्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थ्राभ सची एवं 6.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी 🙀 विहान विश्वविद्यालय या शिक्षण संख्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की Frid. विश्वविद्यालय से प्राप्त करें। D.

Scanned with CamScan

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational ) हि हि Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रन के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राध प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1−52/2013 (सीःः एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रम पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा 🌏 को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित रतर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्टर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि ित्त समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों न दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषय की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकल के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :--

The at the warme

t-iniRan

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यकम ल होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीर. की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है जि सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा, रहे विषयों/विषय समूहो आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दि जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर स्वापना महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व स्वापना बर्ग-2010 से सा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम/द्वितीय स्वापना बर्ग-2010 से परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -

18

APR A

\$

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिय जावे ।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ—पत्र देना होगा किस भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराय जाना अनिवार्य है।

7.3

AHIGO

3

- विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर 🐡 महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व 8. अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :--
- स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित 8.1 आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- रनातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अप 82 कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की 8.3 पात्रता होगी।
- उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगो। 8.4
- पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य वि 8.5 जावेगा।

9.2

प्रवेश हेतु अर्हताएं :--

- किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त 9 छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष / वर्षो में पुनः नियमित प्रवेश 9.1 की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सन्न में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहें लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनई नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल रथानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
  - जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सन्न में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियोंकके दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार मुझितीक हो, ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है

Mas महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाल आरोपी छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिक प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशास

🛲 विद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

🛃 हेतु आयु–सीमा :–

L'

- रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आज् कं आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष क () जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं रनातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी। वी.पी.एड.एव एम.पी.एड. क लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
- आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्या तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत (ख) सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्यय हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
  - विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान रामाप्त किया जाता र
- संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु रनातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा रनातकोत्तर प्रधन (ग) (घ) सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
  - विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/मा आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों क (ड) लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवार्ति 9.5 उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- किसी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के रनातक 96 पाट्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :--10.

NA

उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा। रनातक एवं रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभा 10.1

देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अकों के आधार पर तथा ाया महाविद्यालय (क) विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो यापना वर्ष-2010 कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी। नारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

## Scanned with CamScan

A

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :—

त्त्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक क आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक/रनातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/रवाक ' विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करन वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

रनातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसा म महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार, होगा -

प्रत्येक शैक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसक विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रातशा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशुद्ध सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशा सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियां साथ—साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम न पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलका के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत कम म विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इन् अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1)

कोरिया

11111 A DELINE & 3031 37

सासकी

बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरः उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको भूतपूर्व साभव स्वतंत्रता सम् स्तिनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबध में अतिज आरक्षण -१८१० मुतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय प्रेर इस अधिनियने

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खा तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3

Ľ.

रवतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन <u>3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे।</u> निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रलिशन आरक्षित रहेगें।

सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होग आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आवन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीट यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संयान सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मन्त जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या होगी।

जम्मू—कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12 10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में 18 निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend and kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for put appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिभार :--

स्थापना वर्ष-2010

07

12.8

129

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा. पात्रता प्राप्ति उत् इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवाय है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर स्व सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

# 13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

पउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ जावे। एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत एन.एस.एस./एन.सी.सी ''बी'' सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

Scanned with CamScan

al a	1		-	ر	
A THE REAL OF	7	या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स			
		'सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04	प्रतिशत	
A	3 <b>5</b> 0	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता	04	प्रतिशत	
	S. 5	में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को			
		1 34 4/ 3/01/14/04 4/01 4/01 01/01			
	(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़	05	प्रतिशत	
		के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने			
		वाले विद्यार्थी को			
1,			05	प्रतिशत	
1	(छ) (অ)	राज्यपाल स्काउट्स राष्ट्रपति स्काउट्स	10	प्रतिशत	
1	(ज) /ল)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10	) प्रतिशत	
1	(झ) (म)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10	) प्रतिशत	
	(य) (न)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में			
S	(र)	भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए			
		चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय			
		जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15	5 प्रतिशत	
13.2	आनर्भ	विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को रनातकोत्तर	1(	) प्रतिशत	
1.5.2		में उसी विषय में प्रवेश लेने पर			
13.3		ूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-			
	(1)	लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विग	नाग ह	द्वारा आयोजित अंतर	
	(.)	जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आ	योजिल	त अंतर संभाग/क्षेत्र	
		स्तर प्रतियोगिता में :			
	(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय खान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	0	२ प्रतिशत	
	(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	0	४ प्रतिशत	
	(2)	उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग⁄संचा	लनाल	नय द्वारा आयोजिल	
1		अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्व	ारा ३	आयोजित अन्तक्षेत्राय	
1		राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ	ए आ	ई.यू. द्वारा आयोजित	1
		प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरक	ार द्व	ारा आयोजित क्षेत्रीय	1
		प्रतियोगिता में :			
	(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को		२६ प्रतिशत	
	(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को		०७ प्रतिशत	0
	חשון אווויוו	रांभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को		05 प्रतिशत	
	(2))	अप्रितीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य म	त्रालय	प. भारत सरकार द्वार	
₩ ( <sup>14</sup> 14न)	at-2010	अग्रायोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-			
and the	- (煎)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त		15 प्रतिशत	
		VQ_			а а
		Scan	neo	a with Cams	can

	x 3	R
le:	करने वाले को	di.
L	(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम 12 प्रतिशत	5.
	के सदस्यों को	
	(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत	
	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल	1
	एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ 10 प्रतिशत	
	कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	
5	छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता ग	
	(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत	
	सदस्य को	
1	(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की 12 प्रतिशत	
	टीम के सदस्यों को	
13.6	जम्मू–कश्मीर के विख्यापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत	
13.7	विशेष प्रोत्साहन :	
1	छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के 14	
	र गणना पर राष्ट्राय स्तार के संवश्राष्ट्र केंद्रेट्स तथा ओच्छिएएट (	1
	राजा राजा राज्या दार राज्याय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर एवं अग्लेतिन के	
	मार्ग मिलालयों की बगर गुणानकम के आगामी जिला सन में उन्ह नाम है	
	निक :	
	(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किंग गण जे न्ह	
	यस जनप्रताजित किया गया हो, एव	
	3 THE OCIONALIAN MARTINEST CONTRACT	
	मानवा गुलावधालय न प्रस्तुत किया है परन्त रुप प्रकार नरे	
13.8		
	प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सन्न तक के प्रमाण–पन्न स्नातको प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सन्न तक के प्रमाण–पन्न अधिभार सत् मान्य किये जायेंगे। स्नातक दिनीम जन्म नर्न नर्न	
1	मान्य किये जायेंगे। रनातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेत सान्य कोंगे।	
	सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।	
14	संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :	
	रनातक / रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्राः ज्याहने वाले विद्यार्थियों को जनहो प्राण्डने के जान	
HEIMIUI HEITE	पार्तिक/ स्नोतिकोत्तर प्रथम वर्ष में अहेकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्राः वाहनं वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारत किया जायेगा. अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातक वर्ष में एक वार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाय / विषय / ग्रेप परिवर्तन	
	पिया जायगा. अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में रेनातक / स्नातक	
	पर्ध्व वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवतन	
Son-alter		
		A NUMBER OF STREET, ST

# Scanned with CamScan

नि पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों। शोध छात्र :--

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायन् पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर को अनुशसा क प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किय जावेगा। शोध छान्न के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच—डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं. तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण- पत्र एव प्रति तीन मान्त्र कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वास्त शोध शिक्षक का

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हा जाने की स्थित मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शा आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उस महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :--

atten with

)

3

- 16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अध्य कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश क निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्रात्ता को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों -लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन के आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पप्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश सबद किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

कि समाय ना अपरण का कथल अग्राषत ालखकर प्रीषेत न किया जाये। हि इन मोल्लूदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च हि लि होशा पिमाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन संलोगन्द्रका संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

### कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

- कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय,छत्तीसगढ।
- प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ ।
- विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सन्न 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।
- संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पन्न कमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.06.2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार। (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचलिक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक <u>.07.10.6</u>/2022

पृ.कमांक२७३६/न६०/आउशि/ सम/2021

त महाविद्यालय

स्थापना वर्ष-2010

लेपिः-

 अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च षिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
 क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

PRINCIPAL Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

c:\users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 ( 26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1129

### छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ःमंत्रालयःः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/6/2022 अति,

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपूर।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्न 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका विषय:-सिद्धांत तैयार करने बाबत।

आपका प्रस्ताव कमांक 2917 / 760 / 761 / आउशि / सम. / 2022 दिनांक 31.05. संदर्भ:-2022

#### -----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये 2/ शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित 言」

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतू निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानूसार।

पु क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2

ए.आर. खान

अवर सचिव छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः-

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर। 1


निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल 2. नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

गार्ड फाईल। 3.



अवर सचिव छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

PRINCIPAL Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)





# छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत



# छत्तीसगढ शासन .

74

उच्च शिक्षा विभाग

# छत्तीसगढ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2022-23

- प्रयुक्ति :-1.
- ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ 1.1 सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना 1.2 होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।
- प्रवेश की तिथि :--2
- प्रवेश हेत् आवेदन पत्र जमा करना :--2.1

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

प्रवेश हेतू अंतिम तिथि निर्धारित करना :-2.2

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कांडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के खानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मसहीगद्वीराक रूपिभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का

MATOM भाग अधिकारी उच्च शिक्त विभाग, मंत्रालय प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महायिद्यालय में प्रवेश होने की रिश्वति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

gril

विशेष टीप :-

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रकिया में सी.बी.एस.सी. / आई.सी.एस.सी. वोर्ड एंव अन्य वोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नही हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनकों संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरण :--

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यन्न स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में रथान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छान्नाओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

Sellin Sellin

रणापना वर्ष-2010

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा

विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।" विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यकम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवशन (न्युनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम के संवशन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे

अनुभाग आधकारा तन्द्र शिक्षा विभाग मंगवन

3.2

- असम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4. प्रवेश सूची :--
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिमार देय है, वहां अधिमार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पन्न की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/--अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 26 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये। 46 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 ''राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययूनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया

जाए।

अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नबा रायपुर (छ.ग.)



प्रवेश की पात्रता :--

S

511

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :--

- (क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।
- 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :--
  - (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
  - (ख) रनातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :--

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

अमुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



241

- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष जत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष , नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
  - रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
  - 2. रनातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :--
  - (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
- 5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--

कोरिया (छ

- (क) ''विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।''
- 5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाट्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।
- समकक्ष परीक्षा :--
- 6.1 सेन्द्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की रूप्री सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसंगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हाई नहिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी अनुदान आयोग हाई नहिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी अनुमाग अधिकारी

आदि खोलकर छात्र—छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4

1.5

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषय़ों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/ एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य / समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी रिथति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :--

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महानिद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में

अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्ष विभाग, मंत्रालय भरल नगर, नवा रायपर (छ.ग.)

आवेदको ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश 🖓 जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये। छत्तीसगढ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर <sub>के</sub> अ प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्य की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पत्रिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे ।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा 7.3 महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व 8. अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :--
- स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित 8.1 आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली 8.2 कक्षा में अखायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 8.3 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। 8.4
- पुरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अखायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश खतः 8.5 निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- प्रवेश हेतू अर्हताएं :--9
- किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप 9.1 छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगाभी वर्ष / वर्षों में पूनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं

लिया हो तो ऐसूर्र आक्रिक नियमित प्रवेश हेतु अनह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूर

स्थापना वर्ष-2010

Mrster-19

अधिकारी क्ष विभाग, मंत्रालय

1


7.2

स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं जिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सन्न में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं दुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

- 93 महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयू-सीमा :--
  - (क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यकमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के रनातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतू गुणानुकम का निर्धारण :--
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।
  - (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
  - (ख) विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।
- 11. प्रवेश हेत् प्राथमिकता :--
- 11.1 रनातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सन्न के नियमित/स्वाध्यायी

2041 विद्यार्थियों के क्रम में होगा।



रक्षान महाविद्यालय Theres

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त क.
 वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

10

- वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाय, जा में 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भा महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की रनातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12 आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :--
  - (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुझप्त संख्या में से वत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से वारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
  - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशतू सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (

(1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्भिको,/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संयाम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिथति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3

12.4 अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा विमाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्रे, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के जिए 5 प्रतिशत र गन आरक्षित रहेगें।

सभी वर्गों में उपलब्ध उक्षाविक हों से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं 12.6 होगा. 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- जम्मू कश्मीर विरथापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया 12.7 जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये। 12.8

- कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के 12.9 निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण 12.10 क्रमांक डब्ल्यू पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

अधिमार :-13.

25

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेत् इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेत् समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतू विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स 13.1

स्काउटस शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- (क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
- एन.एस.एस. / एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत (四) या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस
- "सी" सर्टिफिकेट या ततीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स (刊) 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत में ग्रूप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को

avern (司) अनभाग अधिकारी

नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ FIRES ज्ज्व शिक्त विभाग, मंत्रालय के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने

25.0

05 प्रतिशत

रक्षन महाविष्ट

ALL LALIDA

	विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
	यपाल स्काउट्स	10 प्रतिशत
	ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ) छत्त	तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य) ड्यू	क ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	
(र) भार	रत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में	
भाः	ग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए	
चर	यनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय	15 प्रतिशत
জ	म्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
13.2 आनर्स वि	षय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर	
क्सा में र	उसी विषय में प्रवेश लेने पर	
13.3 खेलकूद,	/ साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-	आयोजित अंतर
	े जाताना करतीमाद सच्य शिदा भिगा वर्ग	अंतर संभाग/क्षेत्र
f	नोक शिक्षण संचालनालय अथवा छरपारमण्ड उपरायम् जेला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित	
7	म्तर पतियोगिता में :-	02 प्रतिशत
(क) प्र	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	04 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	
(2)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपपुर्वत रवा गिर्मा विभाग / संचालनालय उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आय	ोजित अर्न्तक्षेत्रीय,
	अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा कन्द्रीय विधवविद्यालय संघ ए.आई.य	1. द्वारा आयोजित
	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा	आयोजित क्षेत्रीय
	प्रतियोगिता में : प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्रापा जापा जापा करने वाले को व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ख)		05 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र को प्रोतानावाय प्रत्न पारी कार्य कार्य मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय,	भारत सरकार दारा
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय संय द्वारा आ सम्पन्न आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :	
	आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	15 प्रतिशत
(क)		
	करने वाले को प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम	12 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा पृताय रसा र	
Detrus	के सदस्यों को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
अनुभाग अधिकीरी		
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्राल अटल नगर, तथा सदापर (छ	ाय गण्गेवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्वरल	
र्श्व सहायमुम्प्रका भारत	चेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक /	10 प्रतिशत
E south	चज प्राग्नाम के तहत् विकार के समय	
रियापना वर्ष-2010 क्या स		
(*************************************	and the state of the	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		

6

कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता म -15.5

- छल्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के (क) 10 प्रतिशन सदस्य को
- 12 प्रतिशन प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की (편) टीम के सदस्यों को

01 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 13.6

विशेष प्रोत्साहन :-13.7

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पार्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में तीचे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :--

- इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ शासन (1) द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत (2)अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सन्न तक के प्रमाण–पन्न अधिभार हेतु 13.8 मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सन्न के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

रनातक / रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटं हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाग / विषय / गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के संमकक्ष या उससे अधिक हों।

अनभाग अधिकारी उच्च शिक्ष विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



254

5

संकाय/विषय/युप परिवर्तन :--14

.5

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

विशेष :-16

अन्याग अधिकारी उच्च शिष्म विभाग, मंत्रालय

अटल नगर, नवा रायपुर छि.ग.

- जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवंश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को 16.1 निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिथत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य 16.2 को होगा।
- प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में 16.3 लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त 16.4 होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की 16.5 आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुग्त, उच्च 16.6 शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन

/ संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ सम्बद्धात उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

रथापना वर्ष-2010)

ला-कोरिया

SIL

Session 2018-19

# Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G. )

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats carmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

# Programme Name - B.A. (Bachelor of Arts)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.A. (- 270)

Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	92	64	28
2	SC	12%	32	22	
3	ST	32%	86	60	10
4	OBC	14%	38		26
5	EX/FF	3%		27	11
6	DIVYANGJAN		08	06	02
-		5 %	14	10	4
'	Grand Total	100%	270	189	81

# Reservation - Chart Class wise ( B.A.PART ONE/TWO/THREE )

# (SANCTIONED SEATS PER CLASS - 90 )

S.No. Categories Reservation Total Open 70% Girls 30% 1 UNRESERVED 34% 31 22 9 2 SC 12% 11 8 3 3 ST 32% 29 20 9 4 OBC 14% 13 9 4 5 EX/FF 3% 2 1 1 6 DIVYANGJAN 5% 4 3 ı 7 **Grand Total** 100% 90 63 27

PRINCIPAL GOVT: MAA MAHAMAYA COLLEGE

Khadqawan, Distt. Korea (C.G.



0

# Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats carmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

## Programme Name - B.SC. (Bachelor of Science)

Sanctioned Seats in B.SC. - 180

Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

# Reservation - Chart Class Wise ( B.SC. PART ONE/TWO/THREE )

### PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	
7	Grand Total	100%	60	42	18

PRINCIPATIAL GOVE MAA MAHAMAYA COLLEGE Khaqqawan, Distl. Korea (C.G.)

Session 2018-19

# Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats carmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules ( UG LEVEL ) - 630

Programme Name - B.COM. (Bachelor of Commerce)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.COM. - 180

Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation - Chart Class Wise ( B.COM. PART ONE/TWO/THREE )


PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

0

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18

HEAVERHAL

GOVT: MAAMAHAMAYA COLLEGE Shadqawan taste korea (C.G.)



Session 2019-20

# Office of The Principal, Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan, Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

## Programme Name - B.A. ( Bachelor of Arts )

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.A. - 270

Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Tota	Open 70%	Girls 30%
I	UNRESERVED	34%	92	64	28
2	SC	12%	32	22	10
3	ST	32%	86	60	26
4	OBC	14%	38	27	11
5	EX/FF	3%	08	06	02
6	DIVYANGJAN	5 %	14	10	4
7	Grand Total	100%	270	189	81

# Reservation - Chart Class wise (B.A.PART ONE/TWO/THREE)

(PER CLASS SANCTIONED SEATS - 90 )

Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
UNRESERVED	34%	31	22	9
SC	12%	П	8	3
ST	32%	29	20	9
OBC	14%	13	9	4
EX/FF	3%	2	1	
DIVYANGJAN	5%	4	3	
Grand Total	100%	90	63	27
	UNRESERVED SC ST OBC EX/FF DIVYANGJAN	UNRESERVED34%SC12%ST32%OBC14%EX/FF3%DIVYANGJAN5%	UNRESERVED         34%         31           SC         12%         11           ST         32%         29           OBC         14%         13           EX/FF         3%         2           DIVYANGJAN         5%         4	UNRESERVED         34%         31         22           SC         12%         11         8           ST         32%         29         20           OBC         14%         13         9           EX/FF         3%         2         1           DIVYANGJAN         5%         4         3



PBRENCHAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

Scanned with CamScan

### Session 2019-20

# Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G. )

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

#### Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.SC. (Bachelor of Science)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.SC. - 180

#### Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	
7	Grand Total	100%	180	125	55

## Reservation - Chart Class Wise ( B.SC. PART ONE/TWO/THREE )

PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18



PRINCHAPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khaddawan, Distt. Korea (C.G.)

Scanned with CamScan

# Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G. )

Numbers of Seats carmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

#### Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.COM. (Bachelor of Commerce)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.COM. - 180

Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation - Chart Class Wise ( B.COM. PART ONE/TWO/THREE )

#### PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18



PRINCIPAL GOVE MAAMAUAM WA COLLEGE Shadqawan Dister Koreard Q)

Scanned with CamScan

Session 2020-21



### Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G. )

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.A. (Bachelor of Arts)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.A.- 270

**Reservation - Chart** 

<i>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</i>	
£	100
-	1
	1

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	92	64	28
2	SC	12%	32	22	10
3	ST	32%	86	60	26
4	OBC	14%	38	27	11
5	EX/FF	3%	08	06	02
6	DIVYANGJAN	5 %	14	10	4
7	Grand Total	100%	270	189	81

#### Reservation - Chart Class wise (B.A.PART ONE/TWO/THREE)



#### (PER CLASS SANCTIONED SEATS - 90 )

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	31	22	9
2	SC	12%	11	8	3
3	ST	32%	29	20	9
4	ОВС	14%	13	9	4
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	4	3	1
7	Grand Total	100%	90	63	27

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

#### Session 2020-21

### Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G. )

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats carmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

#### Programme Name - B.SC. (Bachelor of Science)

Total Numbers of Scats Sanctioned in B.SC. - 180

Reservation - Chart



S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	J
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation - Chart Class Wise (B.SC. PART ONE/TWO/THREE)

#### PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60



S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18

PRINNILLOL GOVT. MAAMAIIAMAYA COLLEGE Shaddavati, Uistt, Norea (C.G.)

### Session 2020-21

# Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.COM. (Bachelor of Commerce)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.COM .- 180

Reservation - Chart

	5
-	
-	-

	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
S.No.	Caregories			43	18
1	UNRESERVED	34%	61	43	
<u> </u>		128/	22	15	7
2	SC	12%			
3	ST	32%	58	41	17
5			25	17	8
4	OBC	14%	15		
5	EX/FF	3%	5	3	2
5			9	6	3
6	DIVYANGJAN	5%	9	Ů	
		1008/	180	125	55
7	Grand Total	100%	105		

# Reservation - Chart Class Wise ( B.COM. PART ONE/TWO/THREE )

## PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60



S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
5.110.	UNRESERVED	34%	20	14	6
1	SC	12%	7	5	2
2	ST	32%	20	14	6
3		14%	8	6	2
4	OBC	3%	2	1	1
5	EX/FF	5%	3	2	1
6	DIVYANGJAN		60	42	18
7	Grand Total	100%	60	12	

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Gistt, Karga (C.G.)

Session 2021-22

# Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Scats carmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of scats carmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

# Programme Name - B.A. (Bachelor of Arts)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.A. - 270

#### Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
	UNRESERVED	34%	92	64	28
1	UNRESERVED		11	22	10
2	SC	12%	32		
3	ST	32%	86	60	26
4	ОВС	14%	38	27	11
	PMAR	3%	08	06	02
5	EX/FF			10	4
6	DIVYANGJAN	5 %	14		
7	Grand Total	100%	270	189	81

# Reservation - Chart Class wise (B.A.PART ONE/TWO/THREE)

(PER CLASS SANCTIONED SEATS - 90 )

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
	UNRESERVED	34%	31	22	9
'			u	8	3
2	SC	12%			9
3	ST	32%	29	20	
4	OBC	14%	13	9	+
5	EX/FF	3%	2	L	1
6	DIVYANGJAN	5%	+	3	1
1000	Grand Total	100%	90	63	27
7	Grand Total				Him)

PRINCIPAL GOVE MAAMAILAMAYA COLLEGE Shadoowan, Dist, Konst C.G.

#### Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules ( UG LEVEL ) - 630

Programme Name - B.SC. (Bachelor of Science)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.SC. - 180

#### Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation - Chart Class Wise ( B.SC. PART ONE/TWO/THREE )

#### PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

		I
1		ľ
	-	
		U

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC EX/FF	14%	8	6	2
7	Grand Total	100%	60	42	18

PRINCIPALIAL GOVTE MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distr. Korea (C.G.)

### Scanned with CamScan

Session 2021-22

#### Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

#### Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.COM. (Bachelor of Commerce)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.COM. - 180

#### Reservation -- Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

#### Reservation - Chart Class Wise ( B.COM. PART ONE/TWO/THREE )

#### PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC ST OBC EX/FF	12% 32% 14%	7 20 8 2	5 14 6 1	2 6 2 1
3					
4					
		3%			
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18

PRIMA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distt, Korea (C.G.)



## Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

## Total Number of seats carmarked for reserved category as per GOI/ State

### Govt. rules (UG LEVEL) - 900

Programme Name - B.sc. (Bachelor of Science)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.SC. - 270

**Reservation - Chart** 

Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
UNRESERVED	34%	92	64	28
SC	12%	32	22	10
ST	32%	86	60	26
OBC	14%	38	27	11
EX/FF	3%	08	06	02
DIVYANGJAN	5 %	14	10	4
Grand Total	100%	270	189	81
	UNRESERVED SC ST OBC EX/FF DIVYANGJAN	UNRESERVED34%SC12%ST32%OBC14%EX/FF3%DIVYANGJAN5%	Categories         Reserved         34%         92           SC         12%         32           ST         32%         86           OBC         14%         38           EX/FF         3%         08           DIVYANGJAN         5 %         14	Categories         Reservent         92         64           UNRESERVED         34%         92         64           SC         12%         32         22           ST         32%         86         60           OBC         14%         38         27           EX/FF         3%         08         06           DIVYANGJAN         5%         14         10

Reservation - Chart Class wise (B.SC. PART ONE/TWO/THREE)

### (PER CLASS SANCTIONED SEATS - 90 )

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
5.110.		34%	31	22	9
1	UNRESERVED	34%		8	3
2	SC	12%	11	8	0
2	ST	32%	29	20	9
3			13	9	.4
4	OBC	14%			1
5	EX/FF	3%	2	1	•
6	DIVYANGJAN	5%	4	3	1
U	DIVIANOJAN		90	63	27
7	Grand Total	100%	50		N in

PRINCIPAL PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAVAAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH) 2

_	GOV	T.NAVEEN COLLEGE KH	ADGAWAN ,D	ISTKORE	A (C.G.)	
RE	SERVED CATEGORIES	STUDENTS LIST WHO AR	EADMITTED	AGAINST (	GENERAL MERIT	CATEGO
			VED ) OPEN			
			,			
			N 2018-19			
	PRUGR	AMME NAME - B.SC.( BAG			PART ONE	
		CLAAS/YEAR -	<b>B.SC. FIRST</b>	YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AARTI YADAV	AMRIT LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
2	AJAY SINGH	SANT LAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	BABY	SOBRAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	MAYAVATI	SUDAMA PRASAD	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
5	MEENA	SHIV KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
6	PANKAJ	SHIV NARAYAN	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	PRAKASH KUMAR	GOPI CHAND	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
8	PUSHPA	DURGA PRASAD	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
9	ROHIT KUMAR	SURESH KUMAR KEWAT	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
10	SANJU	DAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	SAVINA SINGH	VISHNU SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	USHA SINGH	GORE LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
13	VIKASH KUMAR YADAV	UMASHANKAR YADAV	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
14	VISHRAM SINGH	KRIPAL SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distl. Korea (C.G.)

7-

	RESERVED CATEGO	T.NAVEEN COLLEGE KH RIES STUDENTS LIST WH CATEGORY (UN-RE	O ARE ADMIT	TED AGA	A (C.G.) INST GENERAL	MERIT
	PROGR		N 2018-19		PART ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST	YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted	Remark
-	AAKANKSHA YADAV	SHIVMURAT YADAV	FEMALE	OBC	Category UN-RESERVED	
	CHANDA	DURGA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
-	GAYATRI	HEERA SINGH	FEMALE	ST		FEMALE
4	JAYANTI	VIJAY SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
	PREMWATI	BAHADUR SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
	SALMA YASMIN	MD MOHSIN KHAN	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
-	SACING TASMIN				UN-RESERVED	FEMALE

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -06



PRINCIPAL COVT, MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Distr. Korea (C.G.)

4							
	G	OVT.NAVEEN COLLEGE KI	HADGAWAN ,DIS	TKOREA (	C.G.)		
	ST ( F	RESERVED CATEGORIES) C	OPEN, STUDENT	<b>FS ADMISSI</b>	ON LIST		
_			ON 2018-19				
	PRO	GRAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF SC	IENCE ) PAI	RT ONE		
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR							
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark	
1	BASANTI	RAM SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
_2	BHARTI	AMRIT	FEMALE	ST	ST	OPEN	
3	DHAN SINGH	MALIKARAM	MALE	ST	ST	OPEN	
4	INDRAMANI	BUDHNATH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
5	LAKSHMANIYA	SHIV PRASAD SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
6	LALITA	DEV SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
7	PHOOLMATI	SAMARU	FEMALE	ST	ST	OPEN	
8	PREMAWATI	MUNEEM SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
9	SANGEETA	LAXMAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
10	<b>SAPNA TOPPO</b>	SULEMAN TOPPO	FEMALE	ST	ST	OPEN	
11	SARITA	MANGAL SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
12	SHAKUNTALA	LAKHAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
13	SUNITA	CHHATRAPAL SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
		TOTAL SEATS FOR ST	(OPEN) CATEGO	RIES-14			



MQ PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEG Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

	OBC ( I	RESERVED CATEGORIES)	OPEN, STUDE ON 2018-19	NTS ADMIS	SION LIST	
	PROC	GRAMME NAME - B.SC.( BA		CIENCE ) PA	ART ONE	
		CLAAS/YEAR -	<b>B.SC. FIRST</b>	YEAR		
	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ANCHAL	GANGARAM	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
2	ANJU	BABU LAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
3	KAVITA	HEERA LAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
4	RADHIKA	GAURI SHANKAR	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
5	RAHUL KUMAR	DHARMENDRA	MALE	OBC	OBC	OPEN
6	RANJNA SAHU	BABLU	FEMALE	OBC	OBC	OPEN



PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

	GOV	T.NAVEEN COLLEGE KH	IADGAWAN ,DI	STKOREA	(C.G.)	
	OBC ( RES	SERVED CATEGORIES) F	EMALE STUD	ENTS ADMIS	SION LIST	
		SESSIC	ON 2018-19			
	PROGI	RAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF SC	CIENCE ) PA	RT ONE	
		CLAAS/YEAR -	<b>B.SC. FIRST</b>	YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	RANU	ANIL KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
•	ROSHNI	DARIYA KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

	GOV	T.NAVEL COLLEGE KHADGA	WAN ,DIST	COREA (C	G.)	
RE	SERVED CATEGORIES	STUDENTS LIST WHO ARE ADD	AITTED AG	AINST GEN	ERAL MERIT CAT	EGORY
		(UN-RESERVED		-		200111
		SESSION 201				
	PRO	GRAMME NAME - B.A.( BACHE		S) PART (	NF	
			RST YEAR			
	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
	AASMA BAI	RAI SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	AKSHAY YADAV	SHIV NARAYAN	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
	ANUJ KESHWARWANI	MAHENDRA KESHWARWANI	MALE	GEN.	UN-RESERVED	OPEN
_	ANUJ KUMAR	SHRI LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
_	JAG NATH	RUDSAI	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	JAY KUMAR	GANGARAM	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
_	JYOTI	LALIT MOHAN	FEMALE	GEN.	UN-RESERVED	OPEN
_	MANRAJ SINGH	JAI NARAYAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	NEHA YADAV	RAJ LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
	NILESH KUMAR SINGH	BAHADUR SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	PARWATI	RAMPRASAD	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	POOJA GUPTA	RADHE SHYAM GUPTA	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
_	PRIYANKA	RAGHUVEER PRASAD	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
-	RAJU KUMAR SINGH	LALMAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
_	RAVI SHANKAR	KANHAYALAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
16	ROHIT KUMAR	SUMAR LAL	MALE	GEN.	UN-RESERVED	OPEN
	SANDHYA	NAND LAL GUPTA	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
18	SHRIRAM	SURAJ PRASAD	MALE	GEN.	UN-RESERVED	OPEN
	SUSHILA SINGH	MAHAVEER SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
20	SUSHMA DEVI	RAGUWAR SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	TARA KUMARI	LAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
22	VIDYAWATI	KANHAIYA LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
		TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED	OPEN) CATE	GORIES -22	Å	

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distr. Korea (C.G.)

	<b>RESERVED CATE</b>	OVT.NAVEEN OLLEGE KH GORIES STUDENTS LIST WI	IO ARE AD	MITTED AC	GAINST GENERAL	MERIT				
		CATEGORY (UN-R	ESERVED )	FEMALE						
	SESSION 2018-19 PROGRAMME NAME - B.A.( BACHELOR OF ARTS ) PART ONE									
		CLAAS/YEAR -	B.A. FIRS		ART ONE					
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark				
1	ARCHANA	RAMASHANKAR	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMAL				
2	DEV KUNWAR	SAMPAT SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMAL				
3	DURGAWATI	CHANDRABHAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMAL				
4	JYOTI	BABU LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMAL				
5	KALAWATI	PAHALWAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMAL				
6	LALITA	VISHRAM SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMAL				
7	SANDYA	RAGHUVEER PRASAD	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMAL				
8	SAPNA YADAV	JANAK RAM YADAV	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMAL				
9	URMILA	KANHAYA LAL	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMAL				

#### TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -09

AISHE CODE

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

	T				
GOV	T.NAVEEN COLLEGE KH	ADGAWAN ,DI	STKOREA	(C.G.)	
OBC ( RE	ESERVED CATEGORIES) O	PEN, STUDEN	NTS ADMIS	SION LIST	
	SESSIO	N 2018-19			
PRO			RTS ) PAR	T ONE	
1	CLAAS/YEAR -				
	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
AARTI	RAM KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
ABHAY KUMAR GUPTA	RADHE SHYAM GUPTA	MALE	OBC	OBC	OPEN
AJAY KUMAR	AKLESH KUMAR	MALE	OBC	OBC	OPEN
PRITI SAHU	MAYARAM	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
RAJU PRASAD	SHIV PRASAD	MALE	OBC	OBC	OPEN
RAMNEWAZ	GUMMI LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
SHAKINDRA SAHU	RAJESHWAR SAHU	MALE	OBC	OBC	OPEN
SUNITA	MOHAN	FEMALE	ОВС	OBC	OPEN
SURAJ YADAV	MANNI LAL	MALE	ОВС	OBC	OPEN
	OBC ( RI PRO Name Of Candidate AARTI ABHAY KUMAR GUPTA AJAY KUMAR	OBC ( RESERVED CATEGORIES) O SESSION PROGRAMME NAME - B.A. ( BA CLAAS/YEAR - Name Of Candidate Father's Name AARTI RAM KUMAR ABHAY KUMAR GUPTA RADHE SHYAM GUPTA AJAY KUMAR GUPTA AKLESH KUMAR PRITI SAHU MAYARAM RAJU PRASAD SHIV PRASAD RAMNEWAZ GUMMI LAL SHAKINDRA SAHU RAJESHWAR SAHU	OBC ( RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDEN SESSION 2018-19 PROGRAMME NAME - B.A. ( BACHELOR OF A CLAAS/YEAR - B.A.FIRST Y Name Of Candidate Father's Name Gender AARTI RAM KUMAR GUPTA FEMALE ABHAY KUMAR GUPTA RADHE SHYAM GUPTA MALE AJAY KUMAR MALE AJAY KUMAR SUPTA AKLESH KUMAR MALE PRITI SAHU MAYARAM FEMALE RAJU PRASAD SHIV PRASAD MALE RAJU PRASAD SHIV PRASAD MALE SHAKINDRA SAHU RAJESHWAR SAHU MALE SUNITA MOHAN FEMALE	OBC ( RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMIS         SESSION 2018-19         PROGRAMME NAME - B.A. ( BACHELOR OF ARTS ) PAR         CLAAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR         Name Of Candidate       Father's Name       Gender       Category         AARTI       RAM KUMAR       FEMALE       OBC         ABHAY KUMAR GUPTA       RADHE SHYAM GUPTA       MALE       OBC         AJAY KUMAR       AKLESH KUMAR       MALE       OBC         PRITI SAHU       MAYARAM       FEMALE       OBC         RAJU PRASAD       SHIV PRASAD       MALE       OBC         SHAKINDRA SAHU       RAJESHWAR SAHU       MALE       OBC         SUNITA       MOHAN       FEMALE       OBC	PROGRAMME NAME - B.A. ( BACHELOR OF ARTS ) PART ONECLAAS/YEAR - BA.FIRST YEARName Of CandidateFather's NameGenderCategoryAdmitted CategoryAARTIRAM KUMARFEMALEOBCOBCABHAY KUMAR GUPTARADHE SHYAM GUPTAMALEOBCOBCJAY KUMARAKLESH KUMARMALEOBCOBCPRITI SAHUMAYARAMFEMALEOBCOBCRAJU PRASADSHIV PRASADMALEOBCOBCRAMNEWAZGUMMI LALMALEOBCOBCSUNITAMANNI LALMALEOBCOBC

TOTAL SEATS FOR OBC ( OPEN ) CATEGORIES -09

AISHE CODE

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAVA COLLEGE Khadqawan, Distr. Korce (C.G.)

	GOV	T.NAVEEN COLLEGE KH	ADGAWAN ,DIS	STKOREA	(C.G.)	
	OBC ( RES	SERVED CATEGORIES) FE	MALE, STUDE	ENTS ADMIS	SION LIST	
		SESSIO	N 2018-19			
	PRO	GRAMME NAME - B.A. ( B.	ACHELOR OF A	RTS) PART	ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.A.FIRST YI			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	BABITA	UMASHANKAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMAL
2	JYOTI THAKUR	RAJESH THAKUR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
3	RANU SAHU	SIYARAM	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
	REKHA	SUDHIR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE

PRINCIPAL COVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadoawan, Diatt. Korea (C.G.)

		RVED CATEGORIES) OP SESSION	N 2018-19							
	PROG	RAMME NAME - B.A. ( BA	CHELOR OF ART	S) PART O	NE					
	CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR									
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark				
1	AMRIT SINGH	RAMFAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN				
2	ANJANI	DEVSAI	FEMALE	ST	ST	OPEN				
3	AVINASH PRADHAN	MAHENDRA PRADHAN	MALE	ST	ST	OPEN				
4	BALKUNWAR	RAM SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN				
5	BIRENDRA SINGH	MAHIPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN				
6	JAI KARAN	CHAIN PRATAP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN				
7	MAHENDRA PRATAP SINGH	DHRAMPAL	MALE	ST	ST	OPEN				
8	MAMTA KUMARI	CHITRA BHANU SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN				
9	MANISH KUMAR SINGH	PHURMAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN				
10	MEENA	PATIRAM	FEMALE	ST	ST	OPEN				
11	PARWATI	JAGAT SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN				
12	PHOOL MATI	SHIVNARAYAN	FEMALE	ST	ST	OPEN				
13	PHULMAT	BABULAL	FEMALE	ST	ST	OPEN				
14	RAJ KUMAR SINGH	LAXMAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN				
	RAJ KUMAR SINGH NETAM	SURYA PRATAP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN				
16	SAMARIYA	ISHWAR SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN				
17	SARITA BAI	MANOHAR	FEMALE	ST	ST	OPEN				
18	SHIV SHANKAR SINGH	ANURUP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN				
19 5	SHYAMA	NIRANJAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN				
20	SUNIL KUMAR	JAI SINGH	MALE	ST	ST	OPEN				

PRINCIPAL GOVT: MAA MAHAMAYA COLLEGE Shadgawan, Distr. Borr 11

		•			<u>e ~</u>	
		GOVT.NAVEEN COLLEG	E KHADGAW	AN JUSTK	OREA (C.G.)	
	ST	(RESERVED CATEGORIES	5) FEMALE,	STUDENTS A	DMISSION LIST	[
			ESSION 2018-1			
		PROGRAMME NAME - B.	A. (BACHELO	OR OF ARTS	PART ONE	
		CLAAS/YEAI		FIRST YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	PREM KUNWAR	SHIV KUMAR SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	RINKU	SHRAVAN KUMAR	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	SEMWATI	SAGAM SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	URMILA	DHARAM SAI	FEMALE	ST	ST	FEMALE
		TOTAL SEATS FOI	R ST (FEMALE)	CATEGORIES -0	9	

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

0		•		•		
	GO	OVT.NAVEEN COLLEGE K	HADGAWAN ,DIST	KOREA (	C.G.)	
	SC ( R	ESERVED CATEGORIES) (	OPEN, STUDENTS	ADMISSIC	DN LIST	
L		SESSI	ON 2018-19			
	PR	OGRAMME NAME - B.A. (	BACHELOR OF AR	TS) PART	ONE	
	1	CLAAS/YEAR -	<b>B.A.FIRST YEA</b>	AR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	MANESHWAR	SHIV PRASD	MALE	SC	SC	OPEN
		TOTAL SEATS FOR SO	C(OPEN) CATEGORIE	S -08	·	

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan. Distt. Korea (C.G.)

	GC	VT.NAVEEN COLLEGE KHAI	DGAWAN ,DI	STKOREA	(C.G.)	
		GORIES STUDENTS LIST WHO				DIT
		CATEGORY (UN-RE			151 GENERAL MI	
				JIEN		
		SESSION				
	PROGRA	MME NAME - B.COM ( BACH	ELOR OF CO	MMERCE	) PART ONE	
		CLAAS/YEAR - B	.COM. FIRST	YEAR		
	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
-	JAY KUNWAR	INDRPAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	KAMLESH	INDRPAL SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	KARAN SAI	JAGMOHAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	MAAN SINGH	MALIK RAM	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	PRAMOD KUMAR	HUNS LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
6	RAJARAM SAHU	BRIJLAL SAHU	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	SANGEETA	RAMKARAN SAHU	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
8	SAVITA	ISHWAR PRASAD SAHU	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
9	SEEMA	SHIN KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN

AISHE CODE

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Distr. Korea (C.G.)

1	1
-	1

### GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.) SC ( RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

2

#### SESSION -2019-20

### PROGRAMME NAME - B.A. ( BACHELOR OF ARTS ) PART ONE

		CLAAS/YEAR -	<b>B.A.FIRST</b>	YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	LAVKUSH	KALAP DHARI	MALE	SC	SC	OPEN
2	MAHENDRA KAPOOR	SHANKAR PRASAD	MALE	SC	SC	OPEN
3	PRAKASH	LAL SAI	MALE	SC	SC	OPEN
4	SHIV KUMAR	KEWAL SAY	MALE	SC	SC	OPEN
5	SHYAM MALIK	BABLU MALIK	MALE	SC	SC	OPEN
6	SUSHILA	SATYAVRAT RAM	FEMALE	SC	SC	OPEN
7	VINOD KUMAR	SATYANARYAN	MALE	SC	SC	OPEN
		TOTAL SEATS FOR SC (	OPEN) CATEGOI	RIES -08		

AISHE CODE C-9695 Au

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distr. Korea (C.G.)

		¥				
	GOVT.MAA	MAHAMAYA COLLEGI	EKHADCA	WAN DIG		
	OBC ( RESE	RVED CATEGORIES) FE	MALE, ST	TUDENTS	ADMISSION LIST	
		5655101	N-2019-20			
	PROGE	RAMME NAME - B.A. ( BA	CHELOR	OF ARTS	PART ONE	
		CLAAS/YEAR -		ST YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	RANI	DILEEP KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	
		TOTAL SEATS FOR OBC ( F	EMALE) CA			FEMALE

C

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

AISHE CODE C-9695

.....

				2		
	GOVT.N	AA MAHAMAYA COLLEGH	E KHADGAWAI	N,DISTK	OREA (C.G.)	
	OBC (F	CESERVED CATEGORIES) O	PEN, STUDEN	TS ADMIS	SION LIST	
		SESSION	1-2019-20			
	PRO	OGRAMME NAME - B.A. ( BA	CHELOR OF A	RTS) PAR	TONE	
_	1	CLAAS/YEAR -	<b>B.A.FIRST YI</b>			
	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ABHISHEK KUMAR	RAMAWATAR	MALE	OBC	OBC	OPEN
2	ANITA	SHYAMLAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
3	DIL KESHWAR	RAM PRASAD	MALE	OBC	OBC	OPEN
4	KEWAL PRASAD	CHETRAM	MALE	OBC	OBC	
5	KUNTI	HANS LAL	FEMALE	OBC		OPEN
6	MUKESH KUMAR	DAMOATIN		UBC	OBC	OPEN
-		RAM SAJIWAN	MALE	OBC	OBC	OPEN
7	NARENDRA KUMAR	DHANSAI	MALE	OBC	OBC	OPEN
8	PUNITA SAHU	BANSHI LAL	FEMALE	OBC	OBC	
9	RAMBHA	RAJENDRA	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
		TOTAL SEATS FOR OBC ( O				OPEN

AISHE COLI. **\€-9**695

PRINCIPAL GOVT: MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Distt, Korea (C.G.)

J

PH.

		<b>a</b> )		Ì		
	GOVT.M	AA MAHAMAYA COLLEG	E KHADGAWA	N,DISTKO	OREA (C.G.)	
	ST ( RES	ERVED CATEGORIES) FEM	IALE, STUDI	ENTS ADMIS	SSION LIST	
			N -2019-20			
	PRO	)GRAMME NAME - B.A. ( BA	ACHELOR OF	ARTS ) PAR	T ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.A. FIRST			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	RAJ KUMARI	UMEND SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	SHIVLOCHANI	RAM LAL SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	SHYAM BAI	RAM SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	SUNITA	DEV KUMAR SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
5	URMILA	NAND KUMAR SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
6	VINITA	INDRABHAN SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
		TOTAL SEATS FOR ST ( FI	EMALE) <u>Catego</u>	ORIES -09		

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

		A MAHAWAYA COLLEG ERVED CATEGORIES) O				
			N -2019-20	1101110010		
	PROC	GRAMME NAME - B.A. ( B.	ACHELOR OF AR	TS) PART (	ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.A. FIRST YEA			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ADHIMAN SINGH	JAIPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
2	AMRITA SINGH	JAI SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
3	BHAGWAN SINGH	JAGAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
4	DHARMENDRA SINGH	RAM LAL	MALE	ST	ST	OPEN
5	GEETA	ITWAR SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
6	HEERA MANI	RAM PRASAD	FEMLAE	ST	ST	OPEN
7	JAYMAN	SUNDRALAL	FEMLAE	ST	ST	OPEN
8	JAYMAN BAI	SOMARSAI	FEMLAE	ST	ST	OPEN
,	KALASH KUNWAR	RAMDAYAL SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
10	KRANTI	DHARAMPAL	FEMLAE	ST	ST	OPEN
11	LAXMI SINGH	DUDHNATH SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
12	LALITA SINGH	RATAN SIGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
13	MAMTA	VEER SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
4	MANISH KUMAR	NEM SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
5	NEERAWATI	MAAN SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
	PREMLATA SINGH	UDAYBHAN SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
7	SANJAY KUMAR SINGH	RAM SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
8	SHASHI KUMARI	DEVNARAYAN	FEMLAE	ST	ST	OPEN
9	VINOD SINGH	SHANKAR SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
20	VIKASH SINGH	SHIVMANGAL SINGH	MALE	ST	ST	A OPEN

1 C 0000

GOVT MAAMAHAMAYA COLLEGI Whadqawan, Distr. Morea IC Q.

Ţ

-
- 6
14

### GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.) RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) FEMALE

#### SESSION -2019-20

### PROGRAMME NAME - B.A.( BACHELOR OF ARTS ) PART ONE

		CLAAS/YEAR -	B.A. FIRST	YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remark
1	RITA	GANPAT SIGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
2	INDRAWATI	MAHIPAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
3	MANISHA	UDIT NARAYAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
4	MANMATI SAHU	SAMAY LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
5	PRAMILA SINGH	BUDHLAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
6	PRIYANKA	SHYAM LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
7	SAVITRI	RAM LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
8	SEETA	NARAYAN	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMALE
9	TANU PATEL	GIRDHAR GOPAL PATEL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
		TOTAL SEATS FOR UN-RESERV	ED (FEMALE)	) CATEGORIES	-09	1

AISHE CODE **\C-9**695 PRINCIPAL COVE MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Disit, Korea (C G)

	ESERVED CATEGORIE	GOVT.MAA MAHAMAYA ( S STUDENTS LIST WHO ARE ADM	MITTED AGAINST GEN	ERAL RIT CA	TEGORY (UN-RESEF	VED ) OPE
			SESSION -2019-20			
		PROGRAMME NAME	- B.A.( BACHELOR OF A	RTS ) PART ON	F.	
SN	New Of Conversion	CLAAS/Y	EAR - B.A. FIRST Y	EAR		
	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
	AARADHANA	PARJAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	-
	ASHISH KUMAR	RAM PRASAD	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
3	CHAND KUMARI	DASHRATH	FEMALE	OBC		OPEN
4	GEETA DEVI	HANSLAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	JAI SINGH	DILIP SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	KHEERMATI	VISHVNATH SINGH	FEMALE		UN-RESERVED	OPEN
7	NEELAM YADAV	KESHAV PRATAP	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	PAPPI	DHAN SAI	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
9	PAVARO	ITWAR SAY	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
10	RADHA	PREAMLAL		ST	UN-RESERVED	OPEN
11	RAJESH KUMAR	KASHI RAM	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
12	RAM BAI	KANHAIYA SINGH	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
13	RAMENDRA KUMAR	PHULESHWAR	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	RAVI KUMAR	SAMELAL	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
	REETA		MALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
	RUKMANI	RAM DYAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	SANTOSHI	SUDHIR KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
		RAM LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	SAROJNI	SAPURAN DAS	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
-	SHRIMATI	UDAY SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
-	SHYAM SUNDARI	DEVLAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	TRIVENI	VANSHRUP	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
22	VIRENDRA SINGH	RAM SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	A OPEN
		TOTAL SEATS FOR UN-RESER	VED ( OPEN) CATEGORI	ES -22		Aug

AISHE CODE **∖.C**-9695

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C G)

	RESERVED CATEGO	AHAMAYA COLLEGE COL DRIES STURNTS LIST WH CATEGORY (UN-H	O ARE AD	MITTEL AGA	AINST GENERAL N	MERIT
			N 2019-20	/		
	PROGR	RAMME NAME - B.SC.( BAC	HELOR OI	SCIENCE )	PART ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIR			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	DINESH KUMAR SINGH	SURESH KUMAR SINGH	М	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	FULMATI	BUDDHU SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
	GAUTI YADAV	MANDHARI RAM	F	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	GEETA	SAMAY LAL	F	OBC	UN-RESERVED	OPEN
5	JANKEE	BALDEV SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	KAVINDRA	SANKAR SINGH	М	ST	UN-RESERVED	OPEN
7	MANMATI	SANT LAL	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	MAYA SAHU	RAM PRAKASH	F	OBC	UN-RESERVED	OPEN
9	PARWATI	LAL SAI SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
10	PRIYANKA	MAHENDRA SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
n i	SANDHYA KUMARI	KUNWAR SAI	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	SARSWATI	RAM SAY	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
13	SUNEETA	SHREERAM SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	VIKASH JAISWAL	DURGADEEN JAISWAL	М	OBC	UN-RESERVED	OPEN
	AISHE CODE	TOTAL SEATS FOR UN-RESERV	ED ( OPEN) C	ATEGORIES -14	GOVT. MAA	RINCIPAL MAHAMAYA COL

.

RE	SERVED CATEGORI	MAHAMAY COLLEGE COI ES STUDENTS LIST WHO ARI ( UN-RESERV	E ADMITTED A ED ) FEMALE	GAINST G	ENERAL MERIT	CATEGOR
	PRO	SESSIO GRAMME NAME - B.SC.( BAC	N 2019-20 CHELOR OF SC	IENCE	DTONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST Y		ART ONE	
-	Name Of Candidate	Father's Name	Gendar	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
	AMRITA NANDINI YADAV	SHIV KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
	NEELU	DHANI RAM	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
-	SNEHA	RAMNARAYAN	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
-	SUMAN	RAMPRAKASH THAKUR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
-	SUNITA SAHU	RATAN SINGH	FEMALE	ST	<b>UN-RESERVED</b>	FEMALE
	S STATT BINIO	RAM PRATAP SAHU	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE

1

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

	6	4			
GOVT.MAA M	AHAMAYA COLLEGE CO	LLEGE KHADGAV	VAN DIST.	-KOREA (C.G.	)
ST ( RE	SERVED CATEGORIES) O	PEN, STUDENTS	ADMISSIC	N LIST	·/
PROG	RAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF SCIE	NCE ) PAR	TONE	
	CLAAS/YEAR -				
Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
ANJUVALA	DHANNU SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
PUSHPA	PARSHOTAM	FEMALE	ST		OPEN
RAM BAI	GAMBHIR SINGH	FEMALE	ST		OPEN
RANGEETA	DAL PRATAP SINGH	FEMALE	ST		OPEN
RUPNARAYAN SINGH	DEEPNATH SINGH	MALE	ST		OPEN
SANGEETA	CHANDRABHAN	FEMALE	ST		OPEN
SANJAY SINGH	RAM KUMAR	MALE	ST		OPEN OPEN
SANTOSHI	LALIT NARAYAN	FEMALE	ST		OPEN
VINITA	SUKHRAM	FEMALE	ST		OPEN
VISHNU SINGH	GOKUL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
	ST ( RE PROG Name Of Candidate ANJUVALA PUSHPA RAM BAI RANGEETA RUPNARAYAN SINGH SANGEETA SANJAY SINGH SANTOSHI VINITA	ST (RESERVED CATEGORIES) O SESSIO PROGRAMME NAME - B.SC. (BA CLAAS/YEAR - Name Of Candidate Father's Name ANJUVALA DHANNU SINGH PUSHPA PARSHOTAM RAM BAI GAMBHIR SINGH RANGEETA DAL PRATAP SINGH RUPNARAYAN SINGH DEEPNATH SINGH SANGEETA CHANDRABHAN SANJAY SINGH RAM KUMAR SANTOSHI LALIT NARAYAN VINITA SUKHRAM VISHNU SINGH GOKUL SINGH	ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS         SESSION 2019-20         PROGRAMME NAME - B.SC. (BACHELOR OF SCIEN)         CLAAS/YEAR -       B.SC. FIRST YE.         Name Of Candidate       Father's Name       Gender         ANJUVALA       DHANNU SINGH       FEMALE         PUSHPA       PARSHOTAM       FEMALE         RAM BAI       GAMBHIR SINGH       FEMALE         RANGEETA       DAL PRATAP SINGH       FEMALE         RUPNARAYAN SINGH       DEFPNATH SINGH       MALE         SANGEETA       CHANDRABHAN       FEMALE         SANTOSHI       LALIT NARAYAN       FEMALE         VINITA       SUKHRAM       FEMALE         VISHNU SINGH       GOKUL SINGH       MALE	ST ( RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSIC         SESSION 2019-20         PROGRAMME NAME - B.SC. (BACHELOR OF SCIENCE ) PAR         CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR         Name Of Candidate       Father's Name       Gender       Category         ANJUVALA       DHANNU SINGH       FEMALE       ST         PUSHPA       PARSHOTAM       FEMALE       ST         RAM BAI       GAMBHIR SINGH       FEMALE       ST         RANGEETA       DAL PRATAP SINGH       FEMALE       ST         RUPNARAYAN SINGH       DEEPNATH SINGH       MALE       ST         SANJAY SINGH       RAM KUMAR       MALE       ST         SANTOSHI       LALIT NARAYAN       FEMALE       ST         VINITA       SUKHRAM       FEMALE       ST	PROGRAMME NAME - B.SC. ( BACHELOR OF SCIENCE ) PART ONECLAAS/YEAR -B.SC. FIRST YEARName Of CandidateFather's NameGenderCategoryADMITTED CATEGORYANJUVALADHANNU SINGHFEMALESTSTPUSHPAPARSHOTAMFEMALESTSTRAM BAIGAMBHIR SINGHFEMALESTSTRANGEETADAL PRATAP SINGHFEMALESTSTRUPNARAYAN SINGHDEFPNATH SINGHMALESTSTSANGEETACHANDRABHANFEMALESTSTSANJAY SINGHRAM KUMARMALESTSTVINITASUKHRAMFEMALESTSTVISHNU SINGHGOKUL SINGHMALESTST

TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -14

AISHE CODE **∖ C-9**695

Auni

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

				Ò		
	GOVT.MAA M	AHAMAYA COLLEGE CO	LLEGE KHA	DGAWAN ,D	ISTKOREA (C.(	<b>G.</b> )
	OBC ( R	ESERVED CATEGORIES)	OPEN, STU	DENTS ADM	ISSION LIST	
		SESSI	ON 2019-20			
	PROG	RAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF	SCIENCE )	PART ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRS	ST YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	MAMTA	DALEEP SAI	F	OBC	OBC	OPEN
2	RAVI PRASAD	KAMESHWAR PRASAD	М	OBC	OBC	OPEN
3	REEMA VISIIWAKARAM	VED RAM	F	OBC	OBC	OPEN
		TOTAL SEATS FOR OBC	C(OPEN) CATE	GORIES -06		1

÷

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEG! Khadgawan. Distt. Korea (C.G.)

	GOVT.MAA MA	HAMAY COLLEGE COI ERVED CATEGORIES) O	LEGE KHADO	AWAN ,DIST	ГKOREA (C.G.)	
			N -2019-20	15 ADM1551		
	PROGR	AMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF SO	CIENCE ) PA	RT ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST YE			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	REMARK
1	JAYARANI NIRALA	MAHIPAL NIRALA	FEMALE	SC	SC	OPEN
	MADAN MOHAN	SHYAM LAL	MALE	SC	SC	OPEN
3	REETA	ARJUN RAM	FEMALE	SC	SC	OPEN
		TOTAL SEATS FOR SC (	<b>OPEN)</b> CATEGO	DRIES -05	•	

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

	GOVT.	MAA MAHAMAYA COLLI	EGE KHADGAW	AN DIST K	OREA (C.G.)	
RE	SERVED CATEGORI	ES STUDENTS LIST WHO	ARE ADMITTER	ACAINST	ENEDAL MEDIT C	
		(UN-RES	ERVED ) OPEN	AGAINSI G	ENERAL MERII C	ATEGORY
			SION 201920			
	PROGR	AMME NAME - B.COM ( B	ACHELOR OF C	OMMERCE	) PART ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.COM. FIR	ST YEAR	JIANI UNE	
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
	DIGVIJAY SINGH	HEERA SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	ODEN
2	RAHUL NIRALA	MAHIPAL NIRALA	MALE	SC	UN-RESERVED	OPEN -
3	SANGEETA	DEV LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	SURAJSINGH	JWALA SINGH	MALE	ST		OPEN
5	SURENDRA KUMAR	MAHENDRA SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	VISHAL SINGH	LAXMAN SINGH			UN-RESERVED	OPEN
			MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
		TOTAL SEATS FOR UN-RE	SERVED ( OPEN) C.	ATEGORIES -14		

**£-96**95

PRINCIPAL

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGH Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

_			VED ) OPEN			
			N -2020-21			
		PROGRAMME NAME - B.A.( BA			NE	
		CLAAS/YEAR -	B.A. FIRST			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ANIL KUMAR	MOTILAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	ASHOK KUMAR SINGH	DALIP SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	AYUSH JAISWAL	NARESH JAISWAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	BAL SINGH	JAWAHIR SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	BHAGWAN SINGH	SHIV PAL SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	CHANDAN KUMAR NAMDEV	SHARVAN KUMAR NAMDEV	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	DEVSINGH SIRDAR	SHIV MANGAL SIRDAR	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
8	DIL KUWAR	MOHAN DAS	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
9	JAGMANIYA	GYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
10	NIRMAL SINGH	SHIVRAM SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	PRAMILA	MATHURA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	PRIYANK JAISWAL	MAHESH KUMAR JAISWAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
13	RAJ KUMARI	DEV NARAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	RAM KUMARI	SITA SHARAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
15	SAHDEV SINGH	DUBRAJ SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
16	SAVITA	BALBHADRA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
17	SAVITRI	HUKUM SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	SUKWARIYA	SWARATH SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
19	SUMAN	NIRMAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
20	SUNITA	SHIVRATAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
21	SURUCHI DHANWAR	SAILESH DHANWAR	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
22	UJIT SINGH	RAI SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	A OPEN
	AISHE CODE	FOTAL SEATS FOR UN-RESERVED ( O	PEN) CATEGO	RIES -22		thin

£-9695

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawar, Distr. Korea (C.G.)

			SERVED ) FEMA	LE	FENERAL MERIT CA	LEGORY
			SSION -2020-21			
		PROGRAMME NAME - B.			RT ONE	
	1	CLAAS/YEAF	R - B.A. FIRST	T YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remark
1	ANSHU SAHU	BIJESHWAR	F	OBC	UN-RESERVED	FEMALI
2	ARCHANA	VIJAY SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
3	CHANCHAL	SUNDER SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
4	DIPTI	SHIV KUMAR	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
5	HANS KUMARI	RAMESHWAR	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
6	RANIYA DEVI	BAHADUR SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
7	SEEMA	GOVIND SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
8	SUSHILA	AMEE LAL	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
9	VINITA	GULAB SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE

**C-9**695

Huy PRINCIPAL

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Disir, Koroa (C.G.)

-	GOVT.MA	MAHAMAYA COLLEGI	E KHADGAWAN,	DISTKORE	EA (C.G.)	
	SI (RESE	ERVED CATEGORIES) OF	PEN, STUDENTS	ADMISSIO	N LIST	
		SESSION	N -2020-21			
	PROG	RAMME NAME - B.A. ( BA	ACHELOR OF AR'	<b>FS ) PART O</b>	NE	
		CLAAS/YEAR -	<b>B.A. FIRST YEA</b>	R		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remar
1	ALOK KUMAR	MAHIPAL SINGH	MALE	ST	ST	
2	AMAR SINGH	LAXMAN SINGH	MALE	ST		OPEN
3	AMIT SINGH	SON SINGH	MALE	ST	ST ST	OPEN
4	ARJUN SINGH	ROOP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
5	BINDUWATI	DEV SINGH	FEMALE	ST		OPEN
	MAHESH	RAM PRASAD	MALE	ST	ST	OPEN
	NAVEEN KUMAR SINGH	PREET PAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
8	PRAMOD KUMAR	HARWANSH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
9	RAHUL SINGH	DEVLAL	MALE	ST	ST	OPEN
10	RAJENDRA PAL	GANPAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
11	RAM SINGH	INDRAPAL	MALE	ST	ST	OPEN
12	RAM JANAM	SHIV PRASAD	MALE	ST	ST	OPEN
13 1	RAMESH KUMAR	PANNA LAL	MALE	ST	ST	OPEN
	SATYADEV SINGH	DHARAM PAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
15 5	SURESH SINGH	KAULESHWAR	MALE	ST	ST ST	OPEN
	JMENDRA SINGH	SAMPAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
7	/IKASH KUMAR	RAM BHAJAN	MALE	ST	ST	OPEN
8 1	/IKRAM SINGH	LAL SAY	MALE	ST	ST	OPEN
9 F	COSHNI	NARAYAN SINGH	FEMALE	F	ST	OPEN
		TOTAL SEATS FOR ST ( O		-		OPEN

1

PRINCIPAL

GOVT: MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distt. Korea (C, G)

-	GOVT MA									
	GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DISTKOREA (C.G.)									
	ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST									
	SESSION -2020-21 PROGRAMME NAME DA (DA CUDY OF OF									
	PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE									
		CLAAS/YEAR -	B.A. FIRST Y	EAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remai				
1	AMARWATI	DHANNU SINGH	F	ST	ST					
2	BASANTI	GULAB SINGH	F	ST	ST	FEMA				
3	JIRAWATI	CHHATRA PAL SINGH	F	ST	ST	FEMAI				
4	KALAVATI	SHIVA SINGH	F	ST		FEMAI				
5	KANCHAL	SUNDER SINGH	F	ST	ST	FEMAL				
6	MAYA	BHAGWAN SINGH	F	ST	ST	FEMAL				
7	PHUL KUNWAR	AMRIT SINGH	F	ST	ST	FEMAL				
8	POOJA WATI	VIDHAWAN SINGH	F	ST	ST	FEMAL				
9	PRABHAWATI	BALRAM SINGH	F		ST	FEMAL				
			F	ST	ST	FEMA				

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

	GOVT MA	MAHAMANA COLLEGE									
	GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DISTKOREA (C.G.)										
	OBC ( RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST SESSION -2020-21 PROGRAMME NAME - B.A. ( BACHELOR OF ARTS ) PART ONE										
		CLAAS/YEAR -	B.A.FIRST								
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remar					
1	ARTI	DHANESHWAR	F	OBC	OBC	OPEN					
2	CHANDA	BHOLA PRASAD	F	OBC	ОВС	OPEN					
3	DEEPAK KUMAR THAKUR	LAXMI PRASAD THAKUR	М	OBC	OBC	OPEN					
4	JAYOTI YADAV	ARJUN YADAV	F	OBC	OBC	OPEN					
5	MOHAN KUMAR YADAV	HARISHCHANDRA YADAV	М	OBC	OBC	OPEN					
6	NEHA	RAJENDRA LAL	F	ОВС	OBC	OPEN					
7	RADHA	SUKHRAM	F	OBC	OBC	OPEN					
8	SEEMA	NAND LAL	F	OBC	OBC	OPEN					
9	SUMAN YADAV	RAMAVTAR	F	OBC	ОВС	OPEN					

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL GOVT, MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distl. Korea (C.G.)

FT

				•		
R	GOVT.M	AA MAHAMAYA COLLEG	E KHADGAWA	N ,DISTK	OREA (C.G.)	
	CALEGORIES	STUDENTS LIST WHO AR	E ADMITTED A	GAINST G	ENERAL MERIT O	CATEGORY
			<u>RVED ) OPEN</u> N -2020-21			
	PROGE	RAMME NAME - B.SC.( BA		IFNCE ) D		
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST		ARIONE	
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	REMARK
1	AISHWARY TIWARI	PUSHPRAJ TIWARI	MALE	GEN	. UN-RESERVED	OPEN
2	GAYTRI	GOURI SHANKAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
3	HEMCHAND	HEERAMANI	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	INDRA KALI	HANS LAL	FEMALE	OBC .	UN-RESERVED	OPEN
5	JYOTI	DARIY KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
6	KALAWATI	RAMPRASAD SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
7	KALSSH KUNWAR	SHIV PRASAD	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	KAVITA SONWANI	SHYAMLAL SONWANI	FEMALE	(SC)	UN-RESERVED	OPEN
9	PREETI RAVI	LAL SAI	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
10	RAIMUNIYA	BRIJLAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
11	ROHITT KUMAR	RANG BAHADUR	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	SAHIL KUMAR JAISWAL	SANTOSH KUMAR	MALE	OBC	UN-RESERVED	
13	SAVINDRA SINGH	RANG LAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	SURAJ LAL	PREM LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
	TOTA	AL SEATS FOR UN-RESERVED ( C			OTTRESERVED	OPEN
			,			A

0

0

AISHE CODL **\\_.C-9695**  PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

	GOVT.	MAA MAHAMAYA COLLEG	E KUADCAW			
	RESERVED CATE	GORIES STUDENTS LIST W CATEGORY (UN-R	HO ARE ADM	ITTED AGA	INST GENERAL	MERIT
		SESSIO	N -2020-21			
	PROC	GRAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF S	CIENCE )	PART ONE	
	1	CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remar
1	KAJAL	SUBHASH	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMAL
2	KARISHMA	DURGA PRASAD	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMAL
3	SUNEETA	CHHOTELAL	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMAL
4	SANGEETA SAHU	BANSHI LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMAL
5	SUSHILA	RAMNARAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMAL
б	SUSHMA DEVI	RAY SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMAL

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -06

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL GOVT, MAA MAHAMAYA COLLEGH Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

				•			
	GOVT.M	AA MAHAMAYA COLLEG	GE KHADGAWAI	N,DISTKO	REA (C.G.)		
	ST ( RE	SERVED CATEGORIES) (	OPEN, STUDEN	<b>FS ADMISSI</b>	ON LIST		
		SESSI	ON -2020-21				
	PROG	RAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF SCI	ENCE ) PA	RT ONE		
	CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remar	
-	BEBI	RAM PRASAD	FEMALE	ST	ST	OPEN	
	BELASIYA	SOMAR SAI	FEMALE	ST	ST	OPEN	
	CHNDRA PRAKASH	NARESH CHAND	MALE	ST	ST	OPEN OPEN	
4	EEDNARAYAN SINGH	RAJMANIYA	MALE	ST	ST	OPEN	
	GHANSHYAM	BANSHRUP	MALE	ST	ST	OPEN	
-	JAY SINGH KAMRO	ANGAD SINGH	MALE	ST	ST ST	OPEN	
7	JEET KUMARI	CHETSINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
	KAVITA	MAAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
9	RAMAYAN SINGH	BHAGWAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
10	RAVI KUMARI	BHAIYA LAL	FEMALE	ST	ST		
11	REETAN	PANNE LAL	MALE	ST	ST	OPEN	
12	SAMEER SINGH	RAMJEET	MALE	ST	ST	OPEN	
13	SANGEETA	SHIV BHAJAN	FEMALE	ST	ST	OPEN	
14	SARITA	JIWAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
		TOTAL SEATS FOR ST			51	OPEN	

Thus

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C,G)

		•		•		
	GOVT	MAA MAHAMAYA COLLEO	GE KHADGAV	VAN .DIST	KOREA (C.G.)	
	ST ( RE	SERVED CATEGORIES) FI	EMALE, STU	JDENTS AD	MISSION LIST	
		SESSIC	DN -2020-21			
	PRO	GRAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF	SCIENCE	PART ONE	
	1	CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRS			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remar
1	BABI	ADHEEN SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMAI
2	INDRA KUNWAR	JAISHIT	FEMALE	ST	ST	FEMAL
3	MANKUNWAR	UMEND SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMAL
4	MAYAWATI	RAM BHAJAN	FEMALE	ST	ST	FEMAL
	SHANTI	AMIR SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMAL
5						I LIVIAL

AISHE CODE • **C-9695** 

:

PRINCIPAL GOVT, MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, DistL. Korea (C.G.)

		•		•					
GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DISTKOREA (C.G.)									
	OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST								
		SESSIC	DN -2020-21						
	PROGR	AMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR O	F SCIENCE	PART ONE				
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIF	RST YEAR					
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remar			
1	NEHA	HEMANT KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	OPEN			
		TOTAL SEATS FOR OBC	C(OPEN) CAT	EGORIES -06	L L				

AISHE CODE

PRINCIPAL GOVT, MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distr. Korea (C.G.)

	GC	OVT.MAA MAHAMAYA COLLE	GE KHADGAWAI	N DIST-KORE	$\Lambda(CC)$	
	RESERVED CATEGO	DRIES STUDENTS LIST WHO A	RE ADMITTED A	GAINST GENE	DAL MEDIT CATECO	
		( UN-RESE	ERVED ) OPEN	SIMIST GENE	CAL MENT CALEGO	JKI
		SESSI	ION 2020-21			
	PRO	OGRAMME NAME - B.COM ( BA	ACHELOR OF CO	MMERCE ) PA	RT ONE	
	=	CLAAS/YEAR -	<b>B.COM. FIRST</b>	YEAR		_
	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
	INDRA KUNWAR	SHIV RAM SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	ODEN
	KAUSHILYA SINGH	ANAND RAM	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	MAMTA SAHU	BHADGAWAN DAS	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	NAARENDRA SINGH	SHANKAR SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	NAND PRASAD	INDRAPAL	MALE	SC		OPEN
	PRADIP KUMAR	BAIJNATH	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	RAM BARAN SINGH	RAM LAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	SANDHYA	RAJNATH SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
9_	SARASWATI	RAMAYAN SINGH	FEMALE		UN-RESERVED	OPEN
10	SHIVKANTI	JAGMOHAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
				ST	UN-RESERVED	OPEN
		TOTAL SEATS FOR UN-RES	ERVED (OPEN) CA	TEGORIES -14		

AISHE CODE

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

	RESERVED	GOVT.MAA MAHAMAYA CO CATEGORIES STU ENTS LIST WI ( UN-1		AGAINST G		
	P Sector Contractor	S	ESSION -2021-22			
_		PROGRAMME NAME - B	B.A.( BACHELOR OF	ARTS ) PART ON	E	
	1	CLAAS/YEA	R - B.A. FIRST	YEAR		
S.N.	. Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AARTI	RAM LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
2	BASANTI	SUMER SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	BHAGWANTI	DUDHNATH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	BIJESH KUMAR SAHU	JAGJEEVAN LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
5	CHANDARMATI	SHANKAR SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	DEEPA	BALKARAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
7	GANESHWAR SIRDAR	PREM SAY	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
8	INDRAWATI SINGH	HEERA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
9	KAMLESH KUMAR	TULSI PRASAD	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
10	MEENA	DHARAM PAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	MITHU LAL	JAIPAL	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
12	NEERA	RAJA RAM	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
13	PREMWATI	BUDDHU SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	RAJKAMAL	KALICHARAN	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
15	RAMBAI	PATIRAJ SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
16	REENU YADAV	RAM RATAN YADAV	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
17	ROUSHNI	RAJENDRA PRATAP SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
18	SARASWATI	RAMCHANDRA	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
19	SHIV PRASAD	DHARM JIT	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
20	SHUSHMITA	GANGA RAM	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
21	SUKHMANIYA	DILIP SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
22	SUNITA	CHHATRAPAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
	Т	OTAL SEATS FOR UN-RESERVED	O ( OPEN) CATEGO	RIES -22		How


AISHE CODE C-9695 PRENCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.N	MAA MAHAMAYA COLLEG	E KHADGAWA	AN ,DISTK	(OREA (C.G.)	
RESERVED CATEO				INST GENERA	L MERIT
			EMALE		
DD					
PR	COGRAMME NAME - B.A.( BA	ACHELOR OF	ARTS ) PA	RT ONE	
	CLAAS/YEAR -	<b>B.A. FIRST</b>	YEAR		
Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remark
AMAN	RAMAVTAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
BABLI	UMA SHANKAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
CHHOTI KUMARI	PRABHUNARAYAN	FEMALE	General	UN-RESERVED	FEMALE
DURGAWATI	RAGHURAJ SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
PALAK	CHINTA MANI	FEMALE	General	UN-RESERVED	FEMALE
SHYAM KUNWAR	RAM PRASAD	FEMALE	General	UN-RESERVED	FEMALE
SULOCHANI	SITA RAM	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
SUMITRA BAI	DEVNARAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
URMILA	KALYAN	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
	RESERVED CATEO PR Name Of Candidate AMAN BABLI CHHOTI KUMARI DURGAWATI PALAK SHYAM KUNWAR SULOCHANI SULIOCHANI SUMITRA BAI	RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WH CATEGORY (UN-R) SESSIO PROGRAMME NAME - B.A.( BA CLAAS/YEAR - Name Of Candidate Father's Name AMAN RAMAVTAR BABLI UMA SHANKAR CHHOTI KUMARI PRABHUNARAYAN DURGAWATI PRABHUNARAYAN DURGAWATI RAGHURAJ SINGH PALAK CHINTA MANI SHYAM KUNWAR RAM PRASAD SULOCHANI SITA RAM SUMITRA BAI DEVNARAYAN SINGH	RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMI         CATEGORY (UN-RESERVED) F         SESSION -2021-22         PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF         CLAAS/YEAR -         B.A. FIRST         Name Of Candidate         Father's Name         Gender         AMAN       RAMAVTAR         FEMALE       BABLI         UMA SHANKAR       FEMALE         CHHOTI KUMARI       PRABHUNARAYAN         DURGAWATI       RAGHURAJ SINGH         PALAK       CHINTA MANI         SHYAM KUNWAR       RAM PRASAD         SULOCHANI       SITA RAM         SUMITRA BAI       DEVNARAYAN SINGH	RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGA         CATEGORY (UN-RESERVED) FEMALE         SESSION -2021-22         PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PAJ         CLAAS/YEAR -         B.A. FIRST YEAR         Name Of Candidate         Father's Name         Gender         Caregory         AMAN       RAMAVTAR       FEMALE       OBC         BABLI       UMA SHANKAR       FEMALE       OBC         CHHOTI KUMARI       PRABHUNARAYAN       FEMALE       General         DURGAWATI       RAGHURAJ SINGH       FEMALE       General         SHYAM KUNWAR       RAM PRASAD       FEMALE       General         SULOCHANI       SITA RAM       FEMALE       ST         SULOCHANI       DEVNARAYAN SINGH       FEMALE       ST	SESSION -2021-22         PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS ) PART ONE         CLAAS/YEAR -       B.A. FIRST YEAR         Name Of Candidate       Father's Name       Gender       Caregory       Admitted Category         AMAN       RAMAVTAR       FEMALE       OBC       UN-RESERVED         BABLI       UMA SHANKAR       FEMALE       OBC       UN-RESERVED         CHHOTI KUMARI       PRABHUNARAYAN       FEMALE       General       UN-RESERVED         DURGAWATI       RAGHURAJ SINGH       FEMALE       General       UN-RESERVED         SHYAM KUNWAR       RAM PRASAD       FEMALE       General       UN-RESERVED         SULOCHANI       SITA RAM       FEMALE       ST       UN-RESERVED         SUMITRA BAI       DEVNARAYAN SINGH       FEMALE       ST       UN-RESERVED

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -09

AISHE COD" **X-C-9695**  PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadqawan, Distt. Korea (C G)



	ST ( RES	AA MAHAMAYA COLLEG	PEN, STUDENT	S ADMISSIC	ON LIST		
			N -2021-22				
	PRO	GRAMME NAME - B.A. ( B.	ACHELOR OF AF	RTS ) PART	ONE		
CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR							
S.N.	Name Of Candidate			Category	Admitted Category	Remark	
1	ANITA KUMARI	RAM PRASAD	FEMALE	ST	ST	OPEN	
2	BECHAN	HRIDAY SAI	MALE	ST	ST	OPEN	
3	BHAGWAN SINGH	SHIV KUMAR SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
4	GANESH KUMAR SINGH	TIRATH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
5	GEETA SINGH	MANIRAM	FEMALE	ST	ST	OPEN	
6	HIRONDIYA	BUNDLAL	FEMALE	ST	ST	OPEN	
7	KAUSHAL SINGH	SANTOSH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
8	LALAN SINGH	SHIV NARAYAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
9	MANISH KUMAR SINGH	RAMAYAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
10	RAM SINGH	SUMAR SAI	MALE	ST	ST	OPEN	
11	RAVI SINGH	RAM PRAVESH	MALE	ST	ST	OPEN	
12	ROHIT	BRIJ MOHAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
13	SANDEEP KUMAR	BAHAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
14	SHIV KUMAR	JAI SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
15	SHIV BACHAN SINGH	DALPRATAP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
16	SHUBH LAL	RAMA SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
17	SONAM	BABLU SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN	
18	VINOD KUMAR	SHIVPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
19	VISHAL SINGH	SHIV KUMAR SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
20	YASHVANT SINGH	B K BHARAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN	
		TOTAL SEATS FOR ST (	OPEN) CATEGO	RIES -20		they	

AISHE CODE C-9695

-

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distr. Korea (C.G.)

	GOVT.MA	A MAHAMAYA COLLEGI	KUADCAWAN			
	ST ( RESE	RVED CATEGORIES) FEM	ALE STUDEN	TS ADMIS	$\frac{\text{(EA (C.G.)}}{\text{SION LIST}}$	
			N -2021-22	15 ADMIS		
	PROC	GRAMME NAME - B.A. ( BA		RTS) PART	ONE	
		CLAAS/YEAR -	<b>B.A. FIRST YE</b>			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ASHIKA	SHIV PRASAD	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	BUNDKUNWAR	DEVNARAYAN SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	DIPTI	TILAKDHARI SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	JAI MILA	DHANI RAM	FEMALE	ST	ST	FEMALE
5	JAYMANTI	SHYAM LAL	FEMALE	ST	ST	FEMALE
6	KAUSILYA	SANTOSH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
7	LALITA BAI	KRIPAL SINGH	FEMALE	ST	<u>ST</u>	FEMALE
8	PHOOLKUNWAR	SUKHNANDAN SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
U U						TEMALE

AISHE CODE .C-9695

-

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

		MAHAMAYA COLLEGE KH. ERVED CATEGORIES) OPEN,				
		SESSION -202				
	PROG	RAMME NAME - B.A. ( BACHE	LOR OF AR	TS)PART	ONE	
		CLAAS/YEAR - B.A	A.FIRST YE	AR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	VINOD KUMAR	GORE LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
2	ASHOK KUMAR YADAV	DHANIRAM YADAV	MALE	OBC	OBC	OPEN
3	GANESH YADAV	RAJA RAM YADAV	MALE	OBC	OBC	OPEN
4	NARESH	AMARJEET	MALE	OBC	OBC	OPEN
5	PANKAJ KUMAR	RAMKHELAWAN	MALE	OBC	OBC	OPEN
6	RAHUL GUPTA	ASHOK GUPTA	MALE	OBC	OBC	OPEN
7	ROHIT KUMAR YADAV	SANTOSH KUMAR YADAV	MALE	ОВС	OBC	OPEN
8	SHUBHAM RAJWADE	VIJAY KUMAR RAJWADE	MALE	OBC	OBC	OPEN
9	SUNIL KUMAR	RAJ KUMAR	MALE	OBC	OBC	OPEN

2

AISHE CODE

PRINCIPAL GOVT: MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

6

1		•		•		
	GOVT.MAA	MAHAMAYA COLLEGE K	HADGAWAN	J.DISTKO	REA (C.G.)	
	OBC ( RESE	RVED CATEGORIES) FEMA	LE, STUDE	NTS ADMIS	SSION LIST	
_		SESSION -2	2021-22			
	PROG	RAMME NAME - B.A. ( BAC	HELOR OF A	RTS ) PART	ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.A.FIRST Y	EAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ARCHANA	RAMPREET RAJAK	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
2	KUSUSM	RAM PRASAD	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
3	KHUSHBOO SAHU	SHYAMCHARAN SAHU	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
4	LALITA YADAV	SITA RAM YADAV	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
		TOTAL SEATS FOR OBC ( FEM	IALE) CATEG	ORIES -04		

AISHE CODE C-9695

Haus

PRINCIPAL GOVT, MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distt, Korea (C.G.)

	GOVT.N	IAA MAHAMAYA COLLEGE J	KHADGAWAN	N,DISTKO	REA (C.G.)	
		ESERVED CATEGORIES) OPE				
		SESSION -				
	PR	OGRAMME NAME - B.A. ( BAC	CHELOR OF A	RTS ) PART	ΓΟΝΕ	
	r	CLAAS/YEAR -	B.A.FIRST Y	EAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	BHOJ KUMAR	RAJU PRASAD	MALE	SC	SC	OPEN
2	KAMLESHWAR PRASAD	PRAKASH DEV PRASAD	MALE	SC	SC	OPEN
3	SANJNA SURYA	RAGHUVEER PRASAD SURYA	FEMALE	SC	SC	OPEN
4	RAJANTI	NARAYAN SINGH	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
5	SANTOSHI SINGH	UDIT NARAYAN	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
6	SARASWATI	MAHIPAL SINGH	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
7	SONKUNWAR	JAI PAL SINGH	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
	SUMITRA SINGH	JAINATH	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN

AISHE CODE C-9695

1

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distl. Korea (C,G)

	GOVT	МАА МАНАМАУА С	OLLEGE KI	LADGAWAN	,DISTKOREA (C.G.)			
1	DIVVANJAN (F	ESERVED CATEGOR	IES) OPENA	FEMALE	STUDENTS ADMISSION	t fer		
			SESSION -20	121-22		1 1131		
	P	ROGRAMME NAME -	B.A. (BACH	ELOR OF A	RTS ) PART ONE			
		CLAAS/YI		A.FIRST YI				
	ame Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark		
the second se	SUMLATA	SHIVAN SINGH	FEMALE	ST	AGAINST DIVYANGJAN	OPEN		
and the second division of the second divisio	DJA YADAV	DENI KUMAR YADAV	FEMALE	OBC	AGAINST DIVYANGJAN			
3 SUS	SHILA DEVI	ANGAD SINGH	FEMALE	ST	AGAINST DIVYANGJAN	OPEN		
4 TAI	RA	DURGA SINGH	FEMALE	ST		OPEN		
		TOTAL SEATS FOR D		SI BI ( OPEN M	AGAINST DIVYANGJAN	FEMALE		

AISHE CODI

£-9695

PRINCIPAL GDVT. MAA.MAHAMAYA.GOLLBER Khadgawan, Bian, Korsa (C.G.)

		۲			•			
-	GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DISTKOREA (C.G.)							
FRE	EDOM FIGHTERS	& EX-SERVICEMEN	RESERVED	CATEGOR	IES) OPEN& FEMALE	) STUDENTS		
		S	<b>ESSION - 202</b>	1-22				
	PR	OGRAMME NAME - B	.A. ( BACHE	LOR OF AR	TS ) PART ONE			
	1	CLAAS/YEA	- B.A	.FIRST YEA	R			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark		
	URMILA	BUDHRAM	FEMALE	ST	AGAINST EX/FF	OPEN		
2	2 YOGESHWARI CHHEDI LAL FEMALE OBC AGAINST EX/FF FEMALE							
	тот	TAL SEATS FOR FF AND	EX-SER 02 (	OPEN-01 AND	FEMALE - 01)			

AISHE CODE .C-9695

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

					٥	
	GOV	Г.МАА МАНАМАҮА	COLLEGE	KHADGAW	AN ,DISTKOREA (C.G.)	
-	<u>SC(</u> F	RESERVED CATEGO	RIES) FEMA	LE, STUD	ENTS ADMISSION LIST	
			SESSION	-2021-22		
	I	PROGRAMME NAMI	E - B.A. ( BAC	CHELOR OF	ARTS ) PART ONE	
		CLAAS/		<b>B.A.FIRST</b>		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	SUNITA	RAMLAL	FEMALE	ST	AGAINST SC FEMALE	FEMALE
2	SUNITA	DINESH KUMAR	FEMALE	ST	AGAINST SC FEMALE	FEMALE
3	SUSHILA	SHIV CHARAN	FEMALE	ST	AGAINST SC FEMALE	FEMALE
		TOTAL SEATS	FOR SC (FEN	IALE) CATE	GORIES -03	

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL COVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadgawan, Distl. Korea (C.G.)

	GC	WT.MAA MANAMAYA COLLEC	E KHADGAWA	N,DISTKOR	EA (C.G.)	
	RESERVED CATEGO	DRIES STUDENTS LIST WHO AF	RE ADMITTED A RVED ) OPEN	GAINST GEN	ERAL MERIT CATEGO	DRY
		SESSIC	N -2021-22			
	Т	ROGRAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF SC	IENCE ) PAR	RT ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST	YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AARTI	ROHIT	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
2	AMITESH PANDEY	MUKUND DEV PANDEY	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
3	ASHWANI KUMAR	MOTI LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	BHILESH KUMAR	PANAS RAM	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
5	DEVENDRA	RAMAVATAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
6	KARTIK YADAV	RAJA RAM YADAV	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	LALITA	SUKHDEV SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	MADHU SARITA	RAY SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
9	MANISHA	RAM LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
10	MD TAUSIF RAZA	ESLAM KHAN	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
н	REENA	RAMADHAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
12	ROHIT KUMAR JAISAWAL	RAJESH KUMAR JAISWAL	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
13	SAHIL KUMAR SAHU	VIJAY KUMAR SAHU	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
14	USHA YADAV	SUSHIL KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
	то	TAL SEATS FOR UN-RESERVED ( (	DPEN) CATEGOR			UFEN

AISHE CODE C-9695

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGP Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

PRINCIPAL

	RESERVED CATE		ARE ADMITTED A RVED ) FEMALE ION -2021-22	GAINST GENE	RAL MERIT CAT	EGORY
		PROGRAMME NAME - B.SC.( B	ACHELOR OF SCI	ENCE ) PART	ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST Y	EAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ANSHU RATHIYA	MAHESH RATHIYA	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
2	CHANDA	SHYAM LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
3	HANSA	JAWAHIR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
4	PURNIMA	DHANIRAM	FEMALE	ОВС	UN-RESERVED	FEMALE
5	SNEHA DUBEY	SUBHASH DUBEY	FEMALE	General	UN-RESERVED	FEMALE
	URMILA	VEER SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE

AISHE CODI C-9695

PRINCIPAL COVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Diste. Koroa (C.Q.)

1						
1	GO	VT.MAA MARAMAYA COLLEG	E KHADGAWAN ,DI	STKOREA (	C.G.)	
	ST ( RI	ESERVED CATEGORIES) O	PEN, STUDENTS	ADMISSIC	ON LIST	
			N -2021-22			
	P	ROGRAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF SCIENC	E) PART O	NE	
		CLAAS/YEAR -	<b>B.SC. FIRST YEAF</b>	2		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ANCHAL	DURGA SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
2	ANJALI	VISHWANATH	FEMALE	ST	ST	OPEN
3	ANJALI SINGH	RAI SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
4	HARBHAJAN SINGH	RAM PRASAD	MALE	ST	ST	OPEN
5	MADHUBAN SINGH	BANSHI LAL	MALE	ST	ST	OPEN
5	MONU SINGH	GULAB SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
7	MUKESH SINGH	JAIRAM SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
8	NEELAM SINGH	SUKHRAM SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
9	NEHA	SHIVSAGAR	FEMALE	ST	ST	OPEN
10	NIKHIL SINGH	SANTOSH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
11	NITESH SINGH	BRIJLAL	MALE	ST	ST	OPEN
12	OM PRAKASH SINGH	RAMPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
13	RAJESH KUMAR	RAJAN PRATAP	MALE	ST	ST	OPEN
14	SHYAM SINGH	BABU LAL	MALE	ST	ST	OPEN
		TOTAL SEATS FOD ST	ODEN) CATECODIE	2 14		CARL LIN. COMMUNIC. (A)

TOTAL SEATS FOR ST ( OPEN ) CATEGORIES -14

AISHE CODE

1

PRINCIPAL

GOVT, MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, Distt. Korea (C,G)

		۲		•		
	GOV	T.MAA MAHAMAYA COLLEGH	E KHADGAWAN	DISTKOREA	(C.G.)	
	ST ( RES	ERVED CATEGORIES) FEM	IALE, STUDE	NTS ADMIS	SION LIST	
			N -2021-22			
	PI	ROGRAMME NAME - B.SC.( BAC	HELOR OF SCIE	NCE ) PART (	DNE	
		CLAAS/YEAR -	<b>B.SC. FIRST YE</b>	EAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Сатедогу	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ANJANA	GORE LAL	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	DEV KUNWAR	VIJAY SINGH VIJAY SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	JYOTI SINGH	DEVENDRA SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	MANJU	RAM PRASAD	FEMALE	ST	ST	FEMALE
5	RAMWATI	NIRANJAN	FEMALE	ST	ST	FEMALE
6	REETA	HARICHARAN	FEMALE	ST	ST	FEMALE
		TOTAL SEATS FOR ST (F	EMALE) CATEGO	ORIES -06	-	

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL COVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

	GOVT.N	MAA MAHAMAYA COLLEGE I	KHADGAWAN ,	DISTKOREA	(C.G.)	
	OBC (1	RESERVED CATEGORIES) OP	EN, STUDENTS	S ADMISSION	LIST	
		SESSION -	2021-22			
	PROC	RAMME NAME - B.SC.( BACH	ELOR OF SCIEN	NCE ) PART	ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST YE.	AR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ASHOK	RAMDHARI	MALE	OBC	OBC	OPEN
2	AVINASH KUMAR	PYARE LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
3	DIPESH KUMAR SAHU	PARAMANAND	MALE	OBC	OBC	OPEN
4	RAJA KUMAR	AMRIT LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
5	SARSAWATI	JAGESHWAR	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
6	VIJAY KUMAR	AKHILESH	MALE	OBC	OBC	OPEN
		TOTAL SEATS FOR OBC ( (	PEN) CATECOL			



Thus PRINCIPAL

GOVT, MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadgawan, Distr. Korea (C.Q.)

	GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DISTKOREA (C.G.)									
	0	BC ( RESERVED CATEGORIES) FEM	ALE, STUDEN	TS ADMISSIO	N LIST					
	SESSION -2021-22									
	PROGRAMME NAME - B.SC.( BACHELOR OF SCIENCE ) PART ONE									
		CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR								
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMAR				
1	RUBI YADAV	SANTOSH KUMAR YADAV	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE				
2	SUNAINA	SANTOSH KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE				

AISHE CODE

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

					AWAN ,DISTKOREA (C.G.)			
SC ( RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST								
SESSION -2021-22								
PROGRAMME NAME - B.SC.( BACHELOR OF SCIENCE ) PART ONE								
		CLA	AS/YEAR -	S/YEAR - B.SC. FIRST YEAR				
	Name Of							
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK		
<b>S.N.</b> 1		Father's Name RAM KRIPAL	Gender FEMALE	Category ST	ADMITTED CATEGORY AGAINST SC FEMALE	FEMALE		



PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, DistL. Korea (C.G.)

	GOVT.M	AA MAHAMAYA C	OLLEGE KH	IADGAWAN	N,DISTKOREA (C.G.)		
DIVYANJAN (RESERVED CATEGORIES) OPEN & MALE, STUDENTS ADMISSION I SESSION -2021-22							
		CLAAS/YE		SC. FIRST Y			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARI	
1	SOMU	GANGARAM	MALE	OBC	AGAINST DIVYANGIAN	OPEN	
12	SOMU SURAJ KUNWAR	GANGARAM RAM SUNDAR	MALE FEMALE	OBC ST	AGAINST DIVYANGJAN AGAINST DIVYANGJAN	OPEN OPEN	

AISHE CODE .C-9695

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distl. Korea (C.G.)

	GOVT.	MAA MAHAMAYA	<b>COLLEGE</b>	KHADGAW	AN ,DISTKOREA (C.G.)						
	FREEDOM FIG	HTERS (RESERVI	ED CATEGO SESSION -	RIES) OPEN 2021-22	I, STUDENTS ADMISSIO	N LIST					
	PROGRAMME NAME - B.SC.( BACHELOR OF SCIENCE ) PART ONE CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR										
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK					
1	SUSHMA	RAJJAN SINGH	FEMALE	ST	AGAINST EX/FF	OPEN					
2	TEEJKUNWAR	VIJAY SINGH	FEMALE	ST	AGAINST EX/FF	FEMALE					
		TOTAL SEATS FOR FR	EEDOM FIGHT	ERS - 02 ( OPE)	N-01.FEMALE-01)						

AISHE CODE **C**-9695

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE Khadgawan, DistL. Korea (C.G.)

	GOV	T.MAA MAHAMAYA COLLEG	GE KHADGAWAN	N,DISTKOREA	(C.G.)	
		SC ( RESERVED CATEGORIES) (	OPEN, STUDENTS	S ADMISSION LI	ST	
		SESSIC	ON -2021-22			
	PF	ROGRAMME NAME - B.SC.( BA	CHELOR OF SCI	ENCE ) PART	ONE	
		CLAAS/YEAR -	B.SC. FIRST Y	'EAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMAR
1	MAUSAMI SURYA	MOHAN SURYA	FEMALE	SC	SC	OPEN
2	PRAVEEN KUMAR	JAWAHIR RAM	MALE	SC	SC	OPEN
3	SAPNA SURYA	SOHAN SURYA	FEMALE	SC	SC	OPEN
<u> </u>	SUDESH KUMAR	PREMCHAND	MALE	SC	SC	OPEN
	SODESH KOMAK					

ALSHE CODE \* C-9695

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEG† Khadqawan, Disti, Korea (C.Q.)

	GOVT.	MAA MAHAMAYA COLLEGE H	CHADCAWAN	DIST KOI		
	RESERVED CATEG	OPIES STUDENTS LIST WHO IS T	uiaboa wan	,0131K01	<b>NEA</b> (C.G.)	
		ORIES STUDENTS LIST WHO ARE A	DMITTED AGAI	NST GENER	AL MERIT CATEGO	RY
		( UN-RESERVE				
	BBOCD	SESSION	2021-22			
	PROGR	AMME NAME - B.COM (BACHI	ELOR OF COM	MERCE )	PART ONE	
		CLAAS/YEAR - B.COM	<b>1. FIRST YEAR</b>	ł		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	AJAY	MAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	ANNU SINGH	RUPNARAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	KSHITIJ KUMAR	SHIV KUMAR	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	LOKNATH	JAWAHIR SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	MAANMATI	PREMLAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	MADHURI	MAN SINGH GOND	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
	PAYAL	CHINTAMANI PANDEY	FEMALE	General	UN-RESERVED	OPEN
8	POOJA	PANNA LAL	FEMALE	SC	UN-RESERVED	
9	PRADEEP KUMAR	LALSAY	MALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
10	RAJ SINGH	HARISH CHANDRA SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	RAMCHARAN	SUKHI RAM	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	SANSKAR JAISWAL	YOGESH JAISWAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
	SHIMLA	SHANICH RAM	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	VIKAS SINGH	INDRAPAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
		TOTAL SEATS FOR UN-RESERVE			UN-KESEKVED	OPEN

AISHE CODE

- Auni

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGF Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

## GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

## RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY

(UN-RESERVED) OPEN

SESSION -2021-22

### PROGRAMME NAME - B.COM.( BACHELOR OF COMMERCE ) PART ONE

		CLAAS/YEAR -	<b>B.COM.FIRST</b>	YEAR		
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remark
1	POOJA	AMOL SINGH	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
2	PREETI	SANTLAL	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
3	RAVIKALA	HORILAL	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
4	SANTOSHI	SHIV DARSHAN SINGH	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
5	SARITA	PAWAN SINGH	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
6	SARTI DEVI	MANOHAR SINGH	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -06

AISHE CODE

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadgawan, Distt. Korea (C,G)

	GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DISTKOREA (C.G.)									
	OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST									
		SESSION	N -2021-22							
	PROGRAMME NAME - B.COM. (BACHELOR OF COMMERCE) PART ONE									
	CLAAS/YEAR - B.COM. FIRST YEAR									
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	 Remark				
1	ANAND KUMAR	SONULAL	MALE	OBC	OBC	OPEN				
2	PRADEEP	GOPI CHAND	MALE	OBC	OBC	OPEN				
3	SUMANLATA	SUDERSHAN LAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN				
4	SANJAY KUMAR SEN	BAIJNATH SEN	MALE	OBC	OBC	OPEN				
		TOTAL SEATS FOR OBC (	OPEN) CATEGOR	NES -06						

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGI Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

### UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -121 B.Com. PART ONE (10+2+3) 3YDC

and the second s

the state of the second states

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ANITA	SGG22004845	ST,	F	03\08\2022
2	BRIJESH KUMAR	SGG22003666	ST	М	03\08\2022
3	RAM SINGH	SGG22017685	ST	М	03\08\2022
4	ANJITA	SGG22019436	OBC	F	05\08\2022
5	BABITA	SGG22030354	OBC	F	08\08\2022
6	MANITA	SGG22018040	ST	F	08\08\2022
7	SANGEETA	SGG22018393	ST ·	F	08\08\2022
8	VINAY SINGH	SGG22045793	ST	М	08\08\2022
9	AKLESH	SGG22012786	OBC	М	17\08\2022
	NITESH KUMAR	SGG22029536	ST	М	22/08/2022
10		SGG22044279	OBC	F	20/09/2022
11	PRATIMA SAHU		ST	М	26/09/2022
12	DAL SAY	SGG22045299		F	29/09/2022
13	PARVATI	SGG22044414	SC		29/09/2022
14	PREETI	SGG22008932	SC	F	29/09/2022

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN DIST - MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH) GEN CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

The second s				
NIDHI	SGG22041521	OBC	F	20/09/2022
SANTOSHI YADAV	SGG22045607	OBC	F	20/09/2022
OMWATI	SGG22045461	ST	F	23/09/2022
URMILA	SGG22019720	ST	F	26/09/2022
RUBEE SAHU	SGG22012409	OBC	F	26/09/2022
AASHMA SAHU	SGG22012366	OBC	F	28/09/2022
RUPKIRAN SINGH	SGG22015576	ST	F	16\10\2022
	SANTOSHI YADAV OMWATI URMILA RUBEE SAHU AASHMA SAHU	SANTOSHI YADAVSGG22045607OMWATISGG22045461URMILASGG22019720RUBEE SAHUSGG22012409AASHMA SAHUSGG22012366	SANTOSHI YADAVSGG22045607OBCOMWATISGG22045461STURMILASGG22019720STRUBEE SAHUSGG22012409OBCAASHMA SAHUSGG22012366OBC	SANTOSHI YADAVSGG22045607OBCFOMWATISGG22045461STFURMILASGG22019720STFRUBEE SAHUSGG22012409OBCFAASHMA SAHUSGG22012366OBCF

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR (CHATTISGARH)

AISHE CODE

C-9695

GEN CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

		-			
1	SANIYA MANDAL	SGG22016672	GEN	F	12\8\2022
2	SATYAM PANDAY	SGG22017479	GEN	М	12\8\2022
3	MAHAK KESHARWANI	SGG22016544	GEN	F	16\08\2022
4	SUMIT	SGG22004540	OBC	M	17\08\2022
5	SNEHA	SGG22005661	OBC	F	24/08/2022
6	POONAM SAHU	SGG22028200	OBC	F	25/08/2022
7	SHUBHAM SAHU	SGG22024348	OBC	М	25/08/2022
8	ANJANA	SGG22009343	GEN	F	26/08/2022
9	NILIMA	SGG22021943	GEN	F	26/08/2022
10	MANJU SAHU	SGG22028218	OBC	F	26/08/2022
11	SHILPE JAISWAL	SGG22042362	OBC	F	8/9/2022
12	NEERAJ KUMAR THAKUR	SGG22001979	OBC	M	9/9/2022
13	POOJA SAHU	SGG22028212	OBC	F	9/9/2022
14	PRITI	SGG22013130	OBC	F	9/9/2022
15	SANTOSH KUMAR	SGG22031557	OBC	М	9/9/2022
16	SONU KUMAR	SGG22003697	OBC	M	12/9/2022
17	NEELU	SGG22017152	OBC	F	13/09/2022
18	PRIYANKA	SGG22017003	OBC	F	13/09/2022
19	LAXMAN	SGG22035808	ST	M	20/09/2022
20	PHOOL KUNWAR	SGG22045985	ST	F	20/09/2022
21	PRABHA	SGG22018291	ST	F	20/09/2022
22	SANDEEP	SGG22043590	OBC	M	29/09/2022

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH) OBC CATEGORY FEMALE LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

. 11

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATE GOR Y	GEN DER	ADMISSION DATE
1	PREETI YADAV	SGG22015215	OBC	F	06\08\2022
2	RINA	SGG22008159	OBC	F	08\08\2022
3	SANDHYA	SGG22030627	OBC	F	08\08\2022
4	RINU	SGG22017128	OBC	F	17\08\2022

AISHE CODE **C**-9695

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

## OBC CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGO RY	GENDE R	ADMISSION DATE
PRIYANKA	SGG22010558	OBC	F	03\08\2022
PURNIMA	SGG22009180	OBC	F	03\08\2022
SANGEETA	SGG22010544	OBC	F	03\08\2022
KHUSHBU KHANDEY	\$GG22009973	OBC	F	04\08\2022
SUNIL KUMAR SAHU	SGG22028059	OBC	М	04\08\2022
VIKASH KUMAR	SGG22012596	OBC	M	04\08\2022
VINOD KUMAR	SGG22015189	OBC	М	04\08\2022
BHUPENDRA	SGG22002941	OBC	M	06\08\2022
YASWANT KUMAR	SGG22006774	OBC	M	12\8\2022
	PRIYANKA PURNIMA SANGEETA KHUSHBU KHANDEY SUNIL KUMAR SAHU VIKASH KUMAR VINOD KUMAR BHUPENDRA	PRIYANKASGG22010558PURNIMASGG22009180SANGEETASGG22010544KHUSHBU KHANDEYSGG22009973SUNIL KUMAR SAHUSGG22028059VIKASH KUMARSGG22012596VINOD KUMARSGG22015189BHUPENDRASGG22002941	NAMEENROLLMENT NUMBERHPRIYANKASGG22010558OBCPURNIMASGG22009180OBCSANGEETASGG22010544OBCKHUSHBU KHANDEYSGG22009973OBCSUNIL KUMAR SAHUSGG22028059OBCVIKASH KUMARSGG22012596OBCVINOD KUMARSGG22015189OBCBHUPENDRASGG22002941OBC	NAMEENROLLMENT NUMBERH 2H 2 <th< td=""></th<>

1

AISHE CODE C-9695

•

OVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN UIST MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR (CHATTISGARH)

#### SC CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	JAI LAHRE	SGG22019794	SC	М	05\08\2022
2	JYOTI NIRALA	SGG22009795	SC	F	06\08\2022
3	MAHESH KUMAR	SGG22028617	SC	М	08\08\2022
4	PRITI	SGG22005565	SC	F	05\08\2022
5	RADHE KURRE	SGG22004098	SC	M	08\08\2022
6	RAMKALI	SGG22018116	SC	F	08\08\2022

AISHE CODE C-9695

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN UIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

## ST CATEGORY FEMALE LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

s.n.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ALPNA	SGG22013880	ST	F	16/08/2022
2	PHOOLMATI	SGG22018110	ST	F	16\08\2022
3	SHYAM BAI	SGG22034394	ST	F	24/08/2022
	ANITA KUMARI	SGG22021980	ST	F	9/9/2022
	DIVYA	SGG22044684	ST	F	9/9/2022
	REETA	SGG22006850	ST	F	9/9/2022
	SANJANA	SGG22043048	ST	F	9/9/2022
	VIMLA	SGG22030899	ST	F	9/9/2022
	ANJU	SGG22045390	ST	F	20/09/2022

AISHE CODE C-9695

GOVT MAA MAHAMAYA COLIEGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

#### ST CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ANITA SINGH	SGG22004163	ST	F	03\08\2022
2	CHNDAMANI	SGG22016214	ST	F	03\08\2022
3	URMILA SINGH	SGG22015856	ST	F	04\08\2022
4	MANISH KUMAR	SGG22002824	ST	M	05\08\2022
5	MITHLESH KUMAR	SGG22009121	ST	M	05\08\2022
6	RAMESH KUMAR	SGG22029080	ST	М	05\08\2022
7	RAM KUNWAR	SGG22023643	ST	F	05\08\2022
8	DDVI KUNWAR	SGG22042249	ST	F	06\08\2022
9	SARBINA	SGG22010346	ST	F	06\08\2022
10	ANITA	SGG22008908	ST	F	08\08\2022
11	BIFAIYA	SGG22023733	ST	F	08\08\2022
12	PREETI	SGG22015056	ST	F	08\08\2022
13	AARTI SINGH	SGG22030954	ST	F	16/08/2022
14	MANISH KUMAR	SGG22012322	ST	М	16/08/2022
15	VIKASH KUMAR	SGG22018227	ST	М	24/08/2022
16	BALDEEP SINGH	SGG22044217	ST	М	9/9/2022
17	KULDEEP SINGH	SGG22012861	ST	М	9/9/2022
18	TULESHVAR PRASAD	SGG22007449	ST	М	9/9/2022
19	DEV KUMAR	SGG22022038	ST	М	12/9/2022
20	AJAY SINGH	SGG22045737	ST	М	20/09/2022

AISHE CODE

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

C

### LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

2 ( 3   4   5   6   7   8	ANITA SINGH CHNDAMANI PRIYANKA PURNIMA SANGEETA KHUSHBU KHANDEY	SGG22004163 SGG22016214 SGG22010558	ST ST	F	03\08\2022
3   4   5   6   7   8	PRIYANKA PURNIMA SANGEETA KHUSHBU KHANDEY	SGG22010558	ST		103\00\2022
4   5   6   7   8	PURNIMA SANGEETA KHUSHBU KHANDEY			F	03\08\2022
5 5 6 1 7 5 8	SANGEETA KHUSHBU KHANDEY	666222000100	OBC	Г	03\08\2022
6 7 8	KHUSHBU KHANDEY	SGG22009180	OBC	F	03\08\2022
7 8		SGG22010544	OBC	F	03\08\2022
8		SGG22009973	OBC	F	04\08\2022
	SUNIL KUMAR SAHU	SGG22028059	OBC	М	04\08\2022
	URMILA SINGH	SGG22015856	ST	F	04\08\2022
9	VIKASH KUMAR	SGG22012596	OBC	М	04\08\2022
10	VINOD KUMAR	SGG22015189	OBC	М	04\08\2022
11	JAI LAHRE	SGG22019794	SC	М	05\08\2022
12	MANISH KUMAR	SGG22002824	ST	М	05\08\2022
13	MITHLESH KUMAR	SGG22009121	ST	М	05\08\2022
14	PRITI	SGG22005565	SC	F	05\08\2022
15	RAM KUNWAR	SGG22023643	ST	F	05\08\2022
16	RAMESH KUMAR	SGG22029080	ST	М	05\08\2022
17	BHUPENDRA	SGG22002941	OBC	М	06\08\2022
18	DDVI KUNWAR	SGG22042249	ST	F	06\08\2022
	JYOTI NIRALA	SGG22009795	SC	F	06\08\2022
	PREETI YADAV	SGG22015215	OBC	F	06\08\2022
	SARBINA	SGG22010346	ST	F	06\08\2022
	ANITA	SGG22008908	ST	F	08\08\2022
	BIFAIYA	SGG22023733	ST	F	08\08\2022
	MAHESH KUMAR	SGG22028617	SC	М	08\08\2022
	PREETI	SGG22015056	ST	F	08\08\2022
	RADHE KURRE	SGG22004098	SC	М	08\08\2022
	RAMKALI	SGG22018116	SC	F	08\08\2022
	RINA	SGG22008159	OBC	F	08\08\2022
	SANDHYA	SGG22030627	OBC	F	08\08\2022
	SANIYA MANDAL	SGG22016672	GEN	F	12\8\2022
	SATYAM PANDAY	SGG22017479	GEN	М	12\8\2022
	YASWANT KUMAR	SGG22006774	OBC	М	12\8\2022
	AARTI SINGH	SGG22030954	ST	F	16/08/2022
	ALPNA	SGG22013880	ST	F	16/08/2022
	MANISH KUMAR	SGG22012322	ST	М	16/08/2022
	MAHAK KESHARWANI	SGG22016544	GEN	F	16\08\2022
	PHOOLMATI	SGG22018110	ST	F	16\08\2022
		SGG22017128	ОВС	F	17\08\2022
	RINU	SGG22004540	ОВС	М	17\08\2022
	SUMIT	SGG22034394	ST	F	24/08/2022
	SHYAM BAI	SGG22005661	OBC	F	24/08/2022
	SNEHA	SGG22018227	ST	M	24/08/2022
	VIKASH KUMAR	SGG22018227	OBC	F	25/08/2022
	POONAM SAHU SHUBHAM SAHU	SGG22028200	OBC	M	25/08/2022



45	ANJANA	SGG22009343	GEN	F	26/08/2022
46	MANJU SAHU	SGG22028218	OBC	F	26/08/2022
	NILIMA	SGG22021943	GEN	F	26/08/2022
	SHILPE JAISWAL	SGG22042362	OBC	F	8/9/2022
	ANITA KUMARI	SGG22021980	ST	F	9/9/2022
	BALDEEP SINGH	SGG22044217	ST	M	9/9/2022
	DIVYA	SGG22044684	ST	F	9/9/2022
-	KULDEEP SINGH	SGG22012861	ST	M	9/9/2022
	NEERAJ KUMAR THAKUR	SGG22001979	OBC	N	9/9/2022
	POOJA SAHU	SGG22028212	OBC	F	9/9/2022
	PRITI	SGG22013130	OBC	F	9/9/2022
	REETA	SGG22006850	ST	F	9/9/2022
	SANJANA	SGG22043048	ST	F	9/9/2022
	SANTOSH KUMAR	SGG22031557	OBC	M	9/9/2022
	TULESHVAR PRASAD	SGG22007449	ST	M	9/9/2022
_	VIMLA	SGG22030899	ST	F	9/9/2022
		SGG22022038	ST	M	12/9/2022
	SONU KUMAR	SGG22003697	OBC	M	12/9/2022
	NEELU	SGG22017152	OBC	F	13/09/2022
	PRIYANKA	SGG22017003	OBC	F	13/09/2022
	RUPKIRAN SINGH	SGG22015576	ST	F	16\10\2022
	AJAY SINGH	SGG22045737	ST	М	20/09/2022
		SGG22045390	ST	F	20/09/2022
	ANJU	SGG22035808	ST	М	20/09/2022
		SGG22041521	OBC	F	20/09/2022
		SGG22045985	ST	F	20/09/2022
	PHOOL KUNWAR	SGG22018291	ST	F	20/09/2022
	PRABHA	SGG22045607	OBC	F	20/09/2022
	SANTOSHI YADAV	SGG22045461	ST	F	23/09/2022
	OMWATI	SGG22012409	OBC	F	26/09/2022
	RUBEE SAHU	SGG22012405	ST	F	26/09/2022
	URMILA	SGG22013720	OBC	F	28/09/2022
	AASHMA SAHU	SGG22012300 SGG22043590	OBC	М	29/09/2022
77	SANDEEP	1300220-33330			

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN

UIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

ST CATEGORY FEMALE LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

s.n.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ANJALI	SGG22017497	ST	F	03\08\2022
2	MAAN KUNWAR	SGG22003329	ST	F	04\08\2022
3	SARITA SINGH	SGG22002978	ST	F	04\08\2022
4	GAYATRI	SGG22023332	ST	F	05\08\2022
5	GULAB KUNWAR	SGG22030394	ST	F	05\08\2022
6	INDRA WATII	SGG22017263	ST	F	05\08\2022
7	SANGEETA SINGH	SGG22017774	ST	F	05\08\2022
8	SUMITA	SGG22017495	ST	F	06\08\2022
9	HEMWATI	SGG22012900	ST	F	08\08\2022
10	KAUSHILYA	SGG22014968	ST	F	08\08\2022
11	MAMTA	SGG22023127	ST	F	08\08\2022
12	PHOOL KUNWAR	SGG22016220	ST	F	08\08\2022
13	priyanka	SGG22015343	ST	F	08\08\2022
	PUSHPA	SGG22007562	ST	F	08\08\2022

AISHE CODE

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

#### SC CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

NAME			GENDER	ADMISSION DATE
DHARMENDRA KUMAR	SGG22012941	SC	М	06\08\2022
HEMA SURYA	SGG22043028	SC	F	9/9/2022
MAYAWATI	SGG22041720	SC	F	12/9/2022
OM PRAKASH	SGG22044173	SC	М	24/08/2022
PONAM	SGG22011348	SC	F	08\08\2022
SANJAY KUMAR	SGG22021574	SC	М	08\08\2022
SUMAN SAGAR	SGG22008696	SC	F	31/08/2022
	DHARMENDRA KUMAR HEMA SURYA MAYAWATI OM PRAKASH PONAM SANJAY KUMAR	DHARMENDRA KUMARSGG22012941HEMA SURYASGG22043028MAYAWATISGG22041720OM PRAKASHSGG22044173PONAMSGG22011348SANJAY KUMARSGG22021574	DHARMENDRA KUMARSGG22012941SCHEMA SURYASGG22043028SCMAYAWATISGG22041720SCOM PRAKASHSGG22044173SCPONAMSGG22011348SCSANJAY KUMARSGG22021574SC	DHARMENDRA KUMARSGG22012941SCMHEMA SURYASGG22043028SCFMAYAWATISGG22041720SCFOM PRAKASHSGG22044173SCMPONAMSGG22011348SCFSANJAY KUMARSGG22021574SCM

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

AISHE CODE C-9695

### ST CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.		ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	VIKAS	SGG22028461	ST	М	03\08\2022
2	DHARMENDRA SINGH	SGG22005061	ST	М	05\08\2022
3	DURGESH KUMAR	SGG22012628	ST	М	05\08\2022
4	MAHESH KUMAR	SGG22015091	ST	М	05\08\2022
5	RAJ KAMAL	SGG22031225	ST	М	05\08\2022
6	PUSHPRAJ SINGH	SGG22015936	ST	М	06\08\2022
7	ANIL SINGH KAMRO	SGG22023196	ST	М	06\08\2022\
8	ASHOK KUMAR	SGG22028690	ST	М	08\08\2022
9	JAIPAL	SGG22020278	ST	M	08\08\2022
10	RAJENDRA PRATAP	SGG22021766	ST	М	08\08\2022
11	RAMKALI	SGG22014244	ST	F	08\08\2022
12	SANGEETA	SGG22022158	ST	F	08\08\2022
13	SARITA	SGG22014189	ST	F	08\08\2022
14	SHANI KUMAR	SGG22033302	ST	М	08\08\2022
15	SHARDA DEVI	SGG22007453	ST	F	08\08\2022
16	SHIV KUMAR	SGG22033261	ST	М	08\08\2022
17	SHYAMBA	SGG22035194	ST	F	08\08\2022
18	VIKAS KUMAR	SGG22012543	ST	М	08\08\2022
19	BARMHA SINGH	SGG22029172	ST	М	12\8\2022
20	SUNIL KUMAR	SGG22029911	ST	М	12\8\2022
21	MAHESH KUMAR	SGG22018570	ST	М	16/08/2022
22	PREETI	SGG22027038	ST	F	16/08/2022
23	RAJ KUMARI	SGG22012586	ST	F	16/08/2022
24	RANJEET	SGG22011731	ST	М	16/08/2022
25	PARWATI	SGG22011106	ST	F	24/08/2022
26	SURENDEA SINGH	SGG22026447	ST	М	24/08/2022
27	AGAJ KUMAR	SGG22022079	ST	М	25/08/2022
28	BHAGWAN SINGH	SGG22022369	ST	М	25/08/2022
	BHUNESWAR SULANKI	SGG22024264	ST	М	25/08/2022
30	INDRAKUNWAR	SGG22024265	ST	F	25/08/2022
31	MANMATI	SGG22005775	ST	F	25/08/2022
32	SHANTI	SGG22022727	ST	F	1/9/2022
33	AJAY KUMAR	SGG22043629	ST	М	8/9/2022
	HARMENDRA SINGH	SGG22042665	ST	M	8/9/2022

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN UIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

#### OBC CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

s.n.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATE GOR Y	GEN DER	ADMISSION DATE
1	ABHISHEK KUMAR	SGG22001626	OBC	М	12/8/2022
2	ADISH KUMAR	SGG22045706	OBC	M	20/09/2022
3	AKSHAY KUMAR	SGG22017852	OBC	М	13/09/2022
4	AMAN KUMAR	SGG22045373	OBC	М	26/09/2022
5	ANKIT	SGG22003158	OBC	М	04\08\2022
6	BRIJESH KUMAR	SGG22044628	OBC	М	9/9/2022
7	DINESH KUMAR	SGG22043728	OBC	Μ	9/9/2022
8	GEETA	SGG22003695	OBC	F	05\08\2022
9	HARISH	SGG22044648	OBC	М	9/9/2022
10	KULDEEP KUMAR	SGG22012277	OBC	М	24/08/2022
11	MANISH KUMAR YADAV	SGG22045853	OBC	М	20/09/2022
12	MAYAWATI	SGG22016063	OBC	F	9/9/2022
13	NEHA SAHU	SGG22021490	OBC	F	05\08\2022
14	NIRMLA	SGG22004300	OBC	F	03\08\2022
15	NITESH KUMAR	SGG22011597	OBC	М	8/9/2022

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH) OBC CATEGORY FEMALE LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

1

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATE GOR Y	GEN DER	ADMISSION DATE
1	ANITA	SGG22044153	OBC	F	9/9/2022
2	ANITA	SGG22045576	OBC	F	20/09/2022
3	ANJALI	SGG22025602	OBC	F	05\08\2022
4	ANJALI THAKUR	SGG22022107	овс	F	06\08\2022
5	ARTI	SGG22043534	ОВС	F	9/9/2022
6	ASHA YADAV	SGG22026890	ОВС	F	06\08\2022

AISHE CODE C-9695

COVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

## GEN CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	AARTI	SGG22017186	ST	F	9/9/2022
2	AJEET KUMAR	KUMAR SGG22030217		M	9/9/2022
3	AJJU SINGH	SGG22010337	ST	M	9/9/2022
4	ANITA	SGG22010999	ST	F	9/9/2022
5	CHANDRAKALA	SGG22044609	ST	F	9/9/2022
6	GEETA	SGG22027598	ST	F	9/9/2022
7	MAHENDRA SINGH	SGG22043930	ST	M	9/9/2022
8	MEENA	SGG22015007	ST	F	9/9/2022
9	MEERA	SGG22024856	ST	F	9/9/2022
10	MUKESH KUMAR	SGG22005748	ST	M	9/9/2022
11	NAND KUMAR	SGG22043209	ST	M	9/9/2022
12	NANDNI SINGH	SGG22041411	ST	F	9/9/2022
13	OM PRAKASH	SGG22008111	ST	M	9/9/2022
14	PAWAN KUMAR	SGG22044087	ST	M	9/9/2022
15	PRERNA SINGH	SGG22041393	ST	F	9/9/2022
16	RAJ KUMAR	SGG22027753	ST	M	9/9/2022
17	RAVINA	SGG22016340	ST	F	9/9/2022
18	SAMALIYA	SGG22015799	ST	F	9/9/2022
19	SUNITA	SGG22044364	ST	F	9/9/2022
20	AJAY KUMAR	SGG22042115	ST	M	12/9/2022
21	MAHESH KUMAR	SGG22010926	ST	м	13/09/2022
22	NARENDRA SINGH	SGG22010313	ST	м	13/09/2022
23	SAMARU SINGH	SGG22025213	ST	М	13/09/2022
24	SHIVKESH	SGG22025304	ST	М	13/09/2022
25	VINOD KUMAR	SGG22005952	ST	М	13/09/2022
26	VIVEK SINGH	SGG22020791	ST	М	16/09/2022
27	BALKARAN SINGH	SGG22013208	ST	M	17/09/2022
28	SAURABH KUMAR	SGG22024476	ST	M	20/09/2022
29	VIND LAL	SGG22017630	ST	M	20/09/2022
30	PRINCE	SGG22011158	OBC	M	08\08\2022
31	RAJNISH KUMAR	SGG22025300	OBC	М	08\08\2022
32	RAM KUMAR	SGG22007605	OBC	М	13/09/2022
33	RAMESH KUMAR	SGG22026396	OBC	М	24/08/2022
34	SANDIP KUMAR	SGG22045734	OBC	М	23/09/2022
35	SANDIF KOMAK	SGG22024110	OBC	F	04\08\2022
36	SARITA	SGG22019949	OBC	F	9/9/2022

PRINCIPAL

GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAAL DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUP (CHATTISGARH)

AISHE CODE C-9695

#### GEN CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	IROLLMENT NUMB	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	KAUSHILYA	SGG22045277	ST	F	23/09/2022
2	JANKI SANDILYA	SGG22043016	ST	F	26/09/2022
3	SUNEETA	SGG22046092	ST	F	27/09/2022
4	SANIKAM	SGG22017592	ST	F	17/09/2022
5	SUKWARIYA	SGG22016101	ST	F	19/09/2022
6	PARWATI	SGG22024621	ST	F	20/09/2022
7	CHANDRAMA	SGG22024471	ST	F	12/9/2022
8	KUNTI	SGG22015440	ST	F	12/9/2022
9	BUND KUNWAR	SGG22026960	ST	F	13/09/2022
10	PRATIMA SAHU	SGG22022509	OBC	F	04\08\2022
11	REENU YADAV	SGG22012727	OBC	F	14/09/2022
12	RITIKA JAISWAL	SGG22013650	OBC	F	9/9/2022
13	SADHANA	SGG22017654	OBC	F	9/9/2022
14	SAKSHI	SGG22003456	OBC	F	05\08\2022
15	SANGEETA	SGG22030513	OBC	F	21/09/2022

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL

1

!

GOVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH) OTHER CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER		GENDER	ADMISSION DATE
1	SARITA SAHU	SGG22021977	OBC	F	08\08\2022
2	SAYRA NISAH	SGG22045545	OBC	F	20/09/2022
3	SHRUTI JAISWAL	SGG22011296	OBC	F	16/09/2022
4	SONU KUMAR	SGG22015869	OBC	М	17\08\2022
5	SUMAN	SGG22017052	OBC	F	03\08\2022
6	VIKASH KUMAR	SGG22042142	OBC	М	16/09/2022
7	VIKASH KUMAR	SGG22045519	OBC	М	20/09/2022

AISHE CODE C-9695 PRINCIPAL OVT MAA MAHAMAYA COLI EGE KHADGAWAN

UIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

#### LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

s.n.	NAME	A. PART ONE (10+2+3) 3YDC	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	AARTI	SGG22017186	ST	F	9/9/2022
2	ABHISHEK KUMAR	SGG22001626	OBC	M	12/8/2022
3	ADISH KUMAR	SGG22045706	OBC	М	20/09/2022
4	AGAJ KUMAR	SGG22022079	ST	M	25/08/2022
5	AJAY KUMAR	SGG22043629	ST	М	8/9/2022
6	AJAY KUMAR	SGG22042115	ST	М	12/9/2022
7	AJEET KUMAR	SGG22030217	ST	М	9/9/2022
8	AJJU SINGH	SGG22010337	ST	М	9/9/2022
9	AKSHAY KUMAR	SGG22017852	OBC	М	13/09/2022
10	AMAN KUMAR	SGG22045373	OBC	М	26/09/2022
11	ANIL SINGH KAMRO	SGG22023196	ST	М	06\08\2022\
12	ANITA	SGG22010999	ST	F	9/9/2022
_	ANITA	SGG22044153	OBC	F	9/9/2022
14	ANITA	SGG22045576	OBC	F	20/09/2022
15	ANJALI	SGG22017497	ST	F	03\08\2022
16	ANJALI	SGG22025602	OBC	F	05\08\2022
17	ANJALI THAKUR	SGG22022107	OBC	F	06\08\2022
18	ANKIT	SGG22003158	OBC	М	04\08\2022
19	ARTI	SGG22043534	OBC	F	9/9/2022
20	ASHA YADAV	SGG22026890	OBC	F	06\08\2022
21	ASHOK KUMAR	SGG22028690	ST	М	08\08\2022
22	BALKARAN SINGH	SGG22013208	ST	М	17/09/2022
23	BARMHA SINGH	SGG22029172	ST	М	12\8\2022
24	BHAGWAN SINGH	SGG22022369	ST	М	25/08/2022
25	BHUNESWAR SULANKI	SGG22024264	ST	М	25/08/2022
26	BRIJESH KUMAR	SGG22044628	OBC	М	9/9/2022
27	BUND KUNWAR	SGG22026960	ST	F	13/09/2022
28	CHANDRAKALA	SGG22044609	ST	F	9/9/2022
29	CHANDRAMA	SGG22024471	ST	F	12/9/2022
30	DHARMENDRA KUMAR	SGG22012941	SC	M	06\08\2022
31	DHARMENDRA SINGH	SGG22005061	ST	M	05\08\2022
32	DINESH KUMAR	SGG22043728	OBC	M	9/9/2022
33	DURGESH KUMAR	SGG22012628	ST	M	05\08\2022
34	GAYATRI	SGG22023332	ST	F	05\08\2022
35	GEETA	SGG22003695	OBC	F	05\08\2022
36	GEETA	SGG22027598	ST	F	9/9/2022
37	GULAB KUNWAR	SGG22030394	ST	F	05\08\2022
38		SGG22044648	OBC	M	9/9/2022
39	HARMENDRA SINGH	SGG22042665	ST	M	8/9/2022
40	HEMA SURYA	SGG22043028	SC	F	9/9/2022
	HEMWATI	SGG22012900	SC	F	08\08\2022
41	INDRA WATII	SGG22017263	ST	F	
42		SGG22024265	ST	F	05\08\2022
43		SGG22024205			25/08/2022
44	JAIPAL	130022020278	ST	M	08\08\2022

AISHE CODE

**C-9**695

GOVT MAA MAHAMAYA COLIEGE KHADGAWAN DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (CHATTISGARH)

PRINCIPAL

			CT	F	26/09/2022
45	THE OF THE DILLIA	SGG22043016	ST ST	F	08\08\2022
46		SGG22014968	ST	F	23/09/2022
47		SGG22045277		M	24/08/2022
48	the and and the training	SGG22012277	OBC	F	12/9/2022
49		SGG22015440	ST ST	F	04\08\2022
50		SGG22003329	ST	M	9/9/2022
51		SGG22043930	ST	M	05\08\2022
52	MAHESH KUMAR	SGG22015091	ST	M	16/08/2022
53	MAHESH KUMAR	SGG22018570	ST	M	13/09/2022
54	MAHESH KUMAR	SGG22010926	ST	F	08\08\2022
55	MAMTA	SGG22023127	OBC	M	20/09/2022
56	MANISH KUMAR YADAV	SGG22045853	ST	F	25/08/2022
57	MANMATI	SGG22005775	OBC	F	9/9/2022
58	MAYAWATI	SGG22016063		F	12/9/2022
59	MAYAWATI	SGG22041720	SC	F	9/9/2022
60	MEENA	SGG22015007	ST	F	9/9/2022
61	MEERA	SGG22024856	ST	_	9/9/2022
62	MUKESH KUMAR	SGG22005748	ST	M	9/9/2022
63	NAND KUMAR	SGG22043209	ST	M	9/9/2022
64	NANDNI SINGH	SGG22041411	ST	F	
65	NARENDRA SINGH	SGG22010313	ST	М	13/09/2022
66	NEHA SAHU	SGG22021490	OBC	F	05\08\2022
67	NIRMLA	SGG22004300	OBC	F	03\08\2022
68	NITESH KUMAR	SGG22011597	OBC	М	8/9/2022
69	OM PRAKASH	SGG22044173	SC	м	24/08/2022
70	OM PRAKASH	SGG22008111	ST	м	9/9/2022
71	PARWATI	SGG22011106	ST	F	24/08/2022
72	PARWATI	SGG22024621	ST	F	20/09/2022
73	PAWAN KUMAR	SGG22044087	ST	М	9/9/2022
74	PHOOL KUNWAR	SGG22016220	ST	F	08\08\2022
75	PONAM	SGG22011348	SC	F	08\08\2022
	PRATIMA SAHU	SGG22022509	OBC	F	04\08\2022
	PREETI	SGG22027038	ST	F	16/08/2022
	PRERNA SINGH	SGG22041393	ST	F	9/9/2022
	PRINCE	SGG22011158	OBC	М	08\08\2022
	priyanka	SGG22015343	ST	F	08\08\2022
	PUSHPA	SGG22007562	ST	F	08\08\2022
	PUSHPRAJ SINGH	SGG22015936	ST	М	06\08\2022
	RAJ KAMAL	SGG22031225	ST	M	05\08\2022
	RAJ KUMAR	SGG22027753	ST	М	9/9/2022
-	RAJ KUMARI	SGG22012586	ST	F	16/08/2022
	RAJENDRA PRATAP	SGG22021766	ST	м	08\08\2022
	RAJNISH KUMAR	SGG22025300	OBC	M	08\08\2022
	RAM KUMAR	SGG22007605	OBC	M	13/09/2022
		SGG22026396	OBC	M	24/08/2022
-	RAMESH KUMAR	SGG22014244	ST	F	08\08\2022
		SGG22014244	ST	M	16/08/2022
	RANJEET		ST	F	9/9/2022
	RAVINA	SGG22016340			
	REENU YADAV	SGG22012727	OBC	F	14/09/2022
94	RITIKA JAISWAL	SGG22013650	OBC	F	9/9/2022

AISHE CODE

DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR

	SADHANA	SGG22017654	OBC	F	9/9/2022
	SAKSHI	SGG22003456	OBC	F	05\08\2022
97	SAMALIYA	SGG22015799	ST	F	9/9/2022
	SAMARU SINGH	SGG22025213	ST	М	13/09/2022
	SANDIP KUMAR	SGG22045734	OBC	М	23/09/2022
	SANGEETA	SGG22022158	ST	F	08\08\2022
	SANGEETA	SGG22030513	OBC	F	21/09/2022
	SANGEETA SINGH	SGG22017774	ST	F	05\08\2022
	SANIKAM	SGG22017592	ST	F	17/09/2022
	SANJAY KUMAR	SGG22021574	SC	М	08\08\2022
	SANTOSHI YADAV	SGG22024110	OBC	F	04\08\2022
106	SARITA	SGG22014189	ST	F	08\08\2022
	SARITA	SGG22019949	OBC	F	9/9/2022
108	SARITA SAHU	SGG22021977	OBC	F	08\08\2022
109	SARITA SINGH	SGG22002978	ST	F	04\08\2022
110	SAURABH KUMAR	SGG22024476	ST	М	20/09/2022
111	SAYRA NISAH	SGG22045545	OBC	F	20/09/2022
112	SHANI KUMAR	SGG22033302	ST	М	08\08\2022
113	SHANTI	SGG22022727	ST	F	1/9/2022
114	SHARDA DEVI	SGG22007453	ST	F	08\08\2022
115	SHIV KUMAR	SGG22033261	ST	М	08\08\2022
116	SHIVKESH	SGG22025304	ST	м	13/09/2022
117	SHRUTI JAISWAL	SGG22011296	OBC	F	16/09/2022
118	SHYAMBA	SGG22035194	ST	F	08\08\2022
119	SONU KUMAR	SGG22015869	OBC	М	17\08\2022
120	SUKWARIYA	SGG22016101	ST	F	19/09/2022
121	SUMAN	SGG22017052	ОВС	F	03\08\2022
122	SUMAN SAGAR	SGG22008696	SC	F	31/08/2022
123	SUMITA	SGG22017495	ST	F	06\08\2022
124	SUNEETA	SGG22046092	ST	F	27/09/2022
125	SUNIL KUMAR	SGG22029911	ST	М	12\8\2022
126	SUNITA	SGG22044364	ST	F	9/9/2022
127	SURENDEA SINGH	SGG22026447	ST	М	24/08/2022
128	VIKAS	SGG22028461	ST	М	03\08\2022
129	VIKAS KUMAR	SGG22012543	ST	М	08\08\2022
130	VIKASH KUMAR	SGG22042142	OBC	М	16/09/2022
131	VIKASH KUMAR	SGG22045519	OBC	М	20/09/2022
132	VIND LAL	SGG22017630	ST	М	20/09/2022
	VINOD KUMAR	SGG22005952	ST	М	13/09/2022
133	VINUD KUMAK	50022,005552	51	171	12/09/2022 1

And and a second second

AISHE CODE C-9695

PRINCIPAL

NT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN TUDIATEL DUADATDIR

#### 2.1.1 Enrolment Percentage

2.1.2 Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, etc. as per applicable reservation policy) during the last five years (exclusive of supernumerary seats)

				Year - 1 ( 2	2018-19)								
		Number of	Number of	Numb	er of seat	ts earmar	ked for re	served	Num	ber of stu	dents adr	nitted fro	m the
Programme name	Programme Code	seats	Students	category	as per G	OI or State	e Governr	ment rule		reserved category			
		sanctioned	admitted	SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Othe
B.A.	101	90	69	11	29	13	31	6	1	24	13	31	0
B.SC.	150	60	41	7	20	8	20	5	0	13	8	20	0
B.COM.	121	60	9	7	20	8	20	5	0	0	0	9	0
				Year - 2 (2	.019-20)								
		Number of	Number of	Numb	er of seat	ts earmar	ked for re	served	Num	ber of stu	dents adr	nitted fro	m the
Programme name	Programme Code	seats	Students	category as per GOI or State Government rule				rese	rved cate	gory			
0	5	sanctioned	admitted	SC ,	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Othe
B.A.	101	90	74	11	29	13	31	6	7	26	10	31	0
B.SC.	150	60	36	7	20	8	20	5	3	10	3	20	0
B.COM.	121	60	6	7	20	8	20	5	0	0	0	6	0
				Year - 3 ( 2	2020-21)								
		Number of	Number of	Numb	er of seat	ts earmar	marked for reserved Number of students admitted from t				m the		
Programme name	Programme Code	seats	Students	category	as per G	OI or State	e Governr	ment rule		rese	rved cate	egory	
		sanctioned	admitted	SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Othe
B.A.	101	90	68	11	29	13	31	6	0	28	9	31	0
B.SC.	150	60	41	7	20	8	20	5	0	20	1	20	0
B.COM.	121	60	10	7	20	8	20	5	0	0	0	10	0
			,	Year - 4 (2	.021-22 )								
		Number of	Number of	Numb	er of seat	ts earmar	ked for re	served	Num	ber of stu	dents adr	nitted fro	m the
Programme name	Programme Code	seats	Students	category	as per G	OI or State	e Governr	ment rule		rese	rved cate	egory	
-	_	sanctioned	admitted	SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Othe
B.A.	101	90	90	11	29	13	31	6	3	29	13	45	0
B.SC.	150	60	60	7	20	8	20	5	4	20	8	28	0
B.COM.	121	60	24	7	20	8	20	5	0	0	4	20	0
	-	_		Year - 5 (2	.022-23)								
		Number of	Number of	Numb	er of seat	ts earmar	ked for re	served	Num	ber of stu	dents adr	nitted fro	m the
Programme name	Programme Code	seats	Students			OI or State					rved cate		
		sanctioned	admitted										
		Sanctioned	aunitted	SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Othe
B.A.	101	150	134	18	48	21	51	12	7	48	21	51	7
B.SC.	150	90	77	11	29	13	31	6	6	29	13	29	0
												14	

नोट :– आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राएँ न मिलने पर उनके स्थान पर अन्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया।

PRINCIPAL Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)